सिंगरौली
विकास योजना
2011

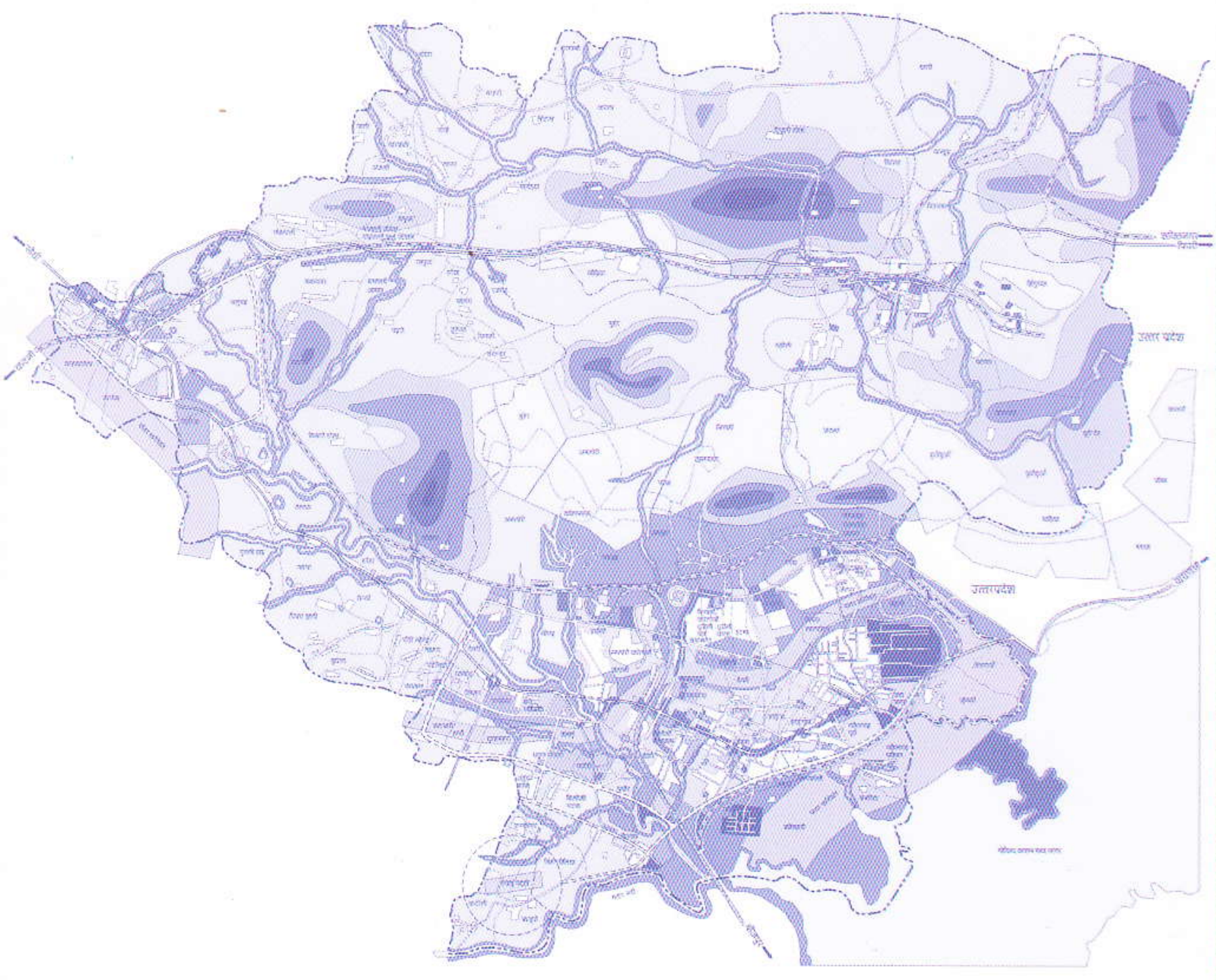

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सिंगरौली

विकास योजना 2011

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रस्तावना

रीवा राजस्व संभाग का जिला कार्यालय मुख्यालय नगर सिंगरौली संभागीय मुख्यालय से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर जबलपुर, कटनी, चौपन, मिर्जापुर, हावड़ा आदि नगरों से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है तथा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर व्यौहारी, शहडोल व रीवा से सड़क मार्ग से इस नगर का सम्पर्क स्थापित है। सिंगरौली में कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत से संलग्न भारत सरकार के उपक्रमों का मुख्यालय है। इस क्षेत्र में कोयलें के विपुल भंडार, वन संपदा एवं प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। यहाँ से कोयले का निर्यात देश के विभिन्न विद्युत ताप संयंत्रों को किया जाता है।

सिंगरौली विकास योजना में इसकी भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख बसाहट केन्द्रों का परस्पर समन्वय एवं तदानुक्रम में विकास, बैढ़न नगरीय क्षेत्र का प्रमुख कार्य के रूप में विकास, नगरीय एवं ग्रामीण बसाहटों का समन्वित विकास, क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात को सुदृढ़ करना, नगर में स्थित प्रमुख मार्गों, संगमों का नियोजित विकास एवं सौंदर्यीकरण के साथ ही गहन वृक्षारोपण, हरित क्षेत्र को विकसित कर इस क्षेत्र में यथासंभव पर्यावरण प्रदूषण को कम करना आदि के प्रस्ताव इस योजना में समाविष्ट किये गये हैं।

सिंगरौली विकास योजना म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-78-2004-32 दिनांक 4 मई 2005 के द्वारा अनुमोदित होकर उक्त सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 20.05.2005 से प्रभावशील की गई है।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्व विश्वास है, कि इस विकास योजना के क्रियान्वयन में समस्त क्रियान्वयन संस्थाओं तथा जन सामान्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, तथा यह योजना अपने उद्देश्य में सफल होगी।

(के.सी. गुप्ता)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र., भोपाल

सिंगरौली विकास योजना

योजना दल

अपर संचालक

डी.के. शर्मा

रेखा शर्मा

संयुक्त संचालक

पी.एन. मिश्रा

उपसंचालक

जे.पी. सिंह

सहायक संचालक

नजमा नवी

कर्मचारीगण

आई.बी. पटेल
मोहम्मद असलम सिद्दीकी
एम. सिंह
जगदीश सिंह
व्ही.पी. शुक्ला
बुद्धदेव सिंह
आर.सी. खरे

जे.पी. मिश्रा
आर.एस. पाण्डेय
ए.के. पाण्डे
सी.एस. सिंह
जयंत शील
एस.ए. हुसैन
इलियास खान
राममनोहर पटेल

जमाल किदवई
लीलम्मा सी
इन्दू त्रिपाठी
नसीम इनाम
पी.एस. बातव
ए.बी. पाण्डे
व्ही.डी. सिंह

अन्य संबंद्ध कर्मचारी

यू.सी. राय
श्रीमती विनोद मिश्रा

एकमन सिंह
श्रीमती ज्योति कुलकर्णी

विषय-सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	प्रस्तावना	I
	योजना दल	III
	विषय सूची	V-VIII
	मानचित्रों की सूची	IX
	सारणी सूची	X-XII
	भाग-एक : समस्याओं का विश्लेषण	
अध्याय-1	**नगर परिचय**	**3-16**
1.1	स्थिति	3
1.2	निवेश क्षेत्र	3-7
1.3	नगर पालिक निगम क्षेत्र	8
1.4	पृष्ठ भूमि	8
1.5	भौतिक स्वरूप	9
1.6	प्राकृतिक जल निकास	9
1.7	खनिज संपदा एवं निर्माण सामग्री	10
1.8	जलवायु	11
1.9	जनसंख्या परिवर्तन	11
1.10	नगरीय जनसंख्या वृद्धि	12
1.11	आर्थिक रूप रेखा	13
1.12	नगर के मुख्य कार्यकलाप	16
अध्याय-2	**वर्तमान भूमि उपयोग**	**17-31**
2.1	भूमि की उपलब्धता	17
2.2	भूमि उपयोग का वर्गीकरण	18
2.3	वर्तमान भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोगिता	18
2.4	आवास	19

2.5	वाणिज्यिक	22
2.6	औद्योगिक	24
2.7	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	26
2.8	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा सुविधाएं	30
2.9	आमोद-प्रमोद	30
2.10	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	31
अध्याय-3 : वर्तमान यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना		**33-42**
3.1	यातायात एवं परिवहन	33
3.2	क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना	33
3.3	नगर परिभ्रमण संरचना	36
3.4	परिवहन के साधन	38
3.5	यातायात समस्याएं	38
3.6	नगरीय अधोसंरचना	39
3.7	सेवा सुविधाएं	40
अध्याय-4 : पर्यावरण नियंत्रण		**43-50**
4.1	कोयला उत्खनन तथा ताप विद्युत के प्रभाव	43
4.2	प्रदूषित क्षेत्र का अध्ययन एवं निष्कर्ष	45
4.3	जल की गुणवत्ता	48
4.4	क्षेत्रीय प्रदूषण, अध्ययन एवं नियंत्रण	50
	भाग-दो नियोजन प्रस्ताव	
अध्याय-5 : भावी आवश्यकताएं एवं प्रस्तावित भूमि उपयोग		**53-64**
5.1	नगर के भावी कार्यकलाप	53
5.2	योजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य	54
5.3	योजना आंकलन, क्रियान्वयन अवधि	54
5.4	भावी जनसंख्या का आंकलन	54
5.5	योजना अवधारणा	56
5.6	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन 2011	56

5.7	प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना	57
5.8	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना	63
5.9	ग्राम विकास	64
अध्याय-6 : प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना		**65-72**
6.1	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	65
6.2	परिभ्रमण अवधारणा	65
6.3	क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना	65
6.4	नगरीय परिभ्रमण संरचना	66
6.5	यातायात प्रणाली में सुधार	68
6.6	वाहन विराम स्थल	70
6.7	नगरीय अधोसंरचना	70
6.8	अन्य सेवाएं	71
अध्याय-7 : विकास नियमन		**73-90**
7.1	प्रवृत्तशीलता	73
7.2	क्षेत्राधिकार	73
7.3	परिभाषाएं	74
7.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	75
7.5	नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन	76
7.6	बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण	77
7.7	वन आवास (फार्म हाउस)	77
7.8	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	78
7.9	वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका	79
7.10	औद्योगिक विकास के मानक	83
7.11	सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक	84
7.12	अन्य उपयोग गतिविधियों हेतु विकास नियमन	87
7.13	यातायात नगर के मानक	88
7.14	वाहन विराम स्थल के मापदण्ड	89

7.15 निकास मार्गों की चौड़ाई 91
7.16 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति 92
7.17 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन 94
7.18 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया 96
7.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया 98

अध्याय-8 : विकास योजना का क्रियान्वयन 99-108

8.1 विकास योजना का क्रियान्वयन 99
8.2 विकास योजना क्रियान्वयन की नीति 100
8.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम 101
8.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना 102
8.5 योजना एवं कार्यक्रम 104
8.6 प्रथम चरण कार्यक्रम 105
8.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र 107
8.8 योजना की व्याख्या 108

परिशिष्ट 109-121

मानचित्रों की सूची

मानचित्र क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1.1	निवेश क्षेत्र	4 (अ)
1.2	बसाहट	4 (अ)
2.1	वर्तमान भूमि उपयोग	20 (अ)
3.1	वर्तमान यातायात संरचना	36 (अ)
5.1	प्रस्तावित विकास योजना	56 (अ)
6.1	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	68 (अ)
8.1	प्रथम चरण	106 (अ)

सारणी-सूची

सारणी क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1-सा-1	निवेश क्षेत्र	4
1-सा-2	कोलधारित क्षेत्र	10
1-सा-3	जनसंख्या परिवर्तन	12
1-सा-4	नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि	12
1-सा-5	बरगवां प्रक्षेत्र के ग्रामों की जनसंख्या	13
1-सा-6	कोयला उत्खनन	14
1-सा-7	नगरपालिक निगम की वित्तीय स्थिति	15
2-सा-1	भूमि संसाधन	17
2-सा-2	वर्तमान भूमि उपयोग-2002	18
2-सा-3	आवासीय क्षेत्रों का वर्गीकरण	19
2-सा-4	आवासीय घनत्व	20
2-सा-5	गंदी बस्तियां	21
2-सा-6	आवासों की कमी	22
2-सा-7	नगरपालिक निगम की व्यवसायिक योजनाएं	22
2-सा-8	साप्ताहिक हाट/बाजार	23
2-सा-9	व्यवसायिक प्रतिष्ठान	23
2-सा-10	स्थापित उद्योग	24
2-सा-11	कोयला खनन में कार्यरत कर्मचारी	25
2-सा-12	कोयला उत्पादन	25
2-सा-13	वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं	26
2-सा-14	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	27
2-सा-15	शासकीय पॉलीटेक्निक	28

सारणी क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2-सा-16	एन.सी.एल. द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं	31
2-सा-17	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	32
3-सा-1	नगरीय केन्द्रों की परस्पर दूरी	33
3-सा-2	क्षेत्रीय यातायात (बस)	34
3-सा-3	विद्युत खपत	40
3-सा-4	वर्तमान सेवा सुविधाएं	42
4-सा-1	धुंध एवं आर्द्रता (प्रतिशत)	46
4-सा-2	सल्फर डाई ऑक्साईड (आर्द्रता)	47
4-सा-3	वायु स्तर	47
4-सा-4	जल का रासायनिक विश्लेषण	48
5-सा-1	अनुमानित जनसंख्या	55
5-सा-2	व्यवसायिक संरचना	55
5-सा-3	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन (2011)	56
5-सा-4	अनुमानित आवासों की आवश्यकता	57
5-सा-5	वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन	58
5-सा-6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आवंटन	61
5-सा-7	प्रस्तावित सुविधा केन्द्र	61
5-सा-8	आमोद-प्रमोद हेतु प्रस्तावित भूमि आवंटन	62
5-सा-9	भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	63
6-सा-1	मार्गों की वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई	67
7-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र/उपयोग श्रेणियां	75
7-सा-2	आवासीय भू-खण्ड के विकास हेतु मानक	76
7-सा-3	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	78

सारणी क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
7-सा-4	वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड	80
7-सा-5	थोक वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	81
7-सा-6	औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु मापदण्ड	83
7-सा-7	सेवा सुविधाओं हेतु मापदण्ड	84
7-सा-8	सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड	85
7-सा-9	खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद के मापदण्ड	87
7-सा-10	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	88
7-सा-11	यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड	89
7-सा-12	वाहन विराम स्थल मापदण्ड	89
7-सा-13	मार्गों से लगकर वाहन विराम मापदण्ड	91
7-सा-14	स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग	92
7-सा-15	वर्तमान आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकर एवं निर्मित क्षेत्र	94
7-सा-16	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र हेतु विकास मापदण्ड	96
8-सा-1	योजना कार्यान्वयन की लागत	100
8-सा-2	प्रथम चरण कार्यक्रम की लागत	106

भाग - एक

समस्याओं का विश्लेषण

अध्याय - एक

परिचय

1.1 स्थिति

अतीत काल से अपार खनिज सम्पदा संजोने वाला सिंगरौली प्रक्षेत्र, कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत संयंत्र के स्थापित होने के पश्चात् देश-विदेश में ख्याति प्राप्त कर ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है, मध्यप्रदेश के पूर्वांचल एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तक यह क्षेत्र फैला हुआ है सीधी जिला मुख्यालय के उत्तर पूर्व 108 किलोमीटर एवं संभागीय मुख्यालय रीवा से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह जबलपुर, कटनी, चोपन, मिर्जापुर, हावड़ा आदि नगरों से रेलपथ द्वारा जुड़ा है। निवेश क्षेत्र के उत्तर में इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस (उ.प्र.) दक्षिण में अम्बिकापुर, शहडोल, पूर्व में सोनभद्र (उ.प्र.) तथा पश्चिम में व्यौहारी, शहडोल व रीवा से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसका भौगोलिक विस्तार 25° 12" से 28° 47" दक्षिणी अक्षांश एवं 82° 51" से 81° 48" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह समुद्र सतह से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के साथ ही 200 से 300 मीटर ऊंची पर्वत मालाओं से घिरा है।

1.2 निवेश क्षेत्र

सिंगरौली निवेश क्षेत्र का निर्धारण इसके संस्पर्शी प्रभावित क्षेत्र मध्यप्रदेश के सीधी जिला तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की राबर्टगंज एवं दुग्धी तहसील में उपलब्ध भौतिक आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं का गहन अध्ययन कर उसके समन्वित सर्वांगीण विकास हेतु किया गया। सिंगरौली निवेश क्षेत्र के विकास का सुनियोजित प्रतिरूप देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-123/बत्तीस 97, भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1997 को सिंगरौली निवेश क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 65 ग्राम सहित इसके समीपवर्ती सिंगरौली तहसील के 34 ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र) एवं देवसर तहसील के 4 ग्राम तथा चितरंगी तहसील के 33 ग्राम इस प्रकार कुल 71 ग्राम, ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाते हुए सिंगरौली निवेश क्षेत्र बनाया गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 53754.66 हेक्टेयर (53.75 वर्ग किलोमीटर) तथा 1991 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 174201 है, निवेश क्षेत्र का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : निवेश क्षेत्र

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जनसंख्या 1997
1	2	3	4
	तहसील-सिंगरौली		
	(क) **नगरपालिक निगम क्षेत्र**	**28066.03**	**112246**
1	कोलभरूआ	113.15	16
2	सिंगरौलिया	228.24	931
3	हिरवाह	361.59	2255
4	बिलौजी भटवा	216.94	670
5	पचौरी	38.32	11
6	पचौर	224.27	760
7	नौगढ़	728.00	2168
8	तेलाई	156.00	680
9	देवरा	307.07	1117
10	बैढ़न (नगरीय)	198.11	-
11	गनियारी	793.79	10812
12	विलौजी तेलियान	206.52	-
13	दसौती	109.70	-
14	कचनी	722.23	5641
15	माजन कला	77.04	842
16	माजन खुर्द	126.47	1182
17	पचखोरा	120.13	592
18	अमलोरी (नगरीय)	996.03	10199
19	भरूआ	85.54	-
20	नवानगर	413.41	-
21	मुहेर	1515.23	1565
22	निगाही	937.40	170
23	परेवा	190.27	23
24	छानपाथर	82.56	-
25	घुरौलीखुर्द	144.79	674
26	घुरौली कला	159.52	1413
27	मुड़वानी	351.92	180

1	2	3	4
28	गरदा	253.62	5476
29	बनौली	449.90	998
30	सरसवाह राजा	219.85	6819
31	कुसवई	469.24	404
32	पिंडरताली	491.54	752
33	पंजरेह	645.41	15072
34	मढौली	3338.37	2618
35	चटका	208.79	587
36	झिंगुरदह	1196.27	6485
37	करूआरी	443.22	100
38	दुधीचुआं	1226.81	1355
39	चूरीदेह	635.19	142
40	मझौली (वीरान)	2.14	-
41	इटवा	156.44	681
42	सरसवाह लाल	219.75	3197
43	पिपराटोला (नगरीय)	130.74	
44	जैतपुर	307.89	4454
45	पिपराराजा टोला	79.93	
46	चंदुली (नगरीय)	299.45	
47	क्योटी	51.23	
48	मटवई	152.13	16585
49	जैनगर	322.48	
50	अमझर	403.44	
51	तेलगवां	84.35	943
52	गहिलगढ़ पूर्व	107.57	101
53	परजा सरई	116.39	-
54	गहिलगढ़ पश्चिम	151.25	689
55	जुआड़ी	79.32	783
56	चंदावल	108.21	689
57	सेमरिया	3481.00	155
58	ढ़ेकी	248.02	960
59	धुरीताल	142.20	693

1		2	3	4
60		हर्रई पश्चिम	96.84	677
61		हर्रई पूर्व	78.45	800
62		ढोटी	287.32	1954
63		किरकोली	10.17	-
64		जमुआ	63.91	689
65		बलियारी	1331.96	272
	(ख)	**ग्रामीण क्षेत्र सिंगरौली**	**8292.43**	**25131**
1		पिपराझांपी	480.48	1718
2		बुधेला	170.28	560
3		गड़रिया	456.60	869
4		गुल्ली डांड	80.72	138
5		तेलदह	601.18	1557
6		चिनगी टोला	723.16	1810
7		गदसा	260.82	370
8		डिग्धी	188.80	415
9		राजासरई	221.25	16
10		हरैया	285.92	448
11		चोकरा	224.76	332
12		पोड़ी नौगाई	387.04	2506
13		गड़हरा	245.36	1502
14		देवरी	141.20	328
15		परसौना	105.11	549
16		काजन	49.81	209
17		पड़निया	36.70	179
18		लूरी	44.63	214
19		रजबांध	36.85	369
20		जिन्हर	58.56	167
21		खटखरी	261.54	2182
22		खजुरी	303.47	620
23		कटौली	348.71	1164
24		करकोसा	220.70	787
25		हरदी	119.88	732

1	2	3	4
26	कुशमहरा	93.59	499
27	धतुराबरवा	184.18	558
28	धतुरा पोखरा	120.94	364
29	पड़री	520.77	1388
30	सौलंग	967.65	1199
31	रजखंड	98.44	320
32	सिंगाही	99.41	209
33	ठुरुआ	42.52	316
34	चकुआर	111.40	85
तहसील देवसर		**2064.96**	**6987**
1	कनई	511.72	1004
2	डगा	693.31	1817
3	बरगवां	214.91	2121
4	बरहवा टोला	645.02	2045
तहसील चितरंगी		**15331.04**	**29827**
1	चतरी	937.50	1517
2	चुरकी	2826.12	2596
3	कुन्हुड़	262.82	423
4	खिरवाह	1471.54	2216
5	कठास	131.50	280
6	टिकरी टोला	180.46	278
7	करैला	706.38	2099
8	गोरवी	1701.98	1229
9	नौढ़िया	573.62	5122
10	फुलझर	35.49	45
11	ईगुरा	132.89	167
12	लोटान	482.18	527
13	कसर	621.95	1698
14	महदेइया	323.92	818
15	हर्रइया	42.17	213
16	रामगढ़	67.03	222

1	2	3	4
17	बस्ताली आबाद	19.94	100
18	बस्ताली वीरान	45.61	52
19	उसका	139.38	316
20	जमुअल	57.56	54
21	सेमुआर	543.05	764
22	अंजनी	13.12	99
23	पाली	157.62	272
24	खरकटा	243.93	897
25	गांगी	216.33	327
26	बरहटी	324.01	722
27	भोंडार	427.74	933
28	बरमानी	306.06	990
29	गोंदवाली	822.90	2260
30	चकदादर	25.43	-
31	दादर	559.63	537
32	रमपुरवा	156.36	403
33	भलुगढ़	765.79	1661
	निवेश क्षेत्र (कुल योग)	**53754.66**	**174201**

1.3 नगरपालिक निगम क्षेत्र

क्षेत्र के विकास को सुनियोजित रूप दिये जाने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1975 में साडा का गठन किया गया था। जिसमें 133 ग्राम सम्मिलित किये गये थे, साडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गनियारी शापिंग काम्पलेक्स, नवजीवन विहार, शापिंग काम्पलेक्स, बस स्टेण्ड बैढन एवं कार्यालय परिषद् आदि का विकास किया गया। वर्ष 1995 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा साडा विघटन किया जाकर 27 मई 1995 को नगरपालिक निगम, सिंगरौली की स्थापना की गई। इसमें प्रथमतः 80 ग्रामों को सम्मिलित किया गया तथा 20 मार्च 1996 को 15 ग्रामों को पृथक कर दिया गया। अतः वर्तमान नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 65 ग्राम ही रह गये। वर्तमान नगरपालिक निगम का क्षेत्र 28.066 वर्ग किलोमीटर है।

1.4 पृष्ठ भूमि

सिंगरौली विंध्यप्रदेश का बहुत ही अविकसित क्षेत्र था इस क्षेत्र में हरिजन, आदिवासियों की बहुलता थी। जीवन-यापन का मुख्य आधार प्राकृतिक वन सम्पदा थी। प्राकृतिक वन एवं भू-गर्भ संपदा से भरपूर इस प्रक्षेत्र में जब भू-गर्भ में कोयले के अतुल भण्डार, वन संपदा एवं जल की प्रचुर मात्रा आदि ज्ञात हुई तब सन् 1957 में रेलवे लाईन आने पर अल्प पैमाने पर कोयला खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। 1963 से इस क्षेत्र से निकाला गया

कोयला देश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को निर्यात किया गया। उस समय प्रमाणित तकनीक के अनुसार मांग क्षेत्र के समीप उत्पादन संयंत्र स्थापित करना ज्यादा उचित समझा गया ताकि विद्युत् प्रवाह में होने वाले भारी व्यय एवं अनावश्यक परिवहन से बचा जा सके। इस नीति के तहत विद्युत् संयंत्रों को निर्माण खनन क्षेत्रों के समीप ज्यादा मितव्ययी होने के उद्देश्य से सिंगरौली क्षेत्र को प्रमुख ऊर्जा उत्पाद केन्द्र हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। सिंगरौली विद्युत संयंत्रों की सम्मिलित उत्पादन क्षमता 20000 मेगावाट अनुमानित की गई। प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न विद्युत् उत्पादन के लिए कोयला एवं पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से अपनी क्षमता के अनुरूप अब राष्ट्रीय ऊर्जा राजधानी बनने के दृष्टिकोण से विकसित इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मध्यप्रदेश की सीधी जिले तथा कुछ भाग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आता है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सन् 1965 में झिंगुरदा में प्रथम कोयला खनन का कार्य किया गया। कालान्तर में इस क्षेत्र से कोयला उत्खनन का कार्य प्रचुर मात्रा में किये जाने की स्थिति में अनपरा तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम, शक्तिनगर एवं रिहन्द ताप विद्युत् केन्द्र, बीजापुर-उत्तरप्रदेश में एवं विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर मध्यप्रदेश में स्थापित किये गये। उक्त तीनों सुपर थर्मल पॉवर केन्द्र रिहन्द नदी पर बनाये गये। गोविन्द वल्लभ पन्त सागर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हुआ, जिसके कारण सिंगरौली प्रक्षेत्र का विकास द्रुतगति से हुआ।

1.5 भौतिक स्वरूप

भू-आकृति

यह प्रक्षेत्र अत्यधिक उच्चावच क्षेत्र है, जिसमें रिहन्द बांध के पास तथा जलाशय के निचले क्षेत्र अत्याधिक असमतल है। यहां पर किसी भी वृहद निर्माण के लिए समतल धरातल उपलब्ध नहीं है। कोयलाधारी क्षेत्र तथा जलाशय के बीच कहीं-कहीं छोटे से भाग में समतल मैदानी क्षेत्र मिलता है, यहां के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक कोयले का भण्डार है, जो कि वनों से आच्छादित है। बरगवां से गोविन्द वल्लभ पंत सागर तक का क्षेत्र पहाड़ियों एवं समतल मैदान से घिरा हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित कोयला युक्त क्षेत्र सामान्य समुद्र सतह से 500 मीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है।

भू-गर्भीय संरचना

नगर निगम क्षेत्र में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें जमीन की सतह से 13 मीटर की गहराई तक बलुआ पत्थर का विस्तार पाया जाता है। यह क्षेत्र सामान्यतः भू-गर्भीय हलचलों से प्रभावित नहीं है। यहां पर रेतीली मिट्टी, सैल तथा चूने का पत्थर पाया जाता है। मुख्य रूप से सतही मिट्टी हल्के भूरे रंग की तथा नीचे पीले रंग की पायी जाती है जिसकी गहराई 2 मीटर से 12 मीटर तक है। मिट्टी की ऊपरी सतह गीली होने पर चिपचिपी तथा निचली सतह रेतीली पाई जाती है।

1.6 प्राकृतिक जल निकास

इस क्षेत्र की धरातलीय संरचना उच्चावच होने के कारण प्राकृतिक प्रवाह नियमित नहीं है। कोयला धारी पठार के उत्तरी भाग का प्राकृतिक ढलान उत्तर पूर्व की ओर है जिससे वर्षा का सारा जल नदी के माध्यम से सोन नदी में समाहित होता है। दक्षिण का भू-जल कांचन नदी में जाता है। यह नदी आगे चलकर गोविन्द वल्लभ सागर के पूर्वी मुहाने पर मयार नदी में मिल जाती है। धरातलीय प्रवाह दक्षिणी भाग में प्रवाहित होते हुए कांचन नदी से गोविन्द वल्लभ पन्त सागर में मिल जाता है।

1.7 खनिज संपदा एवं निर्माण सामग्री

यह प्रक्षेत्र खनिज संपदा का धनी है। यहां पर कोयला, वन संपदा तथा जल भण्डार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

1.7.1 कोल भण्डार

सिंगरौली कोयला क्षेत्र में 750 करोड़ मेट्रिक टन कोयले का अनुमानित भण्डार है जिसमें से 270 करोड़ मेट्रिक टन खनन योग्य कोयला उपलब्ध है। दोहन योग्य कोयले के भण्डार की कुल चौड़ाई 24 से 46 मीटर पाई जाती है तथा इस क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला निम्न तापीय दर का है, जिसमें राख की मात्रा अधिक रहती है।

कोयला तथा उसके ऊपर से हटाई जाने वाली मिट्टी का अनुपात वर्तमान में 1:25 से 1:39 तक है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोयला तथा उसके ऊपर मिट्टी का अनुपात 1:6 तक हो सकता है। संपूर्ण कोल क्षेत्र को 9 खदान खण्डों में विभक्त किया गया है, जिसका विवरण सारणी 1-सा-2 में दिया गया है :-

सिंगरौली : कोल धारित क्षेत्र

1-सा-2

क्र.	खदानों के खण्ड का नाम	खदान खण्डों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भण्डार (लाख टनों में)	प्रतिवर्ष दोहन क्षमता (लाख टनों में)	अधिभार मेट्रिक क्यूबिक (मीटर में)
1	2	3	4	5	6
(अ)	**मध्यप्रदेश**				
1	झिंगुरदा	11990000	1210	3.00	1520
2	जयंत	24130000	349	10.00	9070
3	गोरवी	4580000	240	1.00	491
4	अमलोरी	19780000	2960	4.00	13730
5	निगाही	21590000	4910	10.00	18500
(ब)	**उत्तरप्रदेश**				
1	बीना	12840000	1080	4.5	2960
2	ककरी	8280000	720	2.50	1620
(स)	**उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश**				
1	दुधीचुआ	9980000	3450	10.00	11350
2	खडिया	14380000	800	40	3260

1.7.2 वनस्पति

सिंगरौली क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जिसमें मुख्यतः साल, सरई, धवा, तेंदू, साज कहुआ, बहेरा, बांस, खैर एवं ढाक प्रजाति के वृक्ष पाये जाते हैं, मध्यम ऊंचाई के वृक्षों में आंवला, चार एवं खैर के वृक्ष पाये जाते हैं। साल और साज मुख्यतः इमारती लकड़ी हैं तथा बांस का उपयोग कागज उत्पादन में किया जाता है।

1.7.3 जल भण्डार

कोयला भण्डार से परिपूर्ण इस क्षेत्र में उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से रिहन्द नदी पर गोविन्द वल्लभ पंत सागर बांध का निर्माण किया गया। मूल रूप से 6.92 मिलियन वार्षिक क्षमता के लिए प्रकल्पित यह जलाशय इस क्षेत्र का एक मात्र जल स्रोत है।

गोविन्द वल्लभ पंत सागर बांध रेनूकोट (पिपरी उ.प्र.) में स्थित है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र मध्यप्रदेश में भी है, जिसका क्षेत्रफल 5148 वर्गमील है। इससे सिंगरौली क्षेत्र की लगभग 11 कोयला खदानों की जल आपूर्ति की जाती है तथा 4 सुपर थर्मल ताप विद्युत गृहों, विन्ध्याचल, शक्तिनगर, रेनूसागर एवं बीजपुर को जल की आपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा एन.सी.एल. के द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार सिंगरौली क्षेत्र में जल उपलब्धता के आधार पर 20000 मेगावाट की क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1.202 एम.आर.एफ. जल अन्य उपयोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

1.7.4 निर्माण सामग्री

सामान्यतः पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र के भवनों के निर्माण की संरचना कच्चे, अर्द्ध पक्के एवं पक्के मकानों के रूप में हैं। कच्चे मकानों के लिए इमारती लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा पक्के मकानों के लिए अन्य सामग्री के साथ-साथ सोन नदी एवं गोपद नदी में पर्याप्त मात्रा में उत्तम श्रेणी की रेत पाई जाती है तथा पत्थर, पिन्डर ताली एवं औड़ी मोड़ से प्राप्त किया जाता है। ईंटें स्थानीय तौर पर भी तैयार की जाती हैं। कुछ भवन सामग्री आस-पास के नगरों से भी मंगाई जाती है।

1.8 जलवायु

यह क्षेत्र शुष्क एवं अत्यधिक गर्म जलवायु वाला है। मार्च से जून तक गर्म, जून से सितम्बर तक वर्षा, तथा नवम्बर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है। यहां गर्मी में अत्याधिक गर्मी एवं सर्दी में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। अर्थात् मौसम की स्थिति काफी विषम रहती है। वर्षा ऋतु के उपरांत एवं शरद ऋतु के पूर्व का समय शीतल एवं मनोरम रहता है। ग्रीष्म (मई-जून) में तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि शीतलकाल में नवम्बर से फरवरी के मध्य न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है।

1.9 जनसंख्या परिवर्तन

सिंगरौली मुख्यतः सीधी जिले का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौतिक संसाधनों के दोहन के पश्चात् इस क्षेत्र का विकास द्रुतगति से हुआ है जिसमें कोल माइनिंग के क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामीण एवं थर्मल पॉवर संस्थान के

निकटवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो क्रमशः नगरीय क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु बनी जैसे- बैढ़न, मोरवा, विन्ध्यनगर, एन.टी.पी.सी. एवं अमलोरी आदि प्रमुख हैं।

सिंगरौली : जनसंख्या परिवर्तन

1-सा-3

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)			जनसंख्या (लाखों में)		
	नगरीय	ग्रामीण	योग	नगरीय	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1981	0.86	0.18	1.04	-	-	-
1991	1.19	0.55	1.74	38.37	205.55	67.31
2001	1.86	0.89	2.75	56.30	61.82	58.05

1.10 नगरीय जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध रोजगार की उपलब्धता से होता है। भावी जनसंख्या का आंकलन तथा योजना अवधारणा के लिए जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन बहुत आवश्यक है। सारणी 1-सा-4 में विस्तृत विवरण दिया गया है :-

सिंगरौली : नगरीय क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि

1-सा-4

क्रमांक	खण्ड का नाम	जनसंख्या	
		1981	1991
1	2	3	4
1	झिंगुरदा	4058	7072
2	गोरवी	1790	1844
3	जयंत (नगरीय)	4165	13293
4	एन.टी.पी.सी. (नगरीय)	10414	22992
5	बैढ़न	7262	10810
6	मोरवा	10727	15069
7	अमलोरी	3222	15069
8	बरगवां	1334	2121

(अ) बरगवां क्षेत्र

इस क्षेत्र में तीन ग्राम क्रमशः बरगवां, बरहवा टोला एवं डगा सम्मिलित हैं, जिनकी जनसंख्या सारणी 1-सा-5 में दर्शाई गयी है :-

सिंगरौली : बरगवां प्रक्षेत्र के ग्रामों की जनसंख्या

1-सा-5

क्रमांक	ग्राम का नाम	जनसंख्या	
		1981	1991
1	2	3	4
1	बरगवां	1334	2121
2	बरहवा टोला	561	2045
3	डगा	1273	1871
	योग	**3168**	**6037**

यह केन्द्र बरगवां, सिंगरौली के मार्ग संगम पर स्थित है यहां से रेल सुविधा भी उपलब्ध है, विकास की दृष्टि से यातायात पुंजक तथा सहायक एवं अन्य उद्योगों की स्थापना पर्याप्त रूप से हुई है। कोयला खदान तथा कुछ ताप विद्युत संयंत्रों से दूर स्थित होने के कारण यहां प्रदूषण की संभावनाएं भी नगण्य हैं।

(ब) मोरवा क्षेत्र

यह रेलवे लाईन तथा झिंगुरदा और गोरबी खदान क्षेत्र के बीच में स्थित है। यहां की जनसंख्या वर्ष 1981 में 10727 थी, जो कि वर्ष 1991 में बढ़कर 15069 हो गई है। वर्ष 1991 में यह नगरीय केन्द्र की श्रेणी में आ गया है। रेल मार्ग से जुड़ा होने एवं कोयले के परिवहन की सुविधा होने से इसके विकास की अच्छी संभावनाएं हैं तथा यह प्रमुख नगरीय केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। इस क्षेत्र में चारों तरफ कोलधारित क्षेत्र होने से यहां के विकास प्रस्ताव तैयार करते समय इस बिन्दु पर विचार करना आवश्यक है। यद्यपि एन.टी.पी.सी. के आस-पास के क्षेत्रों की वर्तमान में नगरीय केन्द्र के रूप विकसित होने की संभावना नहीं है। क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत अधिकांश जनसंख्या टाउनशिप में व्यवस्थित हो जावेगी तथा शेष अन्य निर्माण स्थलों की ओर प्रस्थान करेंगी।

1.11 आर्थिक रूप रेखा

यह क्षेत्र रेल्वे लाईन एवं सड़क मार्ग द्वारा विभिन्न नगरों से जुड़ा होने के कारण यातायात की दृष्टि से सुदृढ़ कहा जा सकता है, यहां पर उत्खनन होने वाला कोयला एवं अन्य प्राकृतिक संपदा का व्यापार देश-विदेश में सुगमता पूर्वक किया जा रहा है। यहां से उत्तरप्रदेश के महत्वपूर्ण नगर इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, बिहार तथा मध्यप्रदेश में जबलपुर एवं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर आदि नगरों में व्यापार सुगमतापूर्वक किया जाता है।

1.11.1 व्यवसायिक संरचना

पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य सिंगरौली क्षेत्र वर्तमान में कोयला खनन के लिए ख्याति प्राप्त है तथा भविष्य में इसके और अधिक दोहन की प्रबल संभावनाएं हैं।

कोयला खनन

सिंगरौली, भारत के कोयला खनन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तथा भविष्य में और अधिक दोहन की प्रबल संभावनाएं हैं। जिससे इस क्षेत्र में 20,000 मेगावाट ताप-विद्युत उत्पादन किया जाना प्रावधानित है। 1971-81 के दशक से इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया गया था, नवम्बर 1973 में भारत एवं सोवियत संघ के बीच अनुबंध संपन्न हुआ था। 1974 में इस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पर किये गये अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, जो कि सिंगरौली में विभिन्न परियोजनाओं के विकास का माध्यम बनी है।

सारणी क्रमांक 1-सा-6 में इस क्षेत्र के विभिन्न कोयला उत्पादन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : कोयला उत्खनन

1-सा-6

क्रमांक	परियोजना	परियोजना प्रारंभ होने का वर्ष	कोयला उत्खनन प्रारंभ का वर्ष
1	2	3	4
(अ) मध्यप्रदेश			
1	झिंगुरदा	1964-65	1966-67
2	गोरबी	1971-72	1976-77
3	जयंत	1975-76	1976-77
4	अमलोरी	1983-84	1986-87
5	निगाही	1985-86	1987-88
6	दूधीचुआ (म.प्र./उ.प्र.)	1982-83	1992-93
7	खड़िया (म.प्र./उ.प्र.)	1981-82	1991-92
(ब) उत्तर प्रदेश			
1	बीना	1976-77	1976-77
2	ककरी	1981-82	1982-83

1.11.2 विद्युत उत्पादन

इस क्षेत्र में कुल 20,000 मेगावाट क्षमता के उच्च ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है। विन्ध्याचल सुपर थर्मल पवार सिंगरौली निवेश क्षेत्र में स्थित है। विद्युत संयंत्र का निर्माण 1981-91 के दशक में किया गया था। दशक के अंत तक यह कार्य प्रारंभिक स्थिति पर था। वर्ष 1987-88 से दो इकाइयां विद्युत उत्पादन कार्य प्रारंभ कर चुकी हैं। जिसमें प्रतिदिन 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। यह संयंत्र 270 हेक्टर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसमें 1857 कर्मचारी कार्यरत हैं।

1.11.3 कृषि उपज एवं थोक व्यापार

क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या के जीवन निर्वाह का माध्यम कृषि है। कुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत हरिजन/आदिवासियों का है जो आज भी पुरानी पद्धतियों द्वारा कृषि कार्य कर रहे हैं। यहां की प्रमुख फसलें गेहूं, जवा, ज्वार, धान, मक्का, अरहर, चना, मटर, मसूर, उड़द, मूंग, अलसी, राई, सरसों, तिल तथा वनों उपज में महुआ, हर्रा तथा तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है। जिससे ज्ञात होता है कि यहां कि उपलब्ध समतल भूमि की मिट्टी उपजाऊ एवं कृषि के लिए उपयुक्त है। कृषि उपज मण्डी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सन् 1999-2000 में 55535 क्विंटल सन् 2000-2001 में 190167 क्विंटल का उत्पादन हुआ एवं सन् 2001-2002 में लगभग 18.00 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। उक्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि कृषि उपज मण्डी की आय में भी वृद्धि हो रही है। अतः योजना प्रस्ताव में ग्रामीण उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिए प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक होगा।

1.11.4 नगरपालिका की वित्तीय स्थिति

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का आंकलन उस क्षेत्र की स्थानीय निकाय द्वारा विकास कार्यों पर किये गये आय-व्यय से लगाया जा सकता है। सिंगरौली नगरपालिक निगम के आय-व्यय संबंधी विवरण सारणी 1-सा-8 में दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : नगरपालिक निगम की वित्तीय स्थिति

1-सा-7

वर्ष	आय (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
1	2	3
1998-1999	524.37	991.29
1999-2000	443.34	924.55
2000-2001	869.82	624.50
2001-2002	842.65	698.25
2002-2003	1052.29	887.74

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगरपालिका निगम, सिंगरौली की स्थिति काफी सुदृढ़ है तथा आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिससे विकास संबंधी गतिविधियों हेतु धनराशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

1.12 नगर के मुख्य कार्यकलाप

इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकलाप कोयला उत्खनन एवं विद्युत उत्पादन हैं। इसके साथ ही कृषि एवं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक गतिविधियां भी कार्यरत हैं। कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत उत्पादन में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों से संबंधित कार्यालय भी स्थित हैं। इन्हीं संयंत्रों से संबंधित अन्य उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाएं दिये जाने पर विचार किया जाना आवश्यक है।

अध्याय-दो

वर्तमान भूमि उपयोग

किसी भी क्षेत्र के विकास का प्रमुख आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली भौतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाओं तथा प्रशासनिक नीतियों से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र के विकास से संबंधित मुख्य आधार निम्नानुसार हैं :-

1. कोयला उत्खनन
2. ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना
3. रेल सेवा द्वारा नगर का प्रमुख केन्द्रों से संपर्क।
4. कोयला उत्खनन एवं विद्युत संयंत्र के फलस्वरूप वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का विकास।
5. शैक्षणिक संस्थाओं एवं कार्यालयों की स्थापना
6. कोयला उत्खनन से संबंधित विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य औद्योगिक विकास।

विभिन्न पहाड़ियों एवं खाईयों से युक्त असमतल धरातल क्षेत्र है, वर्तमान में कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत उत्पादन से इस क्षेत्र का विकास द्रुतगति से हुआ है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सन् 1965 में झिंगुरदा में प्रथमवार कोयले का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस क्षेत्र में तीन सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन एवं 11 कोयला खदानें कार्यरत हैं। इनमें से एक सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन एवं 7 कोयला खदानें निवेश क्षेत्र में स्थित हैं। यह वर्तमान में न केवल मध्यप्रदेश का, अपितु पूरे देश का महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है तथा इसके औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनायें हैं।

2.1 भूमि की उपलब्धता

सिंगरौली निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 53754.66 हेक्टेयर है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के 65 ग्रामों को भी सम्मिलित किया गया है। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि का विवरण सारणी 2-सा-1 में दर्शाया गया है।

सिंगरौली : भूमि संसाधन

2-सा-1

क्रमांक	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
1	विकसित भूमि	3359.00	6.25
2	उपयोगी भूमि	22829.84	42.47
3	अनुपयोगी भूमि		
	(अ) जलाशय	795.58	1.48
	(ब) वन एवं समतल क्षेत्र	16302.34	30.33
	(स) कोयला धारी क्षेत्र	8368.00	15.57
	(द) पॉवर कॉरीडोर	2100.00	3.91
	कुल क्षेत्र	**53754.66**	**100.00**

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश के सर्वेक्षण पर आधारित

2.2 भूमि उपयोग का वर्गीकरण

भूमि उपयोग समस्याओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि का परिमाप एवं उनके परस्पर संबंध का अध्ययन करना आवश्यक है। इस प्रक्षेत्र में विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपलब्धता का आंकलन करने के लिए भूमि उपयोगों को निम्न 10 वर्गों में विभक्त किया गया है :-

1. आवासीय
2. वाणिज्यिक
3. औद्योगिक
4. सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
5. सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवायें
6. आमोद-प्रमोद
7. यातायात एवं परिवहन
8. रिक्त भूमि
9. कृषि भूमि
10. जलाशय

उपरोक्त वर्गीकरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत नगर के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टरों को तैयार करने में यथास्वरूप उपयोग किया गया है। सिंगरौली निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर, उक्त अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रकाशित कर अन्य वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर धारा 15(4) के अंतर्गत दिनांक 6 अप्रैल, 1979 को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जा चुके हैं।

2.3 वर्तमान भूमि उपयोग एवं भूमि उपलब्धता

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि उपलब्धता सामान्य नगरों से भिन्न है। कोयला उत्खनन एवं विद्युत उत्पादन के दौरान कोयला खदानों से निकलने वाला मलवा (मिट्टी) तथा विद्युत उत्पादन के दौरान निर्मित होने वाली राख के प्रबंधन के लिए भी पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है। नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान भूमि उपयोग की दर 1000 व्यक्तियों के पीछे 23.78 हेक्टर है। इस पूरे क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग की दर 19.30 हेक्टर प्रति हजार व्यक्ति है, जिसका विवरण सारणी 2-सा-2 में दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : वर्तमान भूमि उपयोग-2002

2-सा-2

क्रमांक	भूमि उपयोग का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत	प्रति व्यक्ति भू-उपयोग दर
1	2	3	4	5
1	आवासीय	1800.00	53.59	10.34
2	वाणिज्यिक	60.00	1.79	0.34
3	औद्योगिक	358.00	10.66	02.06
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	195.00	5.80	1.12
5	आमोद-प्रमोद	08.00	0.24	0.05
6	यातायात एवं परिवहन	938.00	27.92	5.39
	(अ) विकसित भूमि	3359.00	-	-
	(ब) उपयोगी भूमि	22829.84	-	-
	(स) अनुपयोग भूमि	27565.82	-	-
	(कुल योग = अ+ब+स)	53754.66	100.00	19.30

उपरोक्त सारणी का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि निवेश क्षेत्र के अंतर्गत विकसित भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 हेक्टर है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 53.59 प्रतिशत है। इसके पश्चात यातायात एवं परिवहन के अंतर्गत 938 हेक्टर भूमि आती है, जो कुल विकसित भूमि का 27.92 प्रतिशत है। इसी प्रकार अन्य उपयोगों, क्रमशः औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 5.80 प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जा रहा है, किन्तु आमोद-प्रमोद के अंतर्गत मात्र 8 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 0.24 प्रतिशत है, जो यहां की आवश्यकता से कम है।

2.4 आवास

आवास, नगर विकास का महत्वपूर्ण घटक है। जीवन की विशेषता आवासीय क्षेत्रों द्वारा निर्मित पर्यावरण पर निर्भर करती है। नगरीय स्वरूप आवासीय क्षेत्रों एवं प्रमुख कार्य कलापों पर निर्भर करता है। अतः मानव बसाहट को संतुलित बनाने के लिए आवासीय विकास आवश्यक है।

सिंगरौली : आवासीय क्षेत्रों का वर्गीकरण

2-सा-3

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	मानक स्तर के क्षेत्र	मध्यम स्तर का क्षेत्र	समस्या ग्रस्त क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	एन.सी.एल. नार्दन कोल फील्ड	झिगुरदा कालोनी	-	-
		दुधी चुआ	-	-
		जयन्त	-	-
		निगाही	-	-
		अमलोरी	-	-
		गोरवी	-	-
		एन.सी.एल. मुख्यालय मोरवा		
2	विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पॉवर	विन्ध्यनगर कालोनी	-	-
3	बैढ़न नगर	गनियारी, विलौजी, सिविल लाईन, माजन मोड नगर निगम द्वारा विकसित कालोनी क्षेत्र	बैढ़न, गनियारी, हर्रई, विलौजी माजन	दसौती, कचनी देऊरा का कुछ क्षेत्र
4	नवजीवन विहार	विस्थापितों हेतु निर्मित कालोनी	-	-
5	मोरवा नगर	मेढोली की नगर निगम द्वारा विकसित कालोनी	बाजार क्षेत्र और उसके आस-पास कालोनी	भगतसिंह कालोनी एवं अन्य गोरवी
6	गोरवी बस्ती	-	-	बस्ती एवं आसपास की आबादी
7	बरगवां	-	मुख्य मार्ग पर स्थित दुकानें एवं आवास	डगा, बरगवां

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र से बाहर विकसित ग्रामीण बस्तियों की बसाहट अत्यन्त अव्यवस्थित एवं सुविधा रहित है। इन क्षेत्रों में आवागमन की समुचित व्यवस्था के साथ नगरीय केन्द्रों से संपर्क स्थापित कर नियोजित विकास हेतु प्रस्ताव दिये जाने की आवश्यकता है।

सिंगरौली : आवासीय घनत्व

2-सा-4

क्रमांक	कॉलोनी/टाउनशिप	आवासीय क्षेत्र (हेक्टर में)	जनसंख्या (प्रति हेक्टर)	आवासीय घनत्व
1	2	3	4	5
1	एन.सी.एल.			
	झिगुरदा	50.44	7485	148
	गोरवी	49.92	1729	87
	जयन्त	103.84	7819	75
	दुधी चुआ	75.40	2355	31
	अमलोरी	35.08	10910	311
	निगाही	178.28	3138	18
	योग	**462.96**	**33436**	**72**
2	**राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम**			
	विन्ध्य नगर	260.16	21565	83
	नवजीवन विहार कॉलोनी	39.20	विन्ध्य नगरीय	-
	पुर्नवास		क्षेत्र में शामिल	-
	योग	**299.36**	**21565**	**83**
3	**बैढ़न परिसर**			
	बैढ़न	521.48	43549	83
	मोरवा	98.64	12330	125
	योग	**620.12**	**55897**	**90**
4	बरगवां क्षेत्र			
	बरगवां	63.84	8120	127
	योग	**63.84**	**8120**	**127**
	महायोग	**1446.28**	**119000**	**82**

उपरोक्त नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान विकसित आबादी क्षेत्र 353.72 हेक्टर है, इस प्रकार निवेश क्षेत्र का वर्तमान आवासीय क्षेत्र 1800 हेक्टर है। सिंगरौली निवेश क्षेत्र के आवासीय घनत्व के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यहां के नगरीय क्षेत्र का आवासीय घनत्व 82 व्यक्ति प्रति हेक्टर है।

साथ ही क्षेत्रवार घनत्व में काफी भिन्नता है। विन्ध्यनगर क्षेत्र में 72 व्यक्ति प्रति हेक्टर आवासीय घनता पाई गई एवं अमलोरी में 311 व्यक्ति प्रति हेक्टर पाई गई। एन.सी.एल. तथा एन.टी.पी.सी. की विकसित सभी कॉलोनियों में आवासीय घनता एक समान नहीं है।

2.4.1 सिंगरौली गंदी बस्तियां

जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि के कारण नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्तियां विकसित होती हैं। सामान्यतः लोग रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्र में आते हैं तथा रोजगार प्राप्त कर नदी, नाले या तालाब आदि के किनारे खुली भूमि में अव्यवस्थित रूप से बस जाते हैं। इनकी बसाहट का कोई स्वरूप नहीं होता तथा इनके लिए बुनियादी सुविधाएं नगण्य होती हैं। सिंगरौली नगर में इसी परिवेश के आधार पर गंदी बस्तियां निर्मित हुई हैं, जिनका विवरण सारणी 2-सा-5 में दिया गया है :-

सिंगरौली : गन्दी बस्तियां

2-सा-5

क्रमांक	बस्तियों का नाम एवं स्थिति	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	परिवारों की संख्या	जनसंख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	बैढ़न पुरानी आबादी वाला क्षेत्र	1	198.11	600	4154
2	कंचनी	1	722.54	200	3896
3	दसौती	1	168.11	50	506
4	बिलौजी	1	206.52	120	922
5	हर्रई पूर्व	1	230.06	100	516
6	हनुमान मंदिर के पास	1	-	500	2500
7	हरिजन बस्ती सर्किट हाऊस के पीछे	1	-	350	1800
	योग	**7**	**1525.34**	**1920**	**14294**

2.4.2 आवासों की कमी

1991 की जनगणना के अनुसार नगर की जनसंख्या 119000 हैं, जिसमें 23800 परिवार हैं तथा 22800 परिवारों के पास निवास के लिए मकान हैं। इस प्रकार उपलब्ध मकान तथा परिवार के आधार पर परिवार का औसत आकार 6 आता है। प्रत्येक परिवार के लिए एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता की अवधारण के आधार पर सिंगरौली नगर समूह के लिए वर्ष 1991 में 1000 आवासों की कमी पाई गई।

आवासों के आंकलन में नगर समूह को लिया गया है। क्षेत्र में स्थित गंदी बस्ती का 80 प्रतिशत तथा वर्तमान मकानों का 2 प्रतिशत पुनर्निर्माण के लिए कमी के रूप में शामिल करते हुए नगरीय क्षेत्र में कुल 3012 आवासों

की कमी आंकलित की गयी जिसका विवरण सारणी 2-सा-6 में दिया गया है :-

सिंगरौली : आवासों की कमी

2-सा-6

क्रमांक	विवरण	मकानों की संख्या	प्रतिस्थापन योग्य मकानों का प्रतिशत	आवासों की कमी 1991
1	2	3	4	5
1	वर्ष 1991 तक शेष पूर्ति	-	-	1000
2	गंदी बस्ती के आवास	1920	80%	1536
3	निकृष्ठ आवासों का पुनर्निर्माण	23000	2%	476
	योग	-	-	**3012**

2.5 वाणिज्यिक

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत कुल विकसित भूमि का 60.00 हेक्टर भूमि वाणिज्यिक उपयोग में लायी जा रही है। जो विकसित क्षेत्र का 1.94 प्रतिशत है। यहां का मुख्य बाजार बैढ़न बस स्टेण्ड के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त नवजीवन विहार, मोरवा, नवानगर एवं बरगवां में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार क्षेत्र है। यहां विशेषीकृत बाजार का अभाव है, नगर निगम द्वारा वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कराया गया है, जिसका विवरण सारणी 2-सा-7 में दिया गया है :-

सिंगरौली : नगरपालिक निगम की व्यवसायिक योजनायें

2-सा-7

क्रमांक	नगर/योजना का नाम	कुल दुकानों की संख्या
1	2	3
(अ)	**बैढ़न विलौजी**	489
(ब)	**नवजीवन विहार**	
	1. शिवाजी काम्पलेक्स	118
	2. कादम्बरी काम्पलेक्स	80
	3. मीट मार्केट	04
	4. व्यवसायिक भू-खण्ड	24
(स)	**मोरवा**	
	1. न्यू मार्केट	44
	2. व्यवसायिक परिसर	102
	3. लघु व्यवसायिक भू-खण्ड	166
	योग	**1027**

नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बैढ़न, नवजीवन विहार तथा मोरवा के अंतर्गत व्यवसायिक भू-खण्ड विकसित किये गये हैं। जिसमें से अधिकांश भू-खण्डों का आवंटन किया जा चुका है तथा कुछ भू-खण्ड रिक्त हैं। इसी प्रकार बैढ़न में स्टेडियम के पास तथा बस स्टेण्ड के पास भी दुकानों का निर्माण किया गया है। जो इस क्षेत्र के अधिवासियों के दैनिक उपयोग की वस्तुओं के क्रय-विक्रय का प्रमुख स्थान है। इस क्षेत्र में लगने वाले हाट/बाजारों का विवरण सारणी 2-सा-8 में दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : साप्ताहिक हाट/बाजार

2-सा-8

क्रमांक	ग्राम का नाम	बाजार का दिन
1	2	3
1	बरगवां	सोमवार
2	बैढन	मंगलवार/शुक्रवार
3	मढोली (मोरवा)	रविवार
4	जयन्त	बुधवार/शनिवार
5	मकरोहर	गुरुवार
6	गोरबी	गुरुवार, शनिवार, रविवार
7	परसोना	गुरुवार
8	नवजीवन विहार	रविवार
9	अमलोरी	रविवार/गुरुवार
10	नवानगर	शुक्रवार

सिंगरौली में स्थित दुकानें, होटल, रेस्टोरेन्ट, छविगृह एवं मनोरंजन आदि का विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 2-सा-9 में दिया गया है :-

सिंगरौली : व्यवसायिक प्रतिष्ठान

2-सा-9

क्र.	विवरण	दुकानें	होस्टल/रेस्टोरेंट	छविगृह	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	एन.टी.पी.सी. टाउनशिप	82	3	3	2	90
2	एन.सी.एल. टाउनशिप	80	15	12	-	107
3	बैढ़न	225	10	1	-	236
4	बरगवां	35	5	-	6	46
5	मोरवा	375	11	-	-	386
	योग	**797**	**44**	**16**	**8**	**865**

2.6 औद्योगिक

सिंगरौली क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 358.00 हेक्टर भूमि उपयोग की जा रही है जो कुल विकसित भूमि का 8.02 प्रतिशत है। 1965 में कोयला उत्खनन के पश्चात् इस क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के साथ ही औद्योगिक विकास में काफी प्रगति हुई है। इससे संबंधित अन्य छोटे-छोटे सहायक उद्योग स्थापित हुए, जिसके कारण वर्तमान में यह क्षेत्र औद्योगिक ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाने लगा है। अतः इस क्षेत्र के भावी विकास के प्रस्ताव यहां के औद्योगिक परिवेश को ध्यान में रखते निर्धारित करना आवश्यक होगा। वर्तमान औद्योगिक इकाईयों की स्थिति सारणी 2-सा-10 में दी गयी है :-

सिंगरौली : स्थापित उद्योग

2-सा-10

क्र.	इकाई का नाम	स्थिति	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	इन्डोगल्फ विस्फोटक	जयन्त से नवानगर	1.21	15
2	आई.जी.एल.विस्फोटक	जयन्त से नवानगर	1.21	30
3	आई.सी.आई. विस्फोटक	जयन्त से नवानगर	1.21	30
4	आई.बी.पी. विस्फोटक	जयन्त से नवानगर	1.21	80
5	इन्डस्ट्रीयल गैस बैढन	बैढन से विहार रोड	0.82	42
6	रीवा गैसेस	गनियारी इण्डस्ट्रीयल	1.82	60
7	मे. कर्नाटका	एरिया गनियारी	1.00	12
8	भारत एक्सप्लोसिव	गनियारी इण्डस्ट्रीयल	0.60	12
9	नवभारत एक्स लिमिटेड	गनियारी	0.92	18
10	ब्लास्टेड इण्डिया	बैढन	0.50	15
11	बैढ़न इंजीनियरिंग सुपर रिट्रेडिंग	गनियारी औद्योगिक	0.60	15
12	रूपनपुरा एमल प्लांट	गनियारी औद्योगिक परिक्षेत्र	0.80	10
13	कृष्णा केमिकल	गनियारी औद्योगिक परिक्षेत्र	0.40	4
14	कृष्णा रबर रिट्रेडिंग	गनियारी औद्योगिक परिक्षेत्र	0.25	4
15	कृष्णा स्टोन	गनियारी औद्योगिक परिक्षेत्र	0.50	6
16	आर.एस.डी. ह्यूम पाईप	गनियारी औद्योगिक परिक्षेत्र	0.50	8
17	मिश्रा एण्ड ब्रदर्स	मोरवा	0.60	20
	योग		**14.13**	**381**

सगरौली : कोयला खनन में कार्यरत कर्मचारी

2-सा-11

क्र.	इकाई का नाम	स्थिति	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	एन.सी.एल. मुख्यालय	मोरवा से झिगुरदा	99	933
2	जयन्त परियोजना	दुधीचुआ से जयन्त	2413	2881
3	निगाही परियोजना	मोरवा से नवानगर	2159	1769
4	अमलोरी परियोजना	नवानगर से मोरवा	1978	1666
5	दुधीचुआ परियोजना	मोरवा से जयन्त	993	1884
6	झिगुरदा परियोजना	मोरवा से अरपरा	1999	1591
7	गोरबी परियोजना	मोरवा से बरगवां	458	-
8	गोरबी बी	मोरवा से बरगवां	719	826
	योग		**10818**	**11550**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि यहां के उद्योगों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उसका मुख्यतः कोयला उत्खनन के लिए उपयोग किया जाता है। इन उद्योगों की स्थापना गनियारी औद्योगिक क्षेत्र परिसर के अंतर्गत है। विकास योजना में इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए औद्योगिक परिक्षेत्र निश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

सिंगरौली क्षेत्र में वर्षवार कोयले का जो उत्पादन हुआ है, उससे संबंधित आंकड़े निम्नलिखित सारणी क्रमांक 2-सा-12 में दिये जा रहे हैं :-

सिंगरौली : कोयला उत्पादन

2-सा-12

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1	2	3
1	1985-86	116.15
2	1986-87	136.01
3	1987-88	165.05
4	1988-89	196.34
5	1989-90	232.76
6	1990-91	278.83
7	1991-92	308.85
8	1992-93	307.03
9	1993-94	314.11
10	1994-95	325.04

2.6.1 औद्योगिक अधोसंरचना

किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए विकसित भूमि की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में जल एवं विद्युत, यातायात संचार व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक अवशिष्ट का समुचित प्रबंधन एवं पर्याप्त वितरण व्यवस्था आदि का सुचारू रूप से व्यवस्थापन होना आवश्यक होता है। सिंगरौली प्रक्षेत्र इन सुविधाओं का धनी है, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार की औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं, उनके लिए पर्याप्त जल, कोयला, वन तथा वड़े नगरों से रेल द्वारा संपर्क स्थापित है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मध्यप्रदेश में उच्च ताप विद्युत संयंत्रों को लगाने के लिए इन स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थलों में से विन्ध्याचल उच्च ताप विद्युत संयंत्र तथा विन्ध्य नगर टाउनशिप का निर्माण किया गया है, जिसमें 210 मेगावाट विद्युत क्षमता की 6 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। शेष इकाइयां आगामी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने की संभावनाएं हैं।

2.7 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

वर्तमान में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 195 हेक्टर भूमि उपयोग की जा रही है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 4.38 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शैक्षणिक, प्रशासकीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अपने क्षेत्र में 40 विस्तरों का एक चिकित्सालय स्थापित किया गया है। इसी प्रकार एन.सी.एल. द्वारा मोरवा में 15 विस्तरों का तथा नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत में 150 विस्तरों का एवं बीना में 35 विस्तरों का चिकित्सालय तथा परियोजनाओं में औषधालय स्थापित किये गये हैं। शेष क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता अपर्याप्त है। वैढ़न में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा 30 विस्तरों वाला अस्पताल है तथा बरगवां में एक चिकित्सालय है। मोरवा में एक शासकीय औषधालय तथा नवानगर, बरगवां एवं गोरवी में आयुर्वेदिक औषधालय है।

सिंगरौली : वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं

2-सा-13

क्रमांक	चिकित्सालय का नाम	संख्या	बिस्तरों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1	शासकीय चिकित्सालय वैढ़न	1	30
2	एन.सी.एल. चिकित्सालय		
	(अ) केन्द्रीय चिकित्सालय मोरवा	1	15
	(व) नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत	1	150
3	एन.टी.पी.सी. चिकित्सालय जयंत	1	40
4	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	4	-
5	निजी प्रसूति गृह	2	-
6	निजी नर्सिंग होम	2	-
7	डिस्पेन्सरियों की संख्या	2	-
8	शासकीय चिकित्सालय वरगवां	1	1
	योग	**15**	**236**

2.7.1 शैक्षणिक

सिंगरौली क्षेत्र के ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित होने पर कई तकनीकी एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। यहां पर संचालित शैक्षणिक संस्थानों का स्तर उत्तम श्रेणी का कहा जा सकता है, किन्तु नगरीय क्षेत्र के विकास की दृष्टि से उच्च शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के लिए प्रोस्ताहित किया जाना आवश्यक है।

(अ) इस क्षेत्र में कुल 4 तकनीकी शैक्षणिक संस्थाएँ है :-

1. केन्द्रीय कार्यपालन प्रशिक्षण संस्थान, सिंगरौली
2. विविध शिल्पकला मंदिर, बैढन
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेलाई (बैढ़न)
4. शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज, पचोर (बैढ़न).

सिंगरौली : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

2-सा-14

क्र.	ट्रेडों के नाम	अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या	छात्रों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्रीड़ा स्थल	भवन का स्वामित्व
1	2	3	4	5	6	7
1	विद्युतकार	2	32	5.0	उपलब्ध	शासकीय
2	फिटर	1	29	-	-	-
3	ड्राफ्टमेन सिविल	2	28	-	-	-
4	टर्नर	1	7	-	-	-
5	मोटर मेकेनिक	2	38	-	-	-
6	डीजल मेकेनिक	2	30	-	-	-
7	ट्रेक्टर मेकेनिक	2	32	-	-	-
8	वेल्डर	-	12	-	-	-
9	कारपेन्टर	1	-	-	-	-
10	भवन निर्माण	1	-	-	-	-
11	स्टेनोग्राफी अंग्रेजी	2	13	-	-	-
12	कटिंग टेलरिंग	1	10			
	योग	**17**	**231**	**5.0**	-	-

(अ) शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थिति

बैढ़न में एक पॉलीटेक्निक संस्थान है, जिसका विवरण निम्न सारणी क्रमांक-2-सा-15 में दिया गया है।

सिंगरौली : शासकीय पॉलीटेक्निक

2-सा-15

क्र.	संस्था का नाम	ट्रेडों के नाम	अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या	छात्रों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्रीड़ा स्थल	भवन का स्वामित्व
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय पॉलीटेक्नीक पचोर	इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल	60	225	25.94	नहीं	शासकीय
	योग		**60**	**225**	**25.94**	-	-

(स) सामान्य शिक्षा

1. महाविद्यालय

विलौजी में मात्र एक शासकीय स्नातक महाविद्यालय है, जो कि 5.0 हेक्टर क्षेत्र में है। बैढ़न क्षेत्र में महाविद्यालयीन शिक्षा सुविधा का विस्तार विचाराधीन है। मोरवा में एक अशासकीय कला एवं विधि महाविद्यालय है तथा विन्ध्य नगर में अशासकीय सांई महाविद्यालय है, जिसमें भावी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

बैढ़न में दो, पंजदेह में एक, बरगवां में एक एवं मोरवा में दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त मोरवा में एन.सी.एल. द्वारा संचालित एक केन्द्रीय विद्यालय तथा विन्ध्य नगर में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस प्रकार कुल 8 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहां की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। 20,000 की जनसंख्या पर एक इकाई उपलब्ध है।

विन्ध्य नगर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित इंटर मीडिएट स्तर की (10अ2) पूर्व माध्यमिक विद्यालय 1, नर्सरी 1, माध्यमिक विद्यालय तथा एन.सी.एल. द्वारा केन्द्रीय विद्यालय को छोड़कर अन्य संस्थानों में न तो खुला मैदान है और न ही विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि ही उपलब्ध है।

3. माध्यमिक विद्यालय

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 33 माध्यमिक विद्यालय हैं। लगभग आधे विद्यालय में खेल के मैदान उपलब्ध नहीं हैं। एन.सी.एल. तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित विद्यालयों तथा मोरवा एवं बैढ़न में स्थित विद्यालयों में खेल के मैदान हैं।

4. प्राथमिक विद्यालय

अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही प्राथमिक विद्यालय संलग्न हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 49 प्राथमिक विद्यालय हैं।

माध्यमिक विद्यालयों में भी 13 प्राथमिक विद्यालय संलग्न हैं, जिनका प्राथमिक विद्यालयों में अलग से समावेश नहीं किया गया है। इस प्रकार जनसंख्या के अनुसार प्रति 2700 व्यक्तियों पर एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। नगरीय क्षेत्र में यह दर 3400 व्यक्ति तक बढ़ जाती है। अधिकांश विद्यालयों में परिसर से लगकर विकसित खेल मैदान नहीं हैं।

2.7.2 कार्यालय

कोयला उत्खनन एवं विद्युत उत्पादन के कारण इस क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालय स्थित हैं। इसमें एन.सी.एल. एवं व्ही.एस.टी.पी.पी. के क्षेत्र में अधिकांश केन्द्र सरकार के कार्यालय तथा शेष अन्य क्षेत्र बरगवां, बैढ़न, मोरवा में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालय संचालित हैं। नगर निगम कार्यालय, तहसील कार्यालय, अपर कलेक्टर कार्यालय, न्यायालय, प्रदूषण निवारण मण्डल एवं बैंक बैढ़न में अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं। इन कार्यालयों का कोई एक निर्धारित परिसर नहीं है। इसे एक स्थान पर रखे जाने के उद्देश्य से विकास योजना में एक प्रशासनिक स्थल सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2.7.3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं

वर्तमान में इस क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सामुदायिक भवनों की संख्या नगरवासियों के लिए नगण्य है। एक सामुदायिक केन्द्र बैढ़न में है तथा विन्ध्य नगर में दो सामुदायिक भवन हैं, जो विन्ध्य नगर के उपयोग में लाये जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष भी निर्मित है। एन.सी.एल. मोरवा में 6 सामुदायिक सभा भवन एवं 22 क्लब की सुविधाएं केवल इन्हीं संस्थाओं के लिए उपलब्ध हैं। ग्राम विलौजी में इंदिरा स्मृति के नाम से भवन विकसित करने का प्रस्ताव है। विकास योजना में प्रत्येक सेक्टर में इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव आवश्यक है।

2.8 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा सुविधायें

इस उपयोग के अंतर्गत 195 हेक्टेयर भूमि का उपयोग हो रहा है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 5.80 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत विद्युत केन्द्र, उपकेन्द्र, श्मशान, कब्रिस्तान, जल प्रदाय, जल-मल निकास एवं अग्नि शमन आदि आते हैं।

2.9 आमोद-प्रमोद

क्षेत्र में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत मात्र 8 हेक्टेयर भूमि उपयोग में ली जा रही है। जो कुल विकसित क्षेत्र का 0.21 प्रतिशत है जो नगर के स्वरूप को देखते हुए बहुत कम है। इसकी सुविधा विन्ध्य नगर एवं मोरवा में ही उपलब्ध हे। विकास योजना में इस उपयोग हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार प्रस्ताव दिये जाना आवश्यक है।

(अ) उद्यान

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत बैढ़न, मोरवा तथा विन्ध्य नगर में एक-एक उद्यान वर्तमान में है, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम हे। आवासीय क्षेत्रों में खुले स्थानों में छोटे-छोटे उद्यानों के साथ क्षेत्रीय उद्यान के रूप में विकसित किये जाने का योजना में प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक है।

(ब) खेल मैदान

नगर में खेल के लिए कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं हे। खुले मैदानों में ही इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें सुविधाओं का अभाव होता है। अतः इस गतिविधि हेतु विकास योजना में प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक है। जिससे खेलकूद से संबंधित गतिविधियों का नगरवासियों को लाभ प्राप्त हो सके।

(स) स्टेडियम

बैढ़न एवं विन्ध्य नगर में स्टेडियम होने से इसकी सुविधा नगरवासियों को प्राप्त हो रही है। क्षेत्र के भावी विकास को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर स्टेडियम बनाये जाने का प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

(द) ताप विद्युत परियोजनाओं एवं एन.सी.एल. क्षेत्र में स्थित सेवा-सुविधायें

सुपर थर्मल पावर एवं एन.सी.एल. द्वारा अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों को जो सुविधायें प्रदान की गयी हैं, उनसे संबंधित आंकड़े सारणी क्रमांक 2-सा-16 में दिये जा रहे हैं।

सिंगरौली : एन.सी.एल. द्वारा प्रदाय की जा रही सुविधायें

2-सा-16

क्रमांक	सुविधायें	संख्या
1	2	3
1	चिकित्सालय	13
2	शैक्षणिक सुविधायें (संस्थायें)	51
3	आवास 8 प्रतिशत	16304
4	क्लब	22
5	अन्य सुविधायें -	
	1. बैंक (अतिरिक्त काउन्टर सहित)	17
	2. केन्टीन	34
	3. बच्चों के लिए पार्क	15
	4. स्टेडियम	2
	5. लायब्रेरी	12
	6. कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गये एल.पी.जी. कनेक्शन	15720

2.10 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

इस क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत कई संस्थान स्थान की कमी, संकीर्ण मार्ग एवं आसपास के भूमि उपयोग से सामंजस्यता न रखने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करते हैं। जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होने एवं यातायात संबंधी समस्यायें उत्पन्न होने से इन्हें वर्तमान स्थल पर सतत् कार्यरत रखना उचित नहीं होगा। ऐसे उपयोगों की कार्यक्षमता वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोग की श्रेणी में लाते हुए अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना आवश्यक होगा।

सिंगरौली : असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

2-सा-17

क्र.	भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल	समस्या
1	2	3	4
1	बरगवां दाल मिल एवं आरा मशीन	बरगवां बस स्टेण्ड के पास	ध्वनि एवं धूल प्रदूषण
2	अनाज/सॉ-मिल	जमुआ ग्राम	ध्वनि एवं धूल प्रदूषण
3	दोटी एसीटलीन गैस प्लांट	नवजीवन विहार के पास	आवासीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
4	दालमिल	बैढ़न सिंचाई कार्यालय के पीछे	ध्वनि प्रदूषण
5	आरा मशीन	भरतसिंह कालोनी मैढ़ौली, दुधीचुआ रोड	ध्वनि प्रदूषण
6	आरा मशीन	सर्किट हाउस रोड, मेढौली	ध्वनि प्रदूषण
7	वियर हाउस	बाली गांव थाने के पास	पर्यावरण समस्या
8	आवासीय बस्ती	पावर कोरीडोर एवं कोयला खनिज धारी क्षेत्र	आकस्मिक, भावी दुर्घटना की संभावना
9	खजूरी, कटौली एवं सिंगरौलिया	प्रस्तावित हवाई पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत	हवाई पट्टी क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण दुर्घटना तथा भू-अर्जन से उड्डयन विभाग के क्षेत्राधिकार में होने से।

(ख) अकार्यक्षम भूमि उपयोग

बैढन मध्यवर्त सघन आबादी के बीच मोहन छविगृह संचालित है, जिससे पार्किंग एवं स्थान के अभाव में यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। अतः इसे अकार्यक्षम उपयोग की श्रेणी में लाते हुए वर्तमान स्थल से स्थानांतरित किया जाना उचित होगा।

वर्तमान यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

3.1 यातायात एवं परिवहन

नगर के बढ़ते हुए आकार के कारण यातायात एवं परिवहन की सक्षम व्यवस्था नितांत आवश्यक है, जो नगर की परिभ्रमण संरचना पर निर्भर करती हैं नगर में जनित यातायात नगर के प्रमुख कार्य केन्द्रों एवं भूमि उपयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर आधारित है। नगर की परिभ्रमण संरचना, यातायात स्वरूप, यातायात मात्रा, मार्ग क्षमता आदि सभी नगर में एक स्थान से दूसरे पर जाने में लगने वाला समय, दूरी आदि को निर्धारित करती है।

3.2 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना

सिंगरौली निवेश क्षेत्र का मुख्य यातायात केन्द्र बरगवां है, यहां से प्रारंभ होकर दो प्रमुख मार्ग क्रमशः मोरबा होते हुए बनारस एवं बैढ़न होते हुए बनारस को जाते हैं। इन दोनों मार्गों के मध्य में ही नगर का प्रमुख कार्य केन्द्र आधारित है। यहां की परिभ्रमण संरचना अंग्रेजी के व्ही (V) आकार की है। सिंगरौली क्षेत्र के प्रमुख नगरीय कार्य केन्द्र बैढ़न मोरवा एवं बरगवां है, जो एक दूसरे से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा सड़क मार्ग द्वारा त्रिज्याकार रूप से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में रेल एवं सड़क दोनों प्रकार की यातायात सुविधायें उपलब्ध हैं। सिंगरौली से रेल संपर्क निम्नानुसार है :-

(1) सिंगरौली-कटनी (म.प्र.)

(2) सिंगरौली-चौपन (उ.प्र.)

(3) सिंगरौली-शक्तिनगर (उ.प्र.)

सिंगरौली : नगरीय केन्द्रों की परस्पर दूरी

3-सा-1

क.	मार्ग का नाम	स्तर	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1	सिंगरौली-सीधी	राष्ट्रीय राज्य मार्ग	105.00
2	सिंगरौली-रीवा (व्हाया गुढ़)	राष्ट्रीय राज्यमार्ग	195.00
3	सिंगरौली-सतना (व्हाया) गोविन्दगढ़	राज्यमार्ग	247.00
4	सिंगरौली-मिर्जापुर	राजमार्ग	140.00

बस्ती क्षेत्र से गुजरने वाला क्षेत्रीय मार्ग समस्याग्रस्त है। क्योंकि इनकी चौड़ाई बहुत कम है तथा मार्गों के किनारे गुमठियां एवं पान ठेलों आदि स्थित होने से यह अतिक्रमण प्रभावित है। मार्गों की वर्तमान समस्याएं निम्नानुसार हैं :-

1. क्षेत्रीय मार्गों की चौड़ाई निर्धारित नहीं है।
2. नगर में क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात कई स्थानों पर आपस में मिश्रित हो जाते हैं।
3. क्षेत्रीय मार्गों की चौड़ाई नगर के मध्य कुछ स्थानों पर अतिक्रमणों से प्रभावित है।
4. क्षेत्रीय मार्ग एवं नगरीय मार्गसंगम यांत्रिकी एवं नियोजन की दृष्टि से विकसित किया जाना आवश्यक है।
5. वर्तमान निजी बस अवसान केन्द्र नगर के मध्य में है। जहां अनियमित वाहन विराम इत्यादि से मार्गों पर यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है।

(अ) क्षेत्रीय यातायात (यात्री)

सिंगरौली से कटनी, मिर्ज़ापुर, चोपन, रीवा, सीधी एवं अम्बिकापुर इत्यादि महत्वपूर्ण नगरों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध है। यहां पर अधिकांशतः निजी कम्पनियों द्वारा यात्री बस सेवा संचालित की जा रही है, क्षेत्रीय मार्गों की बस यातायात का विवरण निम्नानुसार हैं :-

सिंगरौली : क्षेत्रीय यातायात (बस)

3-सा-2

क्र.	सिंगरौली से अन्य नगरों तक के लिए	आगमन	बर्हिगमन
1	2	3	4
1	सिंगरौली से रीवा	13	13
2	सिंगरौली से सीधी	8	8
3	सिंगरौली से हनुमना	4	4
सिंगरौली तथा बैढ़न से गुजरने वाली बसें			
4	शक्तिनगर से रीवा	1	1
मोंरवा से प्रारंभ तथा समाप्त होने वाली एवं बैढ़न से गुजरने वाली बसें			
5	सिंगरौली से जबलपुर	1	1
6	सिंगरौली से सतना	1	1
7	सिंगरौली से झिंगुरदा	4	4
8	सिंगरौली से माडा	5	5

1	2	3	4
बैढ़न से प्रारंभ एवं समाप्त होने वाली बसें			
9	बैढ़न से परसुआ	3	3
10	बैढ़न से अमिलिया	2	2
11	बैढ़न से सरई	1	1
12	बैढ़न से बरगवां	10	10
13	बैढ़न से गोरवी	7	7
बैढ़न से गुजरने वाली बसें			
14	रीवा से माडा	3	3
15	रीवा से गोरवी	2	2
16	रीवा से शक्तिनगर	1	1
17	रीवा से विन्ध्यनगर	2	2
18	सीधी से मोरवा	8	8
19	सीधी से शक्तिनगर	1	1
20	मोरवा से हनुमना	3	3
21	विन्ध्यनगर से सरई	3	3
22	माडा से चितरंगी	4	4
23	बैढ़न से अम्बिकापुर	1	1
24	बैढ़न से भगवानपुर	1	1
25	बैढ़न से मकरोहर	1	1
26	बैढ़न से कपुरदही	1	1
27	बैढ़न से बकदरी	1	1
28	विन्ध्यनगर से जोनपुर	2	2
29	जबलपुर से शक्तिनगर	1	1
	योग	**95**	**95**

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि लगभग अधिकांश बसें बैढ़न से प्रारंभ होती हैं अथवा गुजरती हैं बस यातायात के परिप्रेक्ष्य में बैढ़न प्रमुख नगर के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश से आने वाली अधिकांश बसें सिंगरौली में विराम करती हैं।

अधिकतर बसें विन्ध्य नगर, मोरवा, बैढ़न, रीवा मार्ग पर चलती हैं। अतः शहर में एक बाह्य मार्ग की आवश्यकता है। ताकि क्षेत्रीय यातायात शहरी यातायात से मिश्रित न हो सके। वर्तमान में मोरवा, बैढ़न यहां के यातायात पुंजक की भूमिका निभाते हैं। विन्ध्यनगर में बस स्टेण्ड स्थापित किया गया है। बैढ़न से प्रारंभ होने वाली या गुजरने वाली बसें विन्ध्यनगर में भी रुकती हैं। क्षेत्रीय यातायात में बसों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा लाभ नगर को प्राप्त हो रहा है।

(ब) क्षेत्रीय यातायात (माल)

क्षेत्रीय यातायात माल परिमाण नगर की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का द्योतक है। यह क्षेत्र कोयला उत्खनन का निर्यात एवं विद्युत ताप संयंत्रों के आयात की दृष्टि से समृद्धिशाली है। कोयले का निर्यात राज्य के अन्य नगरों एवं पड़ौसी राज्यों को रेल एवं सड़क मार्ग से किया जाता है।

(स) रेल यातायात (माल एवं यात्री)

रेल मार्ग द्वारा भी यात्री एवं माल का आगमन एवं बर्हिगमन होता है। स्थानीय स्तर पर एम.जी.आर. रेल द्वारा ताप संयंत्रों को जोड़ा गया है। प्रत्येक परियोजना में कोल हेण्डलिंग प्लांट स्थापित किये गये हैं, जिससे उत्खनन स्थल से रेल वैगन तक कोयले का परिवहन किया जाता है। यहां सतत् भराव प्रणाली स्थापित होने में एक घण्टे में 5.5 टन की दर से कोयला भरने की व्यवस्था है।

3.3 नगर परिभ्रमण संरचना

सिंगरौली क्षेत्र मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र है और इस का विकास पूर्णतः कोयला उत्खनन एवं विद्युत उत्पादन पर आधारित है। कोयला खदानों से निकाले गये कोयले को ताप विद्युत संयंत्र के समीप एम.जी.आर. के माध्यम से पहुंचाया जाता है। साथ ही कभी-कभी डम्पर का भी प्रयोग होता है। कोयला क्षेत्र की अधिकांश परियोजनाओं के ताप संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए "मेरी गोराउन्ड" प्रणाली से जोड़ा गया है। इसी व्यवस्था के आधार पर सिंगरौली प्रक्षेत्र की परिभ्रमण व्यवस्था संचालित होती है। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत बैढ़न, बरगवां, मोरवा बाजार (सिंगरौली) नगरीय केन्द्र के रूप में उदित हो रहे हैं। इन्हीं क्षेत्रों के मध्य यातायात संरचना का उदय एवं अवसान केन्द्र माना जा सकता है। विद्युत संयंत्र एवं कोयला उत्खनन प्रक्षेत्र स्थल से माल का लदान किया जाकर बाहर भेजा जाता है। बाजार उदित केन्द्रों को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग सुलभ है। किन्तु दूर-दूर तक विकसित हो रहे ग्रामों को जोड़ने के कोई समुचित मार्ग संरचना नहीं है, अतः योजना में नगरीय यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं योजनाबद्ध रूप से विकसित किये जाने के प्रस्ताव के साथ ही ग्रामीण केन्द्रों को जोड़ने की आवश्यकता है।

3.3.1 यातायात उदित केन्द्र

सिंगरौली क्षेत्र उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगरों द्वारा रेल मार्ग एवं सड़क मार्गों से जुड़ा है, जिससे रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, थोक बाजार ताप विद्युत संयंत्र, कोयला खदान क्षेत्र, बाजार केन्द्र आदि यातायात गतिविधियों के प्रमुख कार्य केन्द्र हैं। जहां से आवागमन प्रवाह सतत् रूप से होता है। इस क्षेत्र में यातायात मुख्यतः निम्नलिखित केन्द्रों से उदित होता है -

1. सिंगरौली रेलवे स्टेशन
2. कोयला खदान
3. पंजरेह बाजार
4. विद्युत उत्पादन केन्द्र (विन्ध्य नगर)
5. सब्जी -मण्डी
6. शैक्षणिक संस्थाएं
7. कार्यालय परिसर
8. छविगृह

उपरोक्त के अतिरिक्त साप्ताहिक बाजार केन्द्रों एवं धार्मिक स्थलों इत्यादि से भी यातायात मुख्यतः मिर्जापुर, बनारस, सीधी, रीवा, अम्बिकापुर एवं कटनी आदि नगरों की ओर से शक्तिनगर, औड़ी, विन्ध्याचल एवं माड़ा

से बैढ़न, रीवा से बरगवां सड़क मार्ग से नगर में प्रवेश होता है।

3.3.2 यातायात अवसार केन्द्र

(अ) बस स्थानक

मुख्यतः यात्री बसें बैढ़न मोरवा (सिंगरौली) तथा विन्ध्यनगर से प्रारंभ अथवा समाप्त होती है। बैढ़न में नगर निगम द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में बस स्टेण्ड बनाया गया है, जो भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। मोरवा में भी वर्तमान में लगभग 0.45 हेक्टेयर क्षेत्र में बस स्टेण्ड है, किन्तु इसके अनुरक्षण तथा क्षेत्रफल विस्तार के साथ समस्त सुविधाओं से युक्त बस स्थानक बनाया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की ओर से शक्तिनगर एवं बैढ़न आने वाली बसें विन्ध्यनगर में रुकती हैं। यहां पर एन.टी.पी.सी. द्वारा सर्व सुविधायुक्त बस स्टेण्ड बनाया गया है। इसी प्रकार बरगवां में एक बस स्टेण्ड बनाये जाने की आवश्यकता है।

(ब) बस डिपो

सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत बस डिपो हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम द्वारा बैढ़न में बनाये गये बस स्टैण्ड के समीप ही बसें खड़ी की जाती हैं। विन्ध्य नगर में उत्तरप्रदेश राज्य परिवहन का डिपो स्थापित है। यहां पर केवल उत्तरप्रदेश राज्य परिवहन की बसें खड़ी की जाती हैं। अतः योजना में बस डिपो का प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक है।

(स) ट्रक स्थानक (यातायात नगर)

सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यवस्थित ट्रक स्थानक (यातायात नगर) नहीं है। सामान्यतः राज मार्ग क्रमांक 6 तथा अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे ही ट्रक अव्यवस्थित रूप से खड़े (पार्क) कर दिये जाते हैं। जिसके कारण यातायात में व्यवधान एवं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अतः योजना में यातायात नगर हेतु उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।

(द) रेलवे स्टेशन

नगर निगम सीमा में तीन रेलवे स्टेशन हैं। यह सभी उत्तरी भाग में स्थित हैं, जो कटनी-चौपन मार्ग में सिंगरौली (मोरवा), गोरबी एवं बरगवां में स्थित हैं तथा शक्तिनगर उत्तरप्रदेश की सीमा में स्थित है। उक्त रेलवे स्टेशन यात्री, कोयला खनन क्षेत्रों एवं ताप विद्युत संयंत्रों के यातायात हेतु सुविधा प्रदान करते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन नहीं है। यहां पर भी सर्व सुविधायुक्त स्टेशन बनाये जाने के साथ ही सभी स्टेशनों को सर्व-सुविधायुक्त बनाया जाना उचित होगा।

(इ) मालयार्ड

सिंगरौली का औद्योगिक नगर के रूप में अभ्युदय हो रहा है, जिसके अनुरूप मालयार्ड के लिए सुविधाजनक स्थल नहीं है। वर्तमान में रेलवे स्टेशन के समीप ही लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य होता है। किन्तु माल को व्यवस्थित रूप से रख-रखाव एवं लदान के लिए सुरक्षित नहीं है। जिसके लिए विकास योजना में प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक होगा।

(फ) हवाई पट्टी

वर्तमान में हवाई पट्टी नहीं है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बनारस नगर में इंडियन एयर लाईन्स द्वारा निर्मित निकटतम हवाई पट्टी है, निवेश क्षेत्र के अंतर्गत सिंगरौली नगर निगम, एन.टी.पी.सी. एवं एन.सी.एल. के प्रयास से भू-अर्जन की कार्यवाही ग्राम खजुरी, कटौली एवं सिंगरौलिया में की गई है, जिसके प्रस्ताव विकास योजना में दिया जाना आवश्यक है।

3.4 परिवहन के साधन

देश तथा प्रदेश के अन्य नगरों की भांति सिंगरौली प्रक्षेत्र में यातायात के साधन का स्वरूप निश्चित है। जैसे एक तरफ मंदगति के वाहन बैलगाड़ी, ठेला, साईकिल तथा रिक्शे आदि चलते हैं। वहीं दूसरी ओर तीव्र गति के वाहन जैसे ट्रक, कार, स्कूटर आदि हैं। स्थानीय परिवहन के लिए मुख्य रूप से मंदगति के वाहन ही उपयोग में लाये जा रहे हैं। नगर के औद्योगिक विकास के अनुरूप तीव्र गति वाहनों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है।

3.5 यातायात समस्यायें

सिंगरौली क्षेत्र में कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात् जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां क्रियाशील होने के कारण यातायात तथा परिवहन भी तीव्र गति से बढ़ा है। जिसके कारण प्रक्षेत्र में उपलब्ध परिभ्रमण संरचना की वर्तमान क्षमता से अधिक यातायात का दबाव, मार्गाधिकार पर अतिक्रमण इत्यादि से निम्नलिखित समस्यायें उत्पन्न हुई हैं :-

3.5.1 यातायात संकीर्णता

मोरवा, बैढ़न एवं बरगवां के बाजार क्षेत्र के अंतर्गत मार्गों पर यातायात का दबाव अधिक है। क्योंकि मार्ग के दोनों ओर फुटपाथ पर ठेला, गुमठियों, दुकानों के कारण मार्ग की वहन क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है साथ ही अव्यवस्थित रूप से दुकानों के सामने वाहन खड़े कर दिये जाते हैं। जिसके कारण यातायात में व्यवधान होता है। कुछ क्षेत्रों में सुगम पहुंच मार्ग की व्यवस्था नहीं है। अतः योजना में सुगम पहुंच मार्ग प्रत्येक स्थान के लिए प्रावधानित किया जाना आवश्यक है। विन्ध्य नगर तथा बैढ़न बसाहट के बीच संपर्क मार्ग संगमों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। दोनों क्षेत्रों के बीच नवजीवन विहार कॉलोनी स्थित है। विन्ध्य नगर से क्षेत्रीय मार्ग को वर्तमान में सिर्फ एक संपर्क मार्ग जोड़ता है। अतः अन्य क्षेत्र को जोड़ने के लिए उत्तर-दक्षिण दिशा में न्यूनतम दो मुख्य मार्ग आवश्यक हैं। ग्रामीण बसाहट एवं खनन क्षेत्र में अधिवासित बस्तियों के बीच में परस्पर संपर्क नहीं है, जिसके कारण काफी असुविधा होती है। अतः योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हुए सुविधाजनक परिभ्रमण संरचना के प्रावधान किये जाना आवश्यक है।

3.5.2 यातायात दुर्घटना

नगर में योजनाबद्ध कॉलोनियों के अतिरिक्त पुरानी बसाहट के क्षेत्र जैसे बरगवां, बैढ़न एवं मोरवा का बाजार क्षेत्र, असुविधाजनक मार्ग, मार्ग संगमों की संकीर्णता, यातायात आदि के समुचित नियंत्रण के अभाव के कारण उक्त क्षेत्रों में भी दुर्घटनाओं की संभावनायें निरंतर बनी रहती हैं। ऐसे दुर्घटना स्थल का विवरण निम्नानुसार है :-

1. बरगवां चौराहा
2. शुक्ला मोड (मोरवा)
3. अस्पताल चौराहा
4. निगाही चौराहा
5. माजन मोड़ चौराहा
6. बैढ़न हायर सेकेण्ड्री स्कूल चौराहा
7. नवजीवन विहार चौराहा
8. अम्बेडकर चौराहा
9. तेलाई चौराहा
10. परसोना चौराहा

3.5.3 वाहन विराम स्थल

सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित बस स्थानक के अतिरिक्त कोई विराम स्थल नहीं है। मार्ग के किनारे ही वाहनों के विराम होने के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण यातायात अव्यवस्थित हो जाता है। अतः नियोजित वाहन विराम स्थल हेतु कार्य केन्द्रों का परस्पर समन्वय करते हुए इसी क्षेत्र में प्रस्ताव दिये जाना उपयुक्त होगा।

3.5.4 रेल मार्ग समस्यायें

क्षेत्र के उत्तरी भाग में बरगवां से मोरवा-चौपन की ओर जाने हेतु निवेश क्षेत्र के अंतर्गत छोटे-बड़े चार रेलवे स्टेशन हैं। वर्तमान स्टेशन पर ओव्हरब्रिज नहीं होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है। जिसके लिए ओव्हर ब्रिज का होना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रक्षेत्र के दक्षिणी भाग में रेलवे स्टेशन का होना आवश्यक है।

3.6 नगरीय अधोसंरचना

3.6.1 जल प्रदाय

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 502 हेण्ड पम्प, 22 ट्यूब वेल तथा 9 ओवर हेड टैंक हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नगरीय बसाहट तथा एन.सी.एल. द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पाईप लाईन द्वारा जल प्रदाय कराते हैं तथा भविष्य में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे बढ़ाया जा सकता है। बैढ़न, बरगवां तथा मोरवा जो नगरीय गतिविधियों के केन्द्र के रूप में उभर रहे हैं, जल प्रदाय क्षेत्र से काफी दूर स्थित हैं। इन क्षेत्रों में जल प्रदाय नलकूपों के माध्यम से किया जा रहा है। इन बसाहटों के विकास में अपर्याप्त जल प्रदाय मुख्य अवरोध है। गोविन्द वल्लभ पंत सागर जलाशय ही जल का समीपस्थ एवं स्थायी स्त्रोत है। जहां से पाईप लाईन द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था की जा सकती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा इस क्षेत्र के जल प्रदाय की योजना बनाई गई है।

3.6.2 जल-मल निकास

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं एन.सी.एल. के आवासीय क्षेत्र में भूमिगत जल-मल निकास की व्यवस्था है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में कोई केन्द्रीयकृत व्यवस्था नहीं है। सिंगरौली क्षेत्र में एकीकृत जल-मल निकास व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।

3.6.3 वर्षा के जल की निकासी

वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से बहता हुआ कांचन नदी एवं अन्य नालों से होता हुआ गोविन्द बल्लभ पंत

सागर में मिल जाता है। इस प्राकृतिक जल निकास को उचित रूप से एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि मुख्य नाली की परिकल्पना में यह विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि वर्षा का जल राखड़ से दुष्प्रभावित न हो, इसके लिए यह उचित होगा कि पोखर निर्माण किया जाकर जल संग्रहित किया जाना आवश्यक है तथा शोधन उपरान्त उसे पंप द्वारा मुख्य नाले में छोड़ा जाना चाहिए।

3.6.4 ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

क्षेत्र के अंतर्गत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर में कोई निर्धारित स्थल नहीं है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत निकाले गये अवशिष्ट को खुले क्षेत्र में ही नगर से बाहर डाल दिया जाता है, जिसके कारण वर्षाकाल में अत्यन्त गंदा वातावरण होता है। अतः विकास योजना में ठोस अवशिष्ट के प्रबंधन लिए समुचित स्थल का चयन किया जाना आवश्यक है।

3.6.5 विद्युत व्यवस्था

क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था का प्रबंधन मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में किया जाता है। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बैढ़न व मोरवा में विद्युत खपत का विवरण दिया गया है। इसमें एन.सी.एल. द्वारा की जा रही विद्युत खपत शामिल नहीं है। विस्तृत विवरण सारणी 3-सा-3 में दर्शाया गया है।

सिंगरौली : विद्युत खपत (यूनिट में)

3-सा-3

वितरण	आवासीय	व्यवसायिक	औद्योगिक	अन्य
1	2	3	4	5
बैढ़न	6842802	1783229	1189516	3812420
मोरवा	3709920	1341470	611516	2640850
कुल खपत	**10552722**	**3124699**	**1801032**	**6453270**

स्त्रोत : मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, बैढ़न

वर्ष 2002-2003

3.7 सेवा सुविधाएं

(क) डाक व तार घर

इस क्षेत्र में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक स्थल पर डाकघर है, लेकिन डाक वितरण की दशा संतोषजनक नहीं है। यदि सिंगरौली रेल्वे स्टेशन से समस्त उप डाक घरों को जोड़ते हुए विन्ध्यनगर तक विभागीय डाक वाहन की सुविधा उपलब्ध करा दी जावे तो स्थिति में सुधार आ सकता है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता है। दूरभाष सुविधा जयन्त, बरगवां, बैढ़न तथा सिंगरौली में उपलब्ध है। प्रथम तीन केन्द्रों पर तीन प्रकार के एक्सचेंज बनाये गये हैं, जबकि सिंगरौली में सी.बी.एन.बी. प्रकार का एक्सचेंज स्थापित किया गया है। किन्तु यहां अधिकतर सिंगरौली का संपर्क सीधी जैसे निकटतम नगरों

से भी कटा रहता है। यहां प्राथमिकता के आधार पर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित दूरभाषा केन्द्र की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिये।

(ख) पुलिस थाना

क्षेत्र में बैढ़न, मोरवा, जयन्त, बरगवां तथा जयनगर में पुलिस थाना स्थित है। वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह पर्याप्त है, किन्तु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ और पुलिस थानों की आवश्यकता होगी।

(ग) अग्नि शमन केन्द्र

एन.सी.एल. में अग्निरोधक उपकरणों से सुसज्जित अग्नि शमन सुविधा उपलब्ध है, जो सामान्यतः आपातकालीन आवश्यकता हेतु उपलब्ध रहती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परिसर में एक अग्निशमन केन्द्र है तथा नगर निगम में भी एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध है।

(घ) कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट

यह सुविधा लगभग सभी ग्रामों में विद्यमान है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तानों पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे श्मशान एवं कब्रिस्तानों के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :-

1. बैढ़न में तालाब के पास बस्ती के समीप श्मशान घाट स्थित है।
2. देवरा नाले के पास श्मशान घाट स्थित है।
3. मोरबा में विश्राम गृह के पीछे नाले के किनारे श्मशान घाट है।
4. बरगवां हायर सेकेण्ड्री स्कूल के दक्षिण तरफ तालाब के पास श्मशान धाट है।
5. मोरबा में ज्योति कान्वेन्ट स्कूल के समीप कब्रिस्तान स्थित है।

(ङ) धोबीघाट

वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई भी नियोजित धोबीघाट का विकास नहीं हुआ है। अतः विकास योजना प्रस्ताव तैयार करते समय नदी के किनारे इन गतिविधियों हेतु उचित स्थलों का चयन किया जाना चाहिये। जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि जहां से पेयजल की आपूर्ति की जाती है, उससे यह स्थल दूर स्थित हों।

(ढ़) दुग्ध डेरी

बैढ़न में दुग्ध संग्रहण एवं वितरण केन्द्र स्थापित है। क्षेत्र में दुग्ध संग्रहण के अतिरिक्त यहां इन्दौर में प्राप्त दुग्ध चूर्ण द्वारा भी दूध तैयार किया जाता है। यह संयंत्र 19.76 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में 1000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहण होता है, जबकि दुग्ध चूर्ण द्वारा 400 लीटर दूध तैयार किया जाता है। दूध को बैढ़न, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परिसर, नवजीवन विहार, पुनर्वास कॉलोनी, जयन्त, दुधीचुआ, झिंगुरदा, एन.सी.एल, कालोनी तथा मोरवा में वितरित किया जाता है। दुग्ध के उत्पादन को 10,000 लीटर की क्षमता तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। लेकिन इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों से मार्ग संपर्क में सुधार की आवश्यकता है।

सिंगरौली : वर्तमान सेवा एवं सुविधायें

3-सा-4

क्र.	सेवा का प्रकार	इकाईयों की संख्या					
		विन्ध्यनगर	एन.सी.एल.	बैढ़न	जयंत	बरगवां	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ)	**स्वास्थ्य**						
1	सामान्य चिकित्सालय	1	1	1	1	1	5
2	आयुर्वेदिक औषधालय	-	-	4	-	-	4
3	डिस्पेंसरी	-	-	2	9	-	11
4	बिस्तरों की संख्या	-	15	30	190	1	236
(ब)	**शिक्षा**						
1	प्राथमिक शालायें	3	6	35	6	2	52
2	माध्यमिक शालायें	1	7	18	5	2	33
3	उच्चतर माध्यमिक शालायें (10+2)	3	8	7	-	1	19
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	-	-	1	-	-	1
5	पॉलीटेक्निक	-	-	1	-	-	1
6	महाविद्यालय	1	1	1	-	-	3
1	2	3	4	5	6	7	8
(स)	**सामाजिक एवं सांस्कृतिक**						
1	सामुदायिक भवन	2	6	1	-	-	9
2	क्लब	2	22	3	-	-	27
3	वाचनालय/पुस्तकालय	1	12	1	1	-	15
(द)	**मनोरंजन**						
1	पार्क	-	-	15	5	-	20
2	स्वीमिंग पुल	-	-	1	-	-	1
3	खेल का मैदान	1	-	6	-	-	7
4	छविगृह	1	-	6	-	-	7
5	स्टेडियम	1	2	-	-	-	3
(इ)	**अन्य सुविधायें**						
1	डाक एवं तार कार्यालय	-	1	3	-	-	4
2	उप डाकघर	-	3	17	-	1	21
3	दूरभाष कार्यालय	-	-	1	-	-	1
4	पुलिस थाना	1	1	1	-	1	4
5	अग्निशमन केन्द्र	-	1	1	1	-	3
6	विद्युत उपकेन्द्र	1	1	1	1	1	5

नोट - इन इकाईयों के माध्यम से नगरीय केन्द्र के अलावा क्षेत्रीय लोगों को भी सुविधायें प्राप्त होती हैं।

अध्याय-चार
पर्यावरण नियंत्रण

पर्यावरण

मनुष्य ने जहां एक ओर अपनी सुख-सुविधाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर बहु आयामी साधन उपलब्ध कराने हेतु प्रकृति का अनियोजित ढंग से दोहन किया है। वहीं दूसरी ओर उससे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में सतत् वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नियोजकों के लिए मानव हेतु पर्यावरण संरक्षण एक मुख्य विषय के रूप में उभरा है। इन नैसर्गिक पर्यावरणीय स्रोतों के दोहन को जलवायु तथा ध्वनि प्रदूषण, आर्थिक विकास की कीमत के तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण की वचनबद्धता को विकास में प्रस्तुत तो किया जाता रहा है। किन्तु योजनाओं में क्रियान्वयन के समय इसे पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। जो अति आवश्यक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं परियोजनाओं में उचित नियोजन तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग से यह संरक्षित एवं नियंत्रित किया जा सकता है।

4.1 कोयला उत्खनन तथा ताप-विद्युत के प्रभाव

4.1.1 भूमि एवं वन क्षेत्र में कमी

खुली सतह पर खनन से वर्तमान वनस्पति में कमी हो रही है। लगभग 36 प्रतिशत कोलधारित क्षेत्र संरक्षित वनों के नीचे हैं। गोरवी कोयला खण्ड, गोरवी संरक्षित वन के नीचे हैं। झिंगुरदा कोयला क्षेत्र वन क्षेत्र में स्थित है। शेष खण्ड मेढौली एवं दुधीचुआ संरक्षित है। इस प्रकार खनन प्रक्रिया के फलस्वरूप वन संपदा नष्ट होगी, जिससे निश्चित ही वन संपदा के क्षेत्र में कमी, भूमि कटाव तथा जलवायु में परिवर्तन होगा। परिपूरक वन क्षेत्र स्थापित करने के लिए 1977 से 85 हेक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु पृथक से कार्ययोजना का होना अति आवश्यक है।

4.1.2 भू-भौमिकीय परिवर्तन

खुली सतही खनन प्रक्रिया से भूमि का आकार काफी हद तक प्रभावित हुआ है। क्योंकि कोयले की सतह भूमि की सतह से 20 से 35 मीटर गहराई में पाई जाती है। जिसे यांत्रिक उपकरणों के द्वारा हटाकर अन्य स्थान पर रखना आवश्यक होता है। सम्पूर्ण खनन क्षेत्र में अधिभार निक्षेपित पर्वतों को देखा जा सकता है, जिससे वर्तमान समुच्य रेखा में बहु परिवर्तन हुआ है। भावी क्रियाओं से क्षेत्र में प्राकृतिक दृश्यीकरण तथा भूमि आकार में और परिवर्तन होंगे।

4.1.3 ओवर-वर्डन के प्रभाव

अनुमानित है कि कोयला अधिभार (ओवर-वर्डन) का अनुपात 1:6 है। अधिभार से भूमि के आकार में परिवर्तन का आस-पास के क्षेत्रों पर प्रभाव होगा। चूंकि अधिभार ढीली मिट्टी से परिपूर्ण होता है। अतः निश्चित ही भविष्य में भूमि कटाव बढ़ेगा, नालों में संग्रहित होने वाली मिट्टी से प्राकृतिक बहाव प्रभावित होगा जिसमें क्षेत्र का सारा जल संग्रहित होता है। अधिभार से वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होंगी। अधिभार की ढीली मिट्टी में फेरस

सल्फेट, फास्फेट तथा कार्बोनेट पाये जाते हैं, जो वर्षा के मौसम में सतही जल में मिलकर जल को प्रदूषित करेंगे। खदान-क्षेत्र में बहते हुए सतही जल तथा भूमिगत जल में गंध तथा रंग से संबंधित प्रदूषण का स्तर भी अधिक होगा। अत्यधिक ग्रीस तथा तेलीय सतह के कारण नदी/जलाशय के पानी में उचित ऑक्सीजन का प्रवेश संभव नहीं होगा, जिससे जलीय जीव जन्तु भी प्रभावित होंगे।

4.1.4 विस्फोटों का प्रभाव

वर्ष 2000 में अधिभार को ढोने के लिए विस्फोटों की मात्रा लगभग 78,000 टन प्रतिवर्ष तथा 260 टन प्रतिदिन थी। इतनी अधिक मात्रा में विस्फोटकों के प्रभाव से दूषित गैसें जिनमें सल्फर डाई ऑक्साईड, नाइट्रोजन शामिल होती है। इससे धूल एवं ध्वनि प्रदूषण भी होता है। साथ ही खदानों से विद्युत संयंत्रों तक कोयले का परिवहन रेल एवं ट्रकों द्वारा होने से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अतः इस क्षेत्र की सभी पर्यावरणीय गतिविधियां इनके प्रभाव से अछूती नहीं रही हैं।

4.1.5 विद्युत संयंत्र का प्रभाव

ऊष्मीय भार का निक्षेपण

गोविंद वल्लभ पंत सागर में ऊष्मीय भार निक्षेपण से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसा विशेषकर उन संयंत्रों से होता है, जिसमें जल-शीतलीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में गोविन्द वल्लभ पंत सागर से जल प्राप्त किया जाकर उपयोगी जल को लम्बी नहर के माध्यम से पुनः जलाशय में छोड़ा जाता है। शीतलीकरण की इस विधि से जल का तापमान वातावरण के तापमान से 10 से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड तक बढ़ जाता है। जिसके फलस्वरूप जलीय-जन्तुओं की मृत्यु भी हो जाती है तथा जलीय परिस्थितकीय संतुलन प्रभावित होता है।

राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी संयंत्र शीतलीकरण हेतु झील पर निर्भर न हो। जिससे गोविन्द वल्लभ पंत सागर के प्रदूषण में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।

4.1.6 गैसों का उत्सर्जन

गर्म एवं धुऐं वाली गैसों के उत्सर्जन से भी वातावरण प्रदूषित होता है। वातावरण में एक निश्चित मात्रा के उपरांत गैसों की मात्रा बढ़ने से मानव जीवन, वनस्पति, वन संपदा तथा इस क्षेत्र की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। ताप विद्युत संयंत्रों में सल्फर डाई ऑक्साईड, नाइट्रोजन आक्साईड तथा कार्बन मोनो ऑक्साइड गैसों से प्रदूषण होता है जिसके फलस्वरूप वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

2000 मेगावाट क्षमता के एक संयंत्र को प्रतिदिन 20000 टन कोयले की आवश्यकता होती है, जिसके उपयोग से प्रतिदिन 240 टन सल्फर डाई ऑक्साईड छाते के रूप में वातावरण में फैलेगी। इसके सीधे प्रभाव से क्षेत्रीय प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होगा। उत्सर्जित गैसों में नाइट्रोजन आक्साईड होते हैं इसके उत्सर्जन को नियंत्रण करना भी आवश्यक है जो एक अत्यन्त कठिन कार्य है।

4.1.7 राखड (कोल-एश)

2000 मेगावाट के एक ताप विद्युत संयंत्र से प्रतिदिन 400 टन राखड़ निकलती है। इस प्रकार एक ही क्षेत्र में ऐसे 5 संयंत्रों की स्थापना से 2000 टन राखड़ प्रतिदिन निकलती है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर से लगकर

निक्षेपित किया जाता है। 12000 टन राखड़ में 78 टन चूना, 10.6 टन मेग्नीशियम ऑक्साईड, 392 टन आयरन आक्साईड तथा 555.2 टन एल्यूमीनियम आक्साईड होता है। राखड़ में उपलब्ध इन रसायनों की मौसमी हवाओं तथा जल क्रियाओं से गोविंद-वल्लभ पंत सागर के जल को प्रदूषित कर रहा है। इससे क्षयकरण भी बढ़ेगा तथा धात्वीय लोहे की मात्रा जलाशय में बढ़ेगी। 20000 मेगावाट विद्युत उत्पादन में 800 एकड़ भूमि की आवश्यकता राखड़ के निष्पादन हेतु आवश्यक होगी। इस हेतु गोविन्द वल्लभ पंत सागर के किनारे राखड़ के पोखर हेतु काफी बड़ा क्षेत्र पूर्व से ही अधिग्रहित है। जब तक वृक्षारोपण द्वारा सतहों को ठोस नहीं किया जाता पोखरों में भूमिगत होने वाला जल गोविन्द वल्लभ पंत जलाशय के जल को प्रदूषित करेगा।

4.1.8 कोयले का घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग

ऐसा पाया गया है कि एन.सी. एल. के कर्मचारियों तथा यहां के अन्य लोगों को कोयला लगभग मुफ्त में उपलब्ध होने के कारण खनिज कोयले का बड़ी मात्रा में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि कोयला जलाने से सल्फर डाई ऑक्साईड, कार्बन डाई ऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं, जिसके फलस्वरूप वातावरण प्रदूषित होता है। किन्तु वर्तमान में उक्त प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए एन.सी.एल. द्वारा अपने कर्मचारियों को कोयले की जगह 15720 कुकिंग गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।

4.2 प्रदूषित क्षेत्र का अध्ययन एवं निष्कर्ष

बैढ़न में पर्यावरण दबाव अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें वायु तथा जल की गुणवत्ता के वर्तमान स्तर के आंकलन का अध्ययन प्रारंभ किया गया है। इस संगठन तथा कुछ अन्य संगठनों द्वारा किये गये अध्ययन के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :-

4.2.1 वायु की गुणात्मकता

इस क्षेत्र में फैली व्यापक ताप प्रदूषण प्रवाह तथा दूषित गैसों की धुंध एवं आर्द्रता से वायु गुणात्मकता का आंकलन किया जाता है। वायु के गुणात्मकता का विवरण सारणी क्रमांक 4-सा-1 में दिया गया है।

(अ) तापमान

प्रबोध रसायन प्रयोगशाला द्वारा निगाही में दर्ज आंकड़ों के अनुसार यहां औसत तापमान दिन में 42.4 डिग्री सेन्टीग्रेट तथा रात्रि में 37.3 डिग्री सेन्टीग्रेट है। जो कि जिला मुख्यालय सीधी के औसत अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेन्टीग्रेट की तुलना में बहुत अधिक है।

(ब) कणिक प्रदूषण प्रवाह

आर.ए.एल. के सहयोग से क्षेत्र में कणिक प्रदूषण प्रवाह आंकलन किया गया है।

सिंगरौली : धुंध एवं आर्द्रता (प्रतिशत)

4-सा-1

क्र.	प्राप्ति	केन्द्र	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बैढन	1	1.94	1.14	1.84	1.74	2.14	2.25	2.35
		2	78%	76%	79%	80%	76%	75%	74%
2	अमलोरी	1	2.25	2.25	2.35	2.04	2.45	2.57	2.67
		2	75%	75%	74%	77%	73%	72%	71%
3	जयंत	1	2.35	2.45	2.35	2.57	2.79	3.01	2.90
		2	74%	73%	74%	72%	70%	68%	69%
4	मोरवा	1	1.74	1.74	1.84	1.74	1.84	2.04	1.94
		2	80%	80%	79%	80%	79%	77%	78%
5	औद्योगिक प्रक्षेत्र	1	1.2	1.27	1.36	1.17	1.36	1.45	1.45
		2	85%	85%	84%	86%	84%	83%	83%
6	परसोना	1	1.36	1.45	1.27	1.27	1.55	1.74	1.55
		2	84%	83%	85%	85%	82%	80%	82%
7	नवजीवन विहार	1	2.24	2.25	2.14	2.04	2.35	2.45	2.45
		2	75%	75%	76%	77%	74%	73%	82%

1. धुंध आर्द्रता/1000 कण

2. प्रतिशत प्रवाह

प्रत्येक परीक्षण 15 सेन्टीग्रेट/प्रतिघंटा की प्रवाह दर पर दो घंटे की अवधि पर किया गया है।

उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि यह दर निम्न केन्द्रों पर अधिक पायी गयी है।

1. बैढ़न, नगर निगम कॉलोनी-आबादी क्षेत्र

2. अमलोरी | कोयला क्षेत्र

3. जयन्त

4. नवजीवन विहार, विन्ध्याचल-ताप संयंत्र क्षेत्र

जयन्त क्षेत्र में कणिक प्रदूषण के कारण वर्ष भर धुन्ध एवं आर्द्रता अधिक रहती है।

सल्फर डाई ऑक्साईड की आर्द्रता

अम्लीय सल्फर डाई ऑक्साईड, बैढ़न में 4 माह के सल्फर डाई ऑक्साईड की आर्द्रता के आंकड़े एकत्रित किये गये हैं, जिन्हें सारणी 4-सा-2 में दर्शाया गया है।

बैढ़न : सल्फर डाई आक्साईड (आर्द्रता)

4-सा-2

क्र.	माह	नमूना केन्द्र	
		ईस्ट लेब इन्दौर	विकास भवन बी खण्ड की अंतिम मंजिल
1	2	3	4
1	सितम्बर 1986	0.001	0.02
2	नवम्बर 1986	0.001	0.03
3	जनवरी 1986	0.001	0.03
4	मार्च 1986	0.001	0.01

उक्त सारणी से ज्ञात होता है कि वायु में सल्फर डाई आक्सईड की आर्द्रता अधिक है, लेकिन स्वीकार्य मानकों के अन्दर है।

(द) व्याप्त वायु स्तर

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा बैढ़न के वायु के स्तर को जानने हेतु मार्च से मई 1987 में तीन माह की अवधि में 6 अलग-अलग स्थानों पर परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

सिंगरौली : वायु स्तर

4-सा-3

क्र.	परीक्षण केन्द्र	मात्रा		
		5 PMUG	M3 SOXUG/M3	MOXUG/M3
1	2	3	4	5
1	मार्च 1987 (बैढन)	993.7	404.30	76.20
	नगर निगम कॉलोनी बैढ़न	434.20	309.84	95.23
	जयन्त (गेस्ट हाउस)	402.41	163.26	52.20
	मोरवा	360.25	603.00	-
	गोरवी	446.07	126.98	-
	राजासरई	441.27	444.44	222.22

1	2	3	4	5
2	अप्रैल 1987 (बैढन)	429.47	63.49	63.20
	नगर निगम कॉलोनी बैढ़न	322.70	132.28	74.28
	जयन्त	197.70	130.61	68.27
	मोरवा	327.33	136.06	63.27
	गोरवी	357.14	88.89	76.49
	राजासरई	417.42	538.88	238.09
3	मई 1987 (बैढन)	540.25	101.59	-
	नगर निगम कॉलोनी (बैढ़न)	156.08	48.37	98.26
	जयन्त	247.82	331.26	107.07
	मोरवा	187.98	27.21	60.34
	गोरवी	195.00	240.80	102.34
	राजासरई	104.07	114.76	-

स्त्रोत - मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल क्षेत्रीय केन्द्र, रीवा।

परीक्षण से क्षेत्र सल्फर डाई ऑक्साईड की आर्द्रता की पुष्टि होती है। साथ ही सिंगरौली क्षेत्र में नाइट्रोजन के ऑक्साईड की आर्द्रता बढ़ने के संकेत प्राप्त होते हैं। विभिन्न केन्द्रों पर यह दर 52 यू.जी./एम. 3 के मध्य है।

वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति भारीय-वाहन तथा ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा होने वाले गैसीय उत्सर्जन के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप हैं।

4.3 जल की गुणवत्ता

इस क्षेत्र के जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु पर्यावरण दबाव अध्ययन केन्द्र, सिंगरौली द्वारा त्रैमासिक आधार पर 6 विभिन्न स्थलों पर नमूने एकत्रित किये गये हैं। विभिन्न मापदण्डों के आधार पर एकत्रित विवरण सारणी 4-सा-4 में दर्शाया गया है।

सिंगरौली : जल का रासायनिक विश्लेषण

4-सा-4

क्र.	नमूना स्थल माह	मापदण्ड					
		रंग	गंध तीक्षणता	पी.एच.	घुलित पदार्थ एम/एलएच	कठोरता	सल्फेटसग जी.एल.एच.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**एन.सी.सल. मुख्यालय, मोरवा**						
	अगस्त, 86	हल्का भूरा	0	7.6	530	490	230
	नवम्बर, 86	हल्का भूरा	0	7.5	400	450	225
	फरवरी, 86	हल्का भूरा	0	7.6	350	450	220
2	**नालियां नाला जयन्त**						
	अगस्त, 86	काला भूरा	111	6.9	1800	700	500
	नवम्बर, 86	काला भूरा	111	6.8	1650	800	490
	फरवरी, 86	काला भूरा	111	6.8	1600	800	510

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**ट्यूबवेल (माजन रोड)**						
	अगस्त, 86	हल्का भूरा	0	7.5	510	560	270
	नवम्बर, 86	हल्का भूरा	0	7.5	469	550	280
	फरवरी, 87	हल्का भूरा	0	7.6	450	560	270
4	**ट्यूबवेल (बिलोजी), बैढ़न :**						
	अगस्त, 86	हल्का भूरा	0	7.4	500	450	200
	नवम्बर, 86	हल्का भूरा	0	7.5	400	450	210
	फरवरी, 86	हल्का भूरा	0	7.5	400	440	210
5	**रिहन्द बांध (बल्लारी के समीप) :**						
	अगस्त, 86	लाल रंग से युक्त	0	8.0	1600	400	360
	नवम्बर, 86	मटमैला	1	7.9	1400	410	375
	फरवरी, 87	भूरा	0	7.6	1200	360	350

उक्त सारणी से रंग एवं गंध का निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

(अ) रंग एवं गंध

बलिया नाला (जयंत) तथा रिहन्द बांध का पानी सीधे मानवीय अथवा औद्योगिक उपयोग हेतु रंग एवं गंध की दृष्टि से उचित नहीं पाया गया।

(ब) पी.एच. वैल्यू

बलिया नाले को छोड़कर शेष बिन्दुओं पर जल की पी.एच. दर 7.5 से 8.5 के बीच पाई गई जो ठीक है। बलिया नाला मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारक है। यहां खनन कार्य भी होता है तथा उसमें वर्षा का जल भरा रहता है। इसकी पी.एच. दर अम्लता की तरफ कम हो रही है।

(स) घुलित पदार्थ

इसकी दर 400 एम.जी./एल.एच. से 1800 एम.जी./एल.एच. के मध्य है। जल गुणात्मकता में घुलित-पदार्थों का पाया जाना उचित नहीं है। विशेषकर यह दर 1000 एम.जी./एल.एस. से अधिक होती है। बलिया नाला एवं रिहन्द बाँध के जल में स्वीकार्य मानक से ज्यादा दर पाई गई है।

(द) कठोरता

वह मापदण्ड है जिसके बारे में आम आदमी को भी अंदाजा रहता है। इस क्षेत्र के निवासियों की यह आम शिकायत है। परिणामों से भी स्पष्ट है कि यह दर 300 एम.जी./एल.एच. से 800 एम.जी./एल.एच. के मध्य है।

नमूना केन्द्र 2 एवं 3 के जल में यह दर अधिक पाई गई है तथा शेष स्थानों पर स्वीकार्य मानक 500 एम./एच.एच. के समीप पाई गई है।

(इ) सल्फेट दर

सिर्फ एन.सी.एल. मुख्यालय, मोरवा एवं बिलौजी बैढ़न को छोड़कर प्रत्येक स्थल पर सल्फेट दर 250 एम.जी./एल.एच. की सीमा से अधिक पाई गई है। सल्फेट दर की उच्चता से घरेलू तथा औद्योगिक जल प्रदाय प्रभावित होना संभावित है।

जल के नमूने के रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र का जल बिना उचित शोधन के पेय योग्य नहीं है। वर्तमान में बिना किसी शोधन के नलकूपों द्वारा जल वितरित किया जा रहा है। जबकि नलकूपों का जल स्तर भी नीचे है।

4.4 क्षेत्रीय प्रदूषण, अध्ययन एवं नियंत्रण

सिंगरौली खदान क्षेत्र में विस्फोटकों से होने वाले प्रभाव का भूमि गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण स्तर तथा व्यापक वायु एवं जल की गुणवत्ता जैसे प्राथमिक पर्यावरणीय आंकड़ों का अध्ययन कार्य प्रारंभ हो चुका है। व्याप्त वायु-स्तर के प्रदूषण अध्ययन हेतु 24 स्थलों का चयन किया गया है। जल की गुणवत्ता परीक्षण हेतु 55 स्थल निर्धारित किये गये हैं। पूरक वन क्षेत्रों हेतु स्थल निश्चित किये गये हैं तथा कुछ स्थलों पर वृक्षारोपण भी किया गया है।

4.4.1 कोयला उत्खनन

कोयला खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को खदान के समीप ही ऊँचे टीलों के रूप में निक्षेपित किया जा रहा है इन्हीं टीलों की मिट्टी, कोयला आदि वर्षा जल के साथ कटाव के कारण प्रवाहित होकर गोविन्द वल्लभ पंत सागर में पहुंचती है और परत दर परत जलाशय में जमा होती रहती है। जिससे बांध की जल संग्रहण क्षमता कम होती जा रही है। साथ ही मिट्टी के साथ मिश्रित कोयला कण के कारण जल भी प्रदूषित हो रहा है। अतः उचित होगा कि निक्षेपित मिट्टी को समतल स्वरूप दिया जाकर वृक्षारोपण कराया जाये। जिससे भविष्य में ओर मिट्टी कटाव को कम किया जा सके। साथ ही प्रदूषित जल को चैकडेम के माध्यम से जलाशय में जाने से रोका जाये, जिससे गोविन्द वल्लभ पंत सागर बांध का जल प्रदूषण रहित हो सके।

4.4.2 ऐस. डायर/रायड़वार

एन.टी.पी.सी. द्वारा जो ऐस. डायर बनाया गया है, उसे गोविन्द वल्लभ पंत सागर से जोड़ा गया है। इसके साथ में संयंत्र में कोयला का जला हुआ राखड़ एवं अन्य रासायनिक पदार्थ गर्मजल के साथ मिश्रित होकर गोविन्द वल्लभ पंत सागर में पहुंचते हैं। जिससे बांध के तल क्षेत्र में अवसाद, निक्षेपण के कारण गहराई कम होती जा रही है साथ ही प्रदूषित गर्मजल के कारण आसपास के जल-जीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गोविन्द वल्लभ पंत सागर में हो रहे प्रदूषण एवं उसकी गहराई को कम होने से बचाना इस क्षेत्र की सर्वप्रथम आवश्यकता है। इस क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण का अध्ययन मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि वर्तमान में बांध से सीधी जुड़ी हुई ऐस. डायर को अन्यत्र प्रस्तावित कर उसके स्थान पर चेकडेम बनाया जावे।

भाग-दो

नियोजन प्रस्ताव

अध्याय-पांच

भावी आवश्यकतायें एवं प्रस्तावित भूमि उपयोग

विकास योजना का उद्देश्य क्रमबद्ध रूप से नियोजित विकास करना है। विकास योजना तैयार करने के लिए नगर की वर्तमान समस्याओं एवं आवश्यकताओं, सेवा-सुविधाओं में कमी तथा भविष्य की आवश्यकताओं का आंकलन अत्यन्त आवश्यक होता है। योजना की सार्थकता, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सिंगरौली का विकास औद्योगिक सह-विद्युत ताप संयंत्र केन्द्र के रूप में हो रहा है। अतः इस योजना का उद्देश्य नगर का नियोजित विकास, नागरिकों के स्वास्थ्य तथा अनुकूलतम वातावरण तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु योजना तैयार की गई है। मूलतः नगर की आवश्यकताओं का आंकलन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया गया है।

1. वर्तमान कमियों को संतुलित करना।
2. भावी जनसंख्या अनुमान पर आधारित नगर की आवश्यकताओं का आंकलन।
3. सक्षम आर्थिक गतिविधियों हेतु अधोसंरचना का विकास।
4. ताप विद्युत संयंत्रों एवं कोयला उत्खनन के अनुषांगिक उपयोगों पर आधारित औद्योगिक विकास।
5. आंकलित सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं का प्रावधान
6. यात्री एवं माल परिवहन के लिए अवसान केन्द्र एवं उपयुक्त परिवहन तंत्र की स्थापना

5.1 नगर के भावी कार्यकलाप

नगर विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान होता हे। जो नगर के भावी विकास एवं नियोजन में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अतः नगर को मूलरूप से निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलापों के आधार पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है :-

1. कोयला उत्खनन तथा ताप विद्युत संयंत्रों में मशीनरी, पूंजीगत निवेशकों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण की उपलब्धता।
2. निवेश क्षेत्र के प्रमुख बसाहट केन्द्रों का परस्पर समन्वय एवं विकास।
3. संपूर्ण कोयला उत्खनन क्षेत्र एवं विद्युत परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास की दृष्टि से बैढ़न को प्रमुख नगरीय कार्य केन्द्र के रूप में विकसित करना।
4. नगरीय बसाहट के समुचित विकास के साथ ग्रामीण विकास केन्द्रों का स्वतंत्र इकाई के रूप में समन्वित विकास करना।
5. वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त एवं सुविधाजनक स्थल का निर्धारण।
6. उच्च शिक्षा एवं विशिष्ट तकनीकी शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित करना।
7. मोरवा के कोयला धारित क्षेत्र में अधिवासित व्यक्तियों को बैढ़न में पुर्नस्थापित करना।

5.2 योजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य

सिंगरौली विकास योजना निम्नलिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है :-

5.2.1 निवेश क्षेत्र में स्थित बसाहटों में परस्पर कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक अधोसंरचना का विकास।

5.2.2 बरगवां का औद्योगिक विकास केन्द्र के रूप में विकास।

5.2.3 मोरवा बसाहट को उत्खनन क्षेत्र से पृथक हरित पट्टी रखते हुए स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करना।

5.2.4 बैढ़न को प्रमुख वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित करना।

5.2.4 बिलौजी, भटवा तथा पोड़ी को ग्रामीण सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करना जिससे उनके प्रभाव में आने वाले क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकें।

5.2.5 निवेश क्षेत्र में अंतर बसाहट मार्ग संरचना का प्रावधान करना।

5.2.6 बेहतर संपर्क के लिए बरगवां और बैढ़न को एक सहायक रेल लाईन द्वारा जोड़ना।

5.2.7 बैढ़न के आसपास विभिन्न क्षेत्रों तथा कार्य केन्द्रों को एकीकृत करना।

5.2.8 क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तर के कार्य पुंजक विकसित करना।

5.2.9 बैढ़न को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करना।

5.2.10 कोयला उत्खनन तथा ऊर्जा उत्पादन के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।

5.3 योजना आंकलन, क्रियान्वयन अवधि

नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसे कालावधि में सीमित किया जाना उचित नहीं होगा। किन्तु योजना को बनाते समय इसके क्रियान्वयन की समय-सीमा निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है। सिंगरौली नगर के लिए योजना काल 2011 तक प्रस्तावित है। इस विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव केवल विकास योजना की अवधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते क्योंकि नगर के कार्यकलाप योजनाकाल के उपरांत भी सतत् जारी रहते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पहलू जैसे नगरीय अधोसंरचना, सार्वजनिक सुविधायें, आमोद-प्रमोद योजना अवधि के उपरांत भी कार्यरत रहते हैं। विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव योजना कालावधि के उपरांत भी विकास योजना के पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण अथवा प्रस्तावित विकास योजना के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

5.4 भावी जनसंख्या का आंकलन

नगर की भावी आवश्यकताओं का आंकलन मुख्य रूप से उस क्षेत्र में अधिकतम अधिवासित जनसंख्या एवं भावी अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। जिसके

आधार पर वर्ष 2001 की जनसंख्या 2.75 लाख तथा वर्ष 2011 की जनसंख्या 4.00 लाख अनुमानित करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं :-

सिंगरौली : अनुमानित जनसंख्या

5-सा-1

क्रमांक	बसाहट	जनसंख्या (लाखों में)			
		1981	1991	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1	नगरीय	0.86	1.19	1.86	2.74
2	ग्रामीण	0.18	0.55	0.89	1.26
	योग	**1.04**	**1.74**	**2.75**	**4.00**

उल्लेखनीय है कि योजना अवधि में बैढ़न में आर्थिक गतिविधियों के विकास के कारण 20,000 से 50,000 तक अतिरिक्त जनसंख्या समाहित होने की संभावना है तथा बरगवां में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के कारण अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि अनुमानित है। इसके साथ ही बिलौंजी तथा भटवा, पोड़ी चयनित ग्रामीण सेवा केन्द्रों में साप्ताहिक बाजार, सेवा उद्योग तथा कृषि से संबंधित औद्योगिक गतिविधियों के भी बढ़ने की संभावना है।

5.4.1 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्तमान परिस्थितियों में मूल्यांकन के आधार पर अनुमान है कि नगर की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत भाग कर्मचारी जनसंख्या का होगा, जिसके आधार पर सिंगरौली (बैढ़न) में कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 2000-2005 एवं 2011 में क्रमशः 20-37 हजार एवं 50 हजार होगी। अनुमानित व्यवसायिक संरचना का विवरण 5-सा-2 सारणी में दर्शाया गया है।

सिंगरौली : व्यवसायिक संरचना

5-सा-2

क्र.	क्षेत्र	कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत	2001	2005	2011
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक कृषि क्षेत्र	5.00	1000	1900	2500
2	द्वितीयक गृह उद्योग	30.00	6000	11100	15000
3	तृतीयक (व्यापार, वाणिज्यिक परिवहन एवं अन्य सेवाएं)	65.00	13000	24000	32500
	योग. .	100.00	20000	37000	50000

नोट - 2001 से 2011 तक अनुमानित संख्या।

5.5 योजना अवधारणा

क्षेत्रीय विकास का प्रमुख आधार वहां पर उपलब्ध भौतिक एवं नैसर्गिक संसाधन, नदी, नाले, पहाड़ तथा परिवहन संरचना पर निर्भर होता है। सिंगरौली प्रक्षेत्र मुख्यतः कोयला खदानों, ताप विद्युत संयंत्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। धरातल की स्थिति असमतल है। मोरवा से बैढ़न एवं बैढ़न से बरगवां को जाने वाले मार्ग नगरीय बसाहट के रूप में उभर रहे हैं। क्षेत्र की अधिकांश बसाहट एवं विकास की प्रमुख गतिविधियां इन्हीं मार्गों पर विकसित हो रही हैं। अतः इस क्षेत्र का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित हो रहा है।

वर्तमान में बैढ़न, मोरवा तथा बरगवां नगरीय केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं तथा बिलौजी भटवा एवं पोड़ी ग्रामीण सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। मोरवा कोल धारी क्षेत्र में स्थित है जिसके कारण इन बसाहटों को यथावत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्रों को बढ़ावा देना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में उपलब्ध अधोसंरचना जैसे बाजार, आवासीय भवन, संबंधित औद्योगिक परिक्षेत्र, सेवा-सुविधाएं आदि अपने संपर्क में आने वाले ग्रामीण प्रभाव के परिक्षेत्रों को योजनाकाल तक उपलब्ध कराते रहेंगे।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा अनुशंसित परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सिंगरौली निवेश क्षेत्र का क्षेत्रीय एवं नगरीय स्तर पर एकीकृत योजना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है :-

1. क्षेत्रीय योजना
2. बृहत्तर नगरों की समन्वित एकीकृत योजना
3. नगर विकास योजना

5.6 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन - 2011

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में भावी विकास योजना को दृष्टिगत रखते हुए इसके अंतर्गत उपलब्ध भूमि का नियोजन की दृष्टि से भूमि उपयोग निर्धारण किया गया है। सिंगरौली के विकास हेतु कुल 3897.00 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गयी है। ऊर्जा सम्प्रेषण गलियारा के उपयोग में पूर्व से ही 2100 हैक्टर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। 435.00 हेक्टर भूमि को क्षेत्रीय वन/पार्क के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सारणी 5-सा-3 में प्रस्तावित भूमि उपयोग का आवंटन निम्नानुसार है :-

सिंगरौली : प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (2011)

5-सा-3

क्र.	भूमि उपयोग प्रकार	वर्तमान 1991			प्रस्तावित 2011		
		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत भूमि	आवंटन दर (व्यक्ति)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	1800	53.59	10.34	3637	50.07	13.27
2	वाणिज्यिक	60	1.79	0.34	342	4.71	1.24
3	औद्योगिक	358	10.68	2.06	589	8.11	2.14

1	2	3	4	5	6	7	8
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्व.	195	5.80	1.12	744	10.25	2.71
5	आमोद-प्रमोद	8	0.24	0.05	435	5.99	1.58
6	यातायात एवं परिवहन	938	27.92	5.39	1516	20.87	5.53
(अ)	योग विकसित भूमि	3359	100.00	19.30	7263	100.00	26.47
(ब)	योग उपयोगी भूमि	22829.84					
(स)	योग अनुपयोगी भूमि	27565.82					
	कुल योग (अ+ब+स)	**53754.66**	**100.00**	**19.00**	**7263**	**100.00**	**26.47**

टीप - अनुमोदित योजना के अनुसार 5.0 हे. भूमि कृषि से शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक उपयोग तथा 2.0 हे. पहाड़ी क्षेत्र से यातायात (बस स्टैण्ड) उपयोग हेतु विकास योजना में अतिरिक्त विकास हेतु सम्मिलित किया गया है। योग 7.0 हेक्टेयर।

5.7 प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना

5.7.1 आवास

विकास योजना में नये आवासीय क्षेत्रों का आंकलन योजना में अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया गया है। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत आवासगृहों की मांग की पूर्ति की दृष्टि से आवासीय उपयोग में भूमि का आवंटन किया गया है। सन् 2011 में आवासीय उपयोग हेतु कुल 3637.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है। जो प्रस्तावित क्षेत्र का 50.07 प्रतिशत है। यह 13.27 हेक्टेयर प्रति 1000 की दर से प्रस्ताव उपदर्शित करता है। आवासीय प्रस्ताव तैयार करने में 10 से 20 हजार की जनसंख्या को एक इकाई पुंजक मानते हुए उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा जावेगा। इसी तारतम्य में ग्राम पचौर व अन्य ग्रामों में आवासीय प्रस्ताव दिए गए हैं।

5.7.2 अनुमानित परिवार एवं आवासों की आवश्यकता

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार क्षेत्र में 1000 आवासीय इकाइयों की कमी पाई गई तथा गंदी बस्ती एवं दो प्रतिशत निकृष्ट वर्तमान आवासों के पुनर्निर्माण को शामिल करते हुए 3012 आवासीय इकाइयों की कमी पायी गयी है। योजना काल के अन्त में वर्तमान कमी को मिलाकर औसत परिवार का आकार 5 व्यक्ति मानते हुए 33262 आवासों की आवश्यकता आंकलित की गयी। विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 5-सा-4 में दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : अनुमानित आवासों की आवश्यकता

5-सा-4

क्र.	विवरण	वर्ष		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
1	जनसंख्या लाखों में	119.00	186000	274000
2	अतिरिक्त जनसंख्या	-	67000	88000
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00	5.00
4	अतिरिक्त परिवार	-	13400	17600

1	2	3	4	5
5	2001 में 85 प्रतिशत तथा 2011 में 90 प्रतिशत की दर से आवासीय इकाइयों की आवश्यकता।	-	11390	15840
6	1991 की कमी सहित आवासीय इकाइयों की आवश्यकता	3012	14402	30242
7	वर्तमान आवासों का प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पुर्नस्थापना।	-	1440	3020
	योग	**3012**	**15842**	**33262**

उपरोक्त अनुमानित आवासों की आवश्यकता में सभी आय वर्ग को शामिल किया गया है। समाज के वर्गीकरण का स्वरूप आर्थिक दृष्टि से आय वर्ग के अनुसार किया गया है, जिसके अनुसार नगरीय समूह में कमजोर वर्ग के अंतर्गत 40 प्रतिशत निम्न आय वर्ग के लिए 35 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग के लिए 20 प्रतिशत एवं उच्च आय वर्ग के लिए 10 प्रतिशत मानक के आधार पर क्षेत्र में आवासीय बसाहट के लिए प्रस्ताव दिये गये हैं।

5.7.3 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत विकास योजना अनुसार 402.0 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक भू-उपयोग की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 60.00 हेक्टेयर भूमि इस के अंतर्गत आती है। तथा 342.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है। विभिन्न स्तरों पर वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन सारणी 5-सा-5 के अनुसार प्रस्तावित है :-

सिंगरौली : वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन

5-सा-5

क्रमांक	स्तर श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3
1.	**क्षेत्रीय स्तर**	
	1.1 व्यापार एवं वाणिज्यिक	35.00
	1.2 विशिष्ट वाणिज्यिक केन्द्र	75.00
2.	**नगर स्तर**	
	2.1 व्यापार एवं वाणिज्यिक	18.00
	2.2 विशिष्ट वाणिज्यिक केन्द्र	40.00
	2.3 वाणिज्यिक सह. आवासीय (मिश्रित)	40.00
3.	**निवेश इकाई स्तर**	
	3.1 व्यापार एवं वाणिज्यिक	164.00

क्षेत्रीय स्तर की व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य रूप से निवेश के दक्षिणी भाग बैढ़न, बरगवां मार्ग के किनारे एवं तेलाई मोड़ से एयर स्ट्रिप परिक्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे ग्राम पचौरी एवं परसोना में भी प्रस्तावित की गयी है।

विशिष्ट वाणिज्यिक केन्द्र

5.7.4 कृषि उपज मण्डी

वर्तमान कृषि उपज मण्डी जो बैढ़न में माजन मोड से विन्ध्यनगर को जाने वाली प्रमुख रोड के दक्षिण में स्थित है, जिसका वर्तमान क्षेत्र कम है। अतः भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए उसी स्थान पर वृद्धि प्रस्तावित कर माजन मोड़ एवं दक्षिण की ओर प्रस्तावित रोड के पूर्वी भाग तक मण्डी का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 15 हेक्टेयर प्रस्तावित है।

5.7.5 शीतगृह

सामान्यतः योजना में प्रस्तावित कृषि प्रक्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य उपयोग के रूप में शीतगृह की आवश्यकतानुसार अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त संगठित शीतगृह क्षेत्र के लिए बरगवां, बैढ़न की ओर आने वाले प्रमुख मार्ग के दक्षिणी भाग में इस उपयोग के लिए स्थान प्रस्तावित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर के लगभग है।

5.7.6 थोक सब्जी मण्डी

क्षेत्रीय स्तर की विशिष्ट वाणिज्यिक गतिविधियों में सब्जी, फल एवं अन्य थोक वाणिज्यिक एवं सेवा क्षेत्र मुख्य है। जो बरगवां से बैढ़न मुख्य मार्ग पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अनाज, लकड़ी, लोहा आदि सेवा केन्द्र भी सम्मिलित हैं। नगर स्तर पर व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को मेरूदण्ड रूप में बैढ़न बरगवां मार्ग के किनारे प्रस्तावित किया गया है। यह स्थल उपमार्ग एवं कलेक्टर कार्यालय मार्ग के संगम पर है। मेरूदण्ड के रूप में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए परिक्षेत्रिक नियमन में दर्शित अन्य उपयोगों हेतु प्रावधान रखे गये हैं तथा प्रस्तावित मार्ग में चार चौक क्रमशः बैंक चौक, संचार चौक, सेवा चौक, पुलिस एवं अग्निशमन केन्द्र आदि प्रस्तावित किये गये हैं। मोरवा में बी.ई.एम.एन. कॉलोनी के अंतर्गत 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र सब्जी मंडी हेतु प्रस्तावित है।

5.7.7 भवन निर्माण सामग्री एवं गोदाम

वर्तमान में भवन निर्माण सामग्री के लिए कोई निश्चित स्थल नहीं है। वर्तमान आवश्यकता के अनुसार बैढ़न में प्रमुख मार्ग के किनारे में ही भवन निर्माण सामग्री का विक्रय किया जाता है। इससे यातायात में असुविधा होती है। अतः विकास योजना में इस हेतु विन्ध्यनगर कॉलोनी को जाने वाली प्रमुख मार्ग के दक्षिण की ओर एवं मोरवा-बरगवां से बैढ़न की ओर आने वाले प्रमुख मार्ग के उत्तरी भाग में इन गतिविधियों हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है।

5.7.8 यातायात नगर

वर्तमान नगर में यातायात नगर के नाम से कोई निश्चित स्थल निवेश क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। प्रमुख मार्गों के किनारे ही दुकानों के निकट अग्रेषण अभिकरण संचालित होते हैं। विकास योजना में बरगवां के निकट मुख्य

मार्ग के दक्षिण की ओर प्रस्तावित औद्योगिक प्रक्षेत्र के पश्चिम में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि यातायात नगर हेतु प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त नदी के उत्तर की ओर हवाई पट्टी को जाने वाले प्रस्तावित बायपास मार्ग के दक्षिण में लगभग 10 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में यातायात नगर संबंधी गतिविधियां, कर्मशाला अग्रेषण अभिकरण का कार्य प्रस्तावित कलेक्टर कार्यालय के उत्तर की ओर पावर कारीडोर के दक्षिण में लगभग 5 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार पृथक-पृथक स्थलों पर यह सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं। ग्राम मढ़ौली में एम.पी.ई.बी. एवं मुख्य मार्ग से लगकर 4.00 हेक्टेयर क्षेत्र मैकेनिक यातायात नगर हेतु प्रस्तावित है।

5.7.9 औद्योगिक

क्षेत्रीय स्तर की औद्योगिक इकाई के रूप में उच्चताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। वर्तमान समय में 358 हेक्टर भूमि औद्योगिक उपयोग में लाई जा रही है। नगर के भावी औद्योगिक विकास हेतु 231.0 हेक्टर अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार इस उपयोग के अंतर्गत 589.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल भूमि का 8.10 प्रतिशत है। जिसमें से 82 हेक्टर भूमि गनियारी में 86 हैक्टेयर भूमि कुशवाई तथा 63 हेक्टर भूमि बरगवां में आरक्षित की गयी है। कुशवई में मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि उद्योग विभाग को आवंटित की जा चुकी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. गनियारी औद्योगिक क्षेत्र

बैढ़न आबादी क्षेत्र के दक्षिण एवं गोविन्द वल्लभ पंत सागर के मध्य में ग्राम गनियारी के अंतर्गत 82.00 हेक्टर भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गयी है। इस क्षेत्र में प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत स्वीकृत उद्योगों की अनुमतियां प्रदान की जा सकेगी।

2. कुशवई औद्योगिक क्षेत्र

ग्राम मोरवा से एक किलोमीटर उत्तर की ओर ग्राम कुशवई का यह क्षेत्र ग्राम मोरवा, कोयला धारित क्षेत्र से दूर एवं आबादी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर होने से प्रस्तावित किया गया है। 86 हेक्टेयर भूमि भारी उद्योग एवं विस्फोटक से संबंधित उद्योगों की स्थापना हेतु विकास योजना में प्रस्तावित की गयी है।

3. बरगवां औद्योगिक क्षेत्र

बरगवां के दक्षिण में बरगवां से बैढ़न की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग के उत्तर की ओर 63 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है, इसमें उपरोक्त को छोड़कर अन्य मिश्रित प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकेंगे।

5.7.10 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

इस भूमि उपयोग के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यालय, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थायें, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक तथा अन्य सेवा-सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है। विकास योजना में क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय एवं खण्ड स्तरीय गतिविधियों के लिए भूमि प्रस्तावित की गयी है। वर्तमान में 195 हेक्टर भूमि उपयोग में लाई जा रही है। तथा नगर के भावी विकास हेतु 744 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई, जो कुल भूमि का 10.25 प्रतिशत है। जिसका विवरण सारणी 5-सा-6 में दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आवंटन

5-सा-6

क्रमांक	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3
1	**क्षेत्रीय स्तर**	
	(अ) सार्वजनिक सुविधायें	46.00
	(ब) संस्थान	169.00
2	**नगर स्तर**	
	(अ) शासकीय कार्यालय	42.00
	(ब) सार्वजनिक उपक्रम	69.00
	(स) स्वास्थ्य सुविधायें	35.00
	(द) शैक्षणिक	36.00
	(इ) सुविधा केन्द्र	149.00
3	**खण्ड स्तरीय सुविधाओं हेतु**	198.00
	योग	**744.00**

क्षेत्रीय स्तर पर प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं में नगर केन्द्र, जिसमें नगर भवन, सभागार, वाचनालय, संग्रहालय तथा आदिवासी कला एवं सांस्कृतिक केन्द्र तथा विशिष्ट चिकित्सालय सम्मिलित हैं। यह चिकित्सालय उपयोग के साथ-साथ सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधा के भाग के रूप में स्थित होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर संस्थान के अंतर्गत अभियांत्रिकी एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थान तथा प्रस्तावित आदिवासी खेल मैदान शामिल हैं तथा ग्राम पचखोरा में कृषि कार्यालय के उत्तर संलग्न भूमि, कलेक्ट्रेट एवं अन्य कार्यालय हेतु प्रस्तावित है। खण्ड स्तरीय सार्वजनिक सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत कर 10 पृथक-पृथक स्थलों पर प्रस्तावित है। इसी परिक्षेत्र में ग्राम धतुरा पोखरा व पचौरी में शैक्षणिक प्रस्ताव दिए गए हैं तथा पिण्डरताली में सी.ई.टी.आई. के पास महाविद्यालय का प्रस्ताव दिया गया है। प्रत्येक सुविधा केन्द्र में निम्न उपयोग समाविष्ट होंगे। जिसका विवरण सारणी 5-सा-7 में दर्शाया गया है।

सिंगरौली : प्रस्तावित सुविधा केन्द्र

5-सा-7

क्रमांक	प्रस्तावित सुविधा का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3
1	माध्यमिक विद्यालय (10+2)	2.00
2	स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र	0.8
3	खेल मैदान	1.5
4	उद्यान	0.8

1	2	3
5	सामुदायिक भवन, मनोरंजन केन्द्र तथा नगर निकाय कार्यालय	0.85
6	दुकानें	0.40
7	पुलिस चौकी	0.10
8	सेवा क्षेत्र/केन्द्र	0.25
9	विद्युत उप केन्द्र	0.03
10	अन्य उपयोग	0.25
	योग	**7.00**

5.7.11 आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद के अंतर्गत बगीचे, उद्यानों, पिकनिक स्थल, स्टेडियम, खेल के मैदान हेतु स्थान निर्धारित किये गये हैं। इसके लिए विकास योजना में 435 हेक्टेयर क्षेत्र प्रावधानित है, जो कि कुल क्षेत्र का 5.99 प्रतिशत है।

सिंगरौली : आमोद-प्रमोद हेतु प्रस्तावित भूमि आवंटन

5-सा-8

क्रमांक	स्तर/श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	**2**	**3**
1	क्षेत्रीय स्तर	
1.1	क्षेत्रीय उद्यान एवं वन नगर स्तर	200.00
2	नगर स्तर	
2.1	नगर उद्यान	100.00
2.2	मैदान	25.00
2.3	स्टेडियम	5.00
2.4	केन्द्रीय उद्यान	22.00
2.5	हरित पट्टी (पदचारी एवं हल्के दो वाहन के साथ)	53.00
3	खण्ड स्तरीय	
3.1	उद्यान, खेल मैदान एवं बगीचे	30.00
	योग	**435.00**

पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनसामान्य के मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु बाह्य मनोरंजन की भूमिका के आधार पर सिंगरौली (बैढ़न) में उद्यान, खेल मैदान एवं अन्य खुले क्षेत्रों के प्रावधान का विशेष ध्यान दिया गया है।

क्षेत्रीय स्तर पर एक वृहद क्षेत्रीय उद्यान एवं वन प्रक्षेत्र का प्रावधान रखा गया है। इसमें कांचन नदी तथा गोविन्द वल्लभ पंत सागर के किनारे के क्षेत्र के संरक्षण में सहायता मिलेगी। वस्तुतः यह वन/क्षेत्रीय पार्क नगर निगम की सीमा तक विस्तारित होगा। जिसमें हवाई अड्डे का हवाई पट्टी क्षेत्र भी शामिल होगा, नगर स्तर पर एक नगर उद्यान, एक बहुउद्देशीय मैदान तथा स्टेडियम का प्रावधान रखा गया है। ग्राम परसौना में भी आमोद प्रमोद हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है।

खंड स्तरीय उद्यान एवं बगीचे हेतु 2 केन्द्रीय उद्यान प्रस्तावित हैं। जिसमें से एक प्रत्येक खंड में स्थित होगा। विविध सुविधा केन्द्रों के मध्य उचित संपर्क हेतु 10 से 20 मीटर चौड़ी हरित पट्टी प्रस्तावित है। इस पट्टी का उपयोग गलियारे के रूप में भी किया जा सकता है। खण्ड स्तरीय नियोजन प्रस्ताव तैयार करते समय स्थानीय स्तर की दुकानें, प्राथमिक विद्यालय, धार्मिक भवन आदि इन पट्टियों के किनारे प्रस्तावित किये जा सकते हैं। ग्राम झिंगुरदा के अंतर्गत हनुमान मन्दिर एवं मुरवानी तालाब आदि स्थल एन.सी.एल. एवं वन विभाग प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने की वजह से इसमें किसी भी तरह के प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं। एन.सी.एल. एवं वन विभाग अपने क्षेत्रान्तर्गत आमोद प्रमोद से सम्बन्धित गतिविधियों का विकास कर सकते हैं।

5.7.12 यातायात एवं परिवहन

कृषि उद्योग के अंतर्गत सड़कों, रेल मार्गों, बस स्टेण्ड एवं रेल्वे स्टेशन आदि प्रस्तावित किये गये हैं। इसमें 938 हेक्टर भूमि वर्तमान समय में परिवहन उपयोग में लाई जा रही है। इसके अतिरिक्त 578 हेक्टर अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की जा रही है जो कि कुल भूमि 20.87 प्रतिशत है। बरगवां से बैढ़न की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग पर नया क्षेत्रीय बस स्थानक प्रस्तावित किया गया है, जिसका प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 10 हेक्टेयर है।

5.8 असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोगों की पुर्नस्थापना

नगर में संचालित कई गतिविधियों को अपने आस-पास के भूमि उपयोग से भिन्न होने के कारण तथा नियोजन एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए असंगत भूमि उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया हे। इसी प्रकार कुछ को वर्तमान स्थल पर आवश्यक क्षमता के अनुरूप न होने के कारण अकार्यक्षम भूमि उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। असंगत भूमि उपयोग को स्थानांतरित कर प्रस्तावित स्थल पर पुनर्स्थापित करना प्रस्तावित है। अकार्यक्षम भूमि उपयोग को तत्काल स्थानांतरिक करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे उपयोगों को कार्यक्षमता बढ़ाने या विस्तार करने आदि की अनुमति नहीं दी जावेगी। भविष्य में ऐसे स्थलों की जनहित में आवश्यकता होने पर विकास योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही स्थानांतरित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त उपयोगों का विवरण सारणी 5-सा-9 में दर्शाया गया है।

सिंगरौली : भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

5-सा-9

क्र.	स्थान का नाम	वर्तमान स्थिति	समस्या का प्रकार	प्रस्तावित स्थल	रिक्त स्थान का उपयोग
1	2	3	4	5	6
(अ)	**असंगत भूमि उपयोग**				
1	बरगवां दाल मिल एवं आरामशीन	बरगवां बस स्टेण्ड के पास	ध्वनि एवं धूल प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवां	आवासीय

1	2	3	4	5	6
2	अनाज/सॉ-मिल	जमुआ ग्राम प्रदूषण	ध्वनि एवं धूल औद्योगिक क्षेत्र	गनियारी	आवासीय
3	दोटी एसीटलनी गैस प्लांट	नवजीवन विहार के पास	आवासीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक	औद्योगिक क्षेत्र गनियारी	वाणिज्यिक
4	दालमिल	बैढ़न सिंचाई कार्यालय के पीछे	ध्वनि प्रदूषण	औद्योगिक क्षेत्र गनियारी	आवासीय
5	आरा मशीन	भरतसिंह कॉलोनी मैढौली, दुधीचुआ रोड	ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवां	आवासीय
6	आरा मशीन	सर्किट हाउस रोड, मैढ़ौली	ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवां	आवासीय
7	वियर हाउस	बाली गांव थाने के पास	पर्यावरण समस्या	बैढ़न बस स्टेण्ड के पास	आवासीय
8	आवासी बस्ती	पॉवर कोरीडोर एवं कोयला खनिज धारी क्षेत्र	आकस्मिक भावी दुर्घटना की संभावना	कोल धारित क्षेत्र मरोवा पॉवर कॉरीडोर का प्रभर क्षेत्र	आवासीय
9	ग्राम खजुरी, कटौली, सिंगरौलिया	प्रस्तावित हवाई पट्टी क्षेत्रांतर्गत	दुर्घटना की संभावना	ग्राम हिरवाह की आवासीय परिसर से संलग्न	हवाई परिसर
10	ग्राम मढ़ौली एवं पंजरेह में संचालित उद्योग	मढ़ौली पंजरेह	पर्यावरण एवं ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र कुशवई	आवासीय/ वाणिज्यिक
(ब)	**अकार्यक्षम भूमि उपयोग**				
	मोहन छविगृह	—	बैढ़न सघन आबादी क्षेत्र	नवजीवन विहार के पास	आवासीय

5.9 ग्राम विकास

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में कई ग्राम स्थित हैं। यह ग्राम नगरीय क्षेत्र की गतिविधियों एवं कोयला उत्खनन तथा ताप विद्युत उत्पादन में किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव बनाये हुए है। उनका पारस्परिक संबंध स्थापित किये जाने के उद्देश्य से विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। उनका उपयोग विकास योजना में प्रस्तावों के अनुरूप ही निर्धारित होगा। यह विकास वर्तमान आबादी के परिसीमन से अधिकतम 200 मीटर की दूरी तक सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकेगा।

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

6.1 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

सिंगरौली निवेश क्षेत्र का विकास सामान्यतः नगरीय न होकर ग्रामीण क्षेत्र के रूप में हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने के कारण रोजगार हेतु आव्रजित व्यक्ति कार्य क्षेत्र के आसपास ही नदी, नाले, तालाब एवं शासकीय खुली भूमियों पर अव्यवस्थित रूप से अधिवासित हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय परिवेश में लेते हुए सिंगरौली का विकास करने के उद्देश्य से ऐसी मार्ग संरचना प्रस्तावित की गई है, जिसमें सामंजस्य स्थापित करते हुए समुचित सुलभ यातायात संरचना प्राप्त हो सके। इसमें वर्तमान आवागमन के कमियों का निराकरण कर भावी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाजनक मार्ग श्रृंखलाओं से जोड़ने के प्रस्ताव दिये गये हैं। नगरीय अधोसंरचना को बनाये रखने के साथ-साथ भौतिक विकास के लिए सक्षम, सुरक्षित एवं मितव्ययी परिभ्रमण तंत्र का रूपांकन विकास योजना में प्रस्तावित किया गया है।

विकास योजना में परिभ्रमण तंत्र प्रस्तावित करते समय निम्न उद्देश्यों के आधार पर किया गया है :-

(अ) विभिन्न कार्य केन्द्रों के अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना उपलब्ध कराना।

(ब) क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण

(स) नगरीय गतिविधियों में परस्पर अर्न्तसंबंध मार्ग तंत्र

(द) चौराहों, तिराहों एवं वर्तमान मार्गों का नियोजित ढंग से विस्तार

(इ) सुगम आवागमान हेतु ओवर ब्रिज एवं समतल पारण का प्रावधान

6.2 परिभ्रमण अवधारणा

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत बरगवां से बैढ़न होकर वाराणसी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर के प्रमुख कार्यकलाप केन्द्रित हैं, जिसके कारण यातायात अत्यधिक असुविधाजनक एवं समय की अधिकता से नगर वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिंगरौली निवेश क्षेत्र एवं पूर्व की और उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में बीना, काकरी एवं रतड़िया कोयला खदानों तथा सिंगरौली सुपर थर्मल पॉवर, अनपरा ताप विद्युत परियोजना एवं रिहन्द थर्मलपॉवर प्रोजेक्ट आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिवधियां संचालित हैं। जिसका प्रभाव विकास की दृष्टि से निवेश क्षेत्र की बसाहट एवं अन्य गतिविधियों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र अनपरा तक पूर्व की ओर गोविन्द वल्लभ पंत सागर एवं पहाड़ियां स्थित हैं। उत्तर की ओर कोयला खनन क्षेत्र तथा वन स्थित हैं, यह क्षेत्र काफी ऊंची-नीची असमतल भूमि वाला है। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत बैढ़न एवं उसके आसपास के क्षेत्र में समतल मैदानी भूमि उपलब्ध होने के कारण विकास योजना के अधिकांश प्रस्ताव इसी समतल क्षेत्र पर दिये गये हैं तथा परिभ्रमण संरचना के प्रस्ताव भी इसी अवधारणा पर आधारित हैं।

6.3 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना

यहां के क्षेत्रीय मार्ग प्रदेश एवं देश के अन्य नगरों से संपर्क स्थापित करते हैं। सिंगरौली निवेश क्षेत्र में

उत्तरप्रदेश से प्रवेश करने हेतु तीन सड़क मार्ग हैं :-

1. मोरवा (सिंगरौली) से अनपरा
2. शक्तिनगर से जयन्त
3. अनपरा से शक्ति नगर

नगरीय यातायात को व्यवस्थित एवं सुगम स्वरूप दिये जाने हेतु भारी वाहनों का मध्यवर्ती क्षेत्र में सीधा प्रवेश प्रतिबंधित किया जाकर, क्षेत्रीय मार्ग से जोड़ते हुए बैढ़न के दक्षिणी भाग से 60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग विकास योजना में प्रस्तावित किया गया है।

6.4 नगरीय परिभ्रमण संरचना

भविष्य में बैढ़न के क्षेत्रीय एवं वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित होने से न केवल सिंगरौली निवेश क्षेत्र बल्कि आस-पास के क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे कांचन नदी पर पुल का निर्माण हो जाने पर रिहन्द तथा बैढ़न के मध्य दूरी में काफी कमी आ जायेगी तथा बैढ़न में उपलब्ध सेवा-सुविधाओं का लाभ रिहन्द आबादी क्षेत्र को भी प्राप्त हो सकेगा। बैढ़न तथा मोरवा के मध्य वर्तमान मार्ग जो कि जयन्त तथा निगाही से होकर गुजरता है, की चौड़ाई 35 मीटर प्रस्तावित की गई है। माजन मोड़ से देवरा होते हुए तेलाई तिराहा से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को जोड़ते हुए 35 मीटर का मार्ग हवाई पट्टी को जोड़ता है प्रस्तावित क्षेत्र में सुगम यातायात की दृष्टि से नवीन मार्ग संरचना के प्रस्ताव दिये गये हैं।

6.4.1 रेल्वे एवं ओवर ब्रिज

बैढ़न तथा बरगवां के मध्य रेल संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से रेल लाईन प्रस्तावित की गई है। रेल प्राधिकारियों द्वारा दो वैकल्पिक प्रस्तावों को संयुक्त करने वाली रेखीय निर्धारण का पालन किया जाये। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से संपर्क स्थापित होगा और बरगवां प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विभाजन से भी बचा जा सकेगा। इससे प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक ओर क्षेत्रीय मार्ग के साथ ही अतिरिक्त रेल्वे सुविधा उपलब्ध होगी जिससे उद्यमी भी लाभांवित होंगे। जयंत से मोरवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित रेल्वे लाईन पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बरगवां में औद्योगिक क्षेत्र के लगे हुए भलुगढ़ में रेल्वे स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें वाहन विराम स्थल एवं यात्री प्रतीक्षालय एवं आवश्यक सुविधाऐं शामिल हैं।

6.4.2 मार्गों का श्रेणी क्रम

नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का श्रेणीक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. बाय-पास मार्ग
2. क्षेत्रीय मार्ग
3. मुख्य मार्ग
4. खण्ड स्तरीय मार्ग
5. उप खण्ड स्तरीय मार्ग
6. स्थानीय मार्ग
7. सायकल एवं पदचारी मार्ग

6.4.3 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

कार्यात्मक महत्व, दीर्घकालीन यातायात की सघनता तथा यातायात के प्रकार एवं उसकी विशेषता आदि के आधार पर मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की जाती है। सारणी क्रमांक 6-सा-1 में नगर के भावी विकास एवं सुगम यातायात हेतु वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई उल्लेखित है।

सिंगरौली : मार्गों की वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई

6-सा-1

क्र.	मार्ग	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	मुख्य उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	**क्षेत्रीय स्तर**			
(अ)	**बैढ़न-सीधी मुख्य मार्ग**			
◆	बरगवां टोला से बिलौजी ताली पुलिया तक	30	35	क्षेत्रीय/नगर यातायात
◆	बिलौजी ताली पुलिया से तहसील कार्यालय तक	30	30	क्षेत्रीय/नगर यातायात
◆	तहसील कार्यालय से पुराने पोस्ट ऑफिस मोड़ तक	12.15	18	क्षेत्रीय/नगर यातायात
◆	पुराने पोस्ट ऑफिस मोड़ से विंध्यांचल सुपर थरमल प्लान्ट तक	30	35	क्षेत्रीय/नगर यातायात
◆	प्लान्ट से आगे शेष भाग	-	60	क्षेत्रीय/नगर यातायात
(ब)	**बरगवां से मोरवा**			
◆	पूरे मार्ग की चौड़ाई	30	35	क्षेत्रीय/नगर यातायात
◆	परसोना तिहारा से निवेश क्षेत्र सीमा तक माड़ा रोड	30	35	क्षेत्रीय/नगर यातायात
◆	निवेश क्षेत्र सीमा से माडा की ओर जाने वाले मार्ग के शेष भाग पर	30	60	क्षेत्रीय/नगर यातायात
(स)	**माजन मोड़ से मोरवा**			
2	बायबास मार्ग	-	60	क्षेत्रीय/नगर यातायात
3	मुख्य नगरीय मार्ग			
◆	बैढ़न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौराहे से धुरीताल होते हुए जयंत मार्ग तक.	-	30	नगर यातायात
◆	नवजीवन विहार सेक्टर कमांक 4 से होते हुए अमलोरी चौराहे तक	24	30	नगर यातायात

1	2	3	4	5
◆	ग्राम माजन में स्थित बगीचे के दक्षिणी तरफ से होते हुए हर्रई मुख्य मार्ग तक	-	30	नगर यातायात
◆	माजन मोड़ से होते हुए तेलाई मार्ग में बायपास मार्ग से मिलता है	-	35	नगर यातायात
◆	गनियारी बायपास मार्ग से हवाई पट्‌टी को जाने वाला मार्ग	-	30	नगर यातायात
◆	तेलाई चौराहा से बायपास मार्ग को जोड़ने वाला	18.24	30	नगर यातायात
◆	ग्राम करकोसा से होते हुए हिरवाह बायपास मार्ग को जोड़ने वाला	-	30	नगर यातायात
◆	कचनी चौराहा से नौगढ़ मोड को जोड़ने वाला मार्ग	18	24	नगर यातायात
◆	पुराने तहसील कार्यालय से गनियारी को -जाने वाला मार्ग	12-15	18	नगर यातायात
◆	ग्राम बिलौजी से देवरा मार्ग	18	18	नगर यातायात
◆	एस.ई.सी.एल. औषधालय से बस स्टेन्ड से होकर आई.टी.आई तक	12-15	18	नगर यातायात
◆	मुख्य मार्ग मोरबा (सर्किट हाउस से मुख्य बाजार तक)	15	18	नगर यातायात

6.5 यातायात प्रणाली में सुधार

यातायात की दृष्टि से बरगवां एवं बैढ़न मार्ग की चौड़ाई में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें वर्तमान मार्ग यातायात की क्षमता को बढ़ाया जाकर मार्ग चौड़ीकरण नया मार्ग संगम सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के प्रस्ताव निम्नानसार है :-

6.5.1 मार्ग संगमों का सुधार

1. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौराहा
2. तेलाई चौराहा
3. जयंत चौराहा
4. परसोना चौराहा
5. अस्पताल चौराहा (मोरवा)
6. बरगवां चौराहा

6.5.2 यातायात अवसार केन्द्र

(अ) रेल्वे माल गोदाम एवं लोको शेड

निवेश क्षेत्र में बरगवां, गोरवी एवं मोरवा को जोड़ते हुए कटनी से चोपन की ओर जाने वाला हावड़ा रेल

मार्ग से जुड़ा होने के कारण नगर के भावी औद्योगिक विकास को देखते हुए नवीन माल गोदाम एवं लोको शेड की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मोरवा रेल्वे स्टेशन के समीप रेल्वे लाईन के पास स्थान आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्रों के परिवहन हेतु रेल्वे लाईन प्रस्तावित की गयी है, जो जयंत से बरगवां प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन होते हुए कटनी-चोपन रेल मार्ग से जुड़ेगी।

(ब) ट्रक विराम स्थानक

बैढ़न से मोरवा को जाने वाली रोड पर माजन मोड़ से आगे ग्राम माजनकलां में बगीचे के पूर्व की ओर क्षेत्रीय ट्रक स्थानक का विकास किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही अन्य तीन स्थानों पर पृथक-पृथक विकास के लिए 6 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। भूमि अधिग्रहण एवं विकास के अतिरिक्त 1000 वर्गमीटर क्षेत्र का निर्माण भी प्रस्तावित है। ट्रक विराम स्थानकों के विकास हेतु कुल 15 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। मोरबा नगर के ग्राम मदौली में 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र मैकेनिक यातायात नगर के लिए संरक्षित किया गया है।

6.5.3 यातायात अवसान केन्द्र (यात्री)

(अ) हवाई पट्टी

सिंगरौली का प्रदेश एवं देश से वायु सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से बैढ़न के दक्षिणी भाग में ग्राम सिंगरौलिया, खजुरी एवं कटौली में मध्यम श्रेणी की हवाई पट्टी का प्रस्ताव दिया गया है जिसके लिए 163.30 हे. भूमि का प्रस्ताव है।

(ब) रेल्वे स्टेशन

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में वर्तमान में मोरवा, गोरवी, बरगवां, गोदवाली एवं करैला रोड में रेल्वे स्टेशन की सुविधा नगरवासियों को उपलब्ध है। साथ ही बरगवां के पूर्व की ओर योजना के प्रस्तावित रेल्वे लाइन में एक अतिरिक्त रेल्वे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी।

(स) बस स्थानक एवं बस डिपो

बरगवां से बैढ़न मार्ग के दक्षिण में तेलाई चौराहे के पश्चिम की ओर प्रस्तावित 18 मीटर मार्ग के पश्चिम भाग एवं दक्षिण की ओर प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग के उत्तर की ओर बस स्टेण्ड तथा बस डिपो के लिए स्थान प्रस्तावित किया गया है, जो भावी बस स्थानक के लिए सुविधाजनक होगा। इसी प्रकार ग्राम बरगवां में बरगवां से मोरवा को जाने वाली रेल्वे लाईन के पश्चिम दिशा की ओर वर्तमान रेल्वे स्टेशन के उत्तर पश्चिम की ओर स्थानीय बस स्थानक प्रस्तावित है। जो प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुविधाजनक होगा। इसी प्रकार विन्ध्य नगर में प्रमुख मार्ग के दक्षिण की ओर प्रस्तावित बायपास के उत्तर में बस स्थानक का प्रस्ताव दिया गया है, जो उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश से आने वाली बसों के लिए सुविधाजनक होगा। मोरबा के ग्राम मढ़ौली में काली मन्दिर एवं मुख्य मार्ग तिराहे से लगकर 2.0 हेक्टेयर भूमि बस स्थानक हेतु सुरक्षित रखी गई है।

(द) क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन

नगर में निम्नलिखित पिकअप स्टेशन प्रस्तावित हैं :-

1. बरगवां औद्योगिक क्षेत्र के पास
2. माजन मोड के पास
3. निगाही मोड़ के पास
4. जयंत तिराहा
5. रेल्वे स्टेशन के पास
6. गोदवाली रेल्वे क्रासिंग के पास

6.6 वहन विराम स्थल

नगर के विभिन्न स्थानों पर विशेषतः सघन गतिविधियों वाले क्षेत्रों के समीप मार्गों के किनारे वाहन विराम हेतु स्थल निर्धारित किया गया है, जो प्रभावी यातायात क्षमता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। अतः सभी मुख्य मार्ग केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु पर्याप्त स्थल प्रस्तावित है। इनके स्थल का चयन एवं निर्धारण स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जा सकेगा।

6.7 नगरीय अधोसंरचना

1. जल प्रदाय

सिंगरौली (बैढ़न) में 100 लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता संभावित है। इस प्रकार भविष्य में नगर को 25 मिलियन लीटर जल की आवश्यकता होगी। इसमें 20 मिलियन लीटर घरेलू तथा 4 मिलियन लीटर औद्योगिक तथा 1 मिलियन लीटर अन्य उपयोगों के अंतर्गत उपयोग किये जाने वाले जल की आवश्यकता सम्मिलित है। उपरोक्त जल की पूर्ति गोविंद वल्लभ पंत सागर से की जाना प्रस्तावित है। साथ ही विन्ध्याचल उच्च ताप संयंत्र के गर्म जल को पुर्न चक्रीकरण के उपरांत शोधन किया जाकर प्रदाय किया जा सकेगा।

2. जल-मल निकास

जल-मल निकास की वर्तमान में समुचित व्यवस्था नहीं हे। वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों के लिए भी समग्र रूप से जल-मल निकास की समुचित प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव दिया गया है। नगर में एकत्रित मल का उपयोग शोधन विधि से उपचार उपरांत खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होगा। घरेलू मल निकासी हेतु केन्द्रीय नाली निर्माण व्यवस्था प्रस्तावित है औद्योगिक प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों के अनुपयोगी जल को उपचार उपरान्त सामान्य जल निकास के साथ प्रवाहित किया जाना प्रस्तावित है।

3. विद्युत प्रदाय

सिंगरौली क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के साथ ही आवासीय आबादी का विस्तार होगा। जिसके लिए विद्युत उपकरणों के उपयोग में निरन्तर वृद्धि होने का अनुमान है। सिंगरौली प्रक्षेत्र में ही नेशनल थरमल पॉवर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित है, जो मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के माध्यम से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कर

सकेगा। अतः विकास योजना में नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए स्थानीय स्तर से प्रयास किया जाना आवश्यक है।

4. वर्षा का जल निकास

वर्षा जल निकासी की व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान एवं भावी आवासीय क्षेत्र को नाली सिस्टम से जोड़ते हुए एकत्रित जल शोधन क्रिया के उपरांत कांचन नदी के प्रवाह में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

5. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में ठोस अवशिष्ट के विसर्जन का कोई निर्धारित स्थान नहीं है। नगर निगम द्वारा एकत्रित कूड़ा-कचरा विभिन्न स्थलों पर अनियोजित तरीके से फेंक दिया जाता है। अतः विकास योजना में अनुपयोगी ठोस अवशिष्ट को नगर के विभिन्न स्थानों में स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित सामूहिक कचरा संग्रहण केन्द्रों से एकत्रित कर बैढ़न के दक्षिणी क्षेत्र, हवाई पट्टी के उत्तर की ओर तथा बरगवां औद्योगिक प्रक्षेत्र के पूर्व की ओर ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिए स्थल का चयन किया जाकर विकास योजना में प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही नगर के भावी विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रयास से कृषि क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का चयन किया जा सकेगा। ठोस अवशिष्ट विसर्जन उपचार एवं पुर्नचक्रीकरण का भी प्रस्ताव है। ग्राम देवरा में बायपास मार्ग के दक्षिण की ओर 14.0 हेक्टर शासकीय भूमि पर किया गया है।

6. धोबीघाट

वर्तमान में धोबीघाट का कोई निर्धारित स्थल नहीं है। विकास योजना में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नदी के तटवर्ती क्षेत्र जो पेयजल स्त्रोत के निम्न भाग में स्थित होगा, उसी क्षेत्र में इस उपयोग हेतु स्थल चयन कर इस गतिविधि का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को इस प्रकार से क्रियान्वित किया जावे कि वर्तमान जल स्त्रोतों का प्रदूषण से मुक्त रहे।

7. अग्निशमन केन्द्र

वर्तमान में विन्ध्यांचल थरमल पॉवर, एन.सी.एल. मुख्यालय, मोरवा एवं स्थानीय नगरपालिका निगम, बैढ़न के पास इसकी सुविधायें हैं जिनके द्वारा वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। किन्तु भावी औद्योगिक एवं आंकड़ों के विकास को ध्यान में रखते हुए इसे आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ वर्तमान स्थल पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

6.8 अन्य सेवायें

(1) दूरभाष केन्द्र

वर्तमान में टेलीफोन सुविधा जयंत, बरगवां, बैढ़न एवं सिंगरौली में उपलब्ध है। लेकिन सी.बी.एम.बी. टाइप स्वचलित दूरभाष केन्द्र सिंगरौली में स्थापित है। जिससे आसपास के नगरों से इसी के माध्यम से संपर्क स्थापित होता है। एम.सी.एल. में स्वयं का दूरभाष केन्द्र स्थापित है। नगर की भावी आवश्यकता को देखते हुए आधुनिक दूरसंचार यंत्रों से युक्त एक दूरभाष केन्द्र को बैढ़न में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) डाक एवं तार घर

विकास योजना में बैढ़न, बरगवां तथा मोरवा में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार भावी विकास को ध्यान में रखते हुए नवीन उप डाक/तार घर हेतु प्रावधान किया गया है।

(3) आरक्षी केन्द्र

नगरीय विकास के साथ-साथ आरक्षी केन्द्रों एवं उप आरक्षी केन्द्रों की स्थापना आवश्यकता के अनुरूप की जा सकेगी। इस हेतु विकास योजना में प्रावधान किया गया है। ग्राम रामगढ़ में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु स्थल चयन स्थानीय विकास समिति के परामर्श से किया जा सकेगा।

(4) कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट

वर्तमान में कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट निवेश क्षेत्र के अंतर्गत अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार नगर को सुविधायें प्रदान करते रहेंगे। जो स्थल अत्यधिक जन सामान्य की अन्य सुविधाओं को प्रभावित करेंगे, उन्हें सार्वजनिक हित में पर्यावरण की दृष्टि से सघन वृक्षारोपण कर वर्तमान उपयोग को बाधित करने का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। चूंकि नगर में आधुनिक संसाधनों से युक्त श्मशान घाट उपलब्ध नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए विकास योजना में कांचन नदी के तटवर्ती क्षेत्र में स्थल प्रस्तावित किया गया है। साथ ही गनियारी क्षेत्र में कब्रिस्तान प्रस्तावित है।

(5) डेयरी एवं पशुपालन

नगर में यत्र-तत्र डेयरी-सह-पशुपालन गतिविधियां अन्य प्रमुख उपयोगों के साथ मिश्रित होकर संचालित की जा रही हैं, जो नगर के पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ-साथ यातायात में बाधक है, अतः नगर निगम सीमा के बाहर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उन्हें उचित स्थल का चयन कर सर्वसुविधायुक्त क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-सात

विकास नियमन

7.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य सिंगरौली नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है यह नियमन विकास संबंधी निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

1. निवेश क्षेत्र के अन्दर समस्त विकास।
2. ऐसे क्षेत्र में जो नगरपालिक निगम सीमा के बाहर है, किन्तु निवेश क्षेत्र सीमा के अन्दर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन।
3. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, जिसमें भूमि का उप-विभाजन शामिल है तथा भूमि के व्यवसायिक उपयोग के परिप्रेक्ष्य में भूमि उपयोग।
4. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।

7.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, उस स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जावेगा। यह संभावना है कि, विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े, ऐसे संशोधनों के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जायेगा।
3. विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर तैयार किये गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि, आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं।
4. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है तो उस दशा में सिर्फ तालाबों का जलग्रहण क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का व्यवस्थापन विकास योजना प्रस्तावों से ग्राह्य सामंजस्य स्थापित करते हुए होगा।

5. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप का है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लम्बाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये, लम्बाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने की कार्यवाही सर्वे मानचित्र जो 1:4000 के माप पर हो, उसके आधार पर किया जाये।

6. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के समान ही है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के अनुसार विकास अनुज्ञा दी जावेगी।

7. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएं स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।

8. जिन अभिन्यासों को सक्षम आधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अथवा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृति दी गई है एवं उसकी समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग का अंग है।

9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन, नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु राज्य शासन के ऐसे निर्णय को योजना में समायोजित किया जा सकेगा।

10. निवेश क्षेत्र में स्थित कृषि प्रधान ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि विकास योजना, 2011 के प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अनुसार नियंत्रित होगी।

11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित कोई भी गतिविधि या भवन निर्माण, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप, उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।

12. मोरवा, कोयला धारित क्षेत्र में कोयला उत्खनन से संबंधित अस्थाई गतिविधियों हेतु सक्षम अधिकारी अधिनियम के तहत अनुमति प्रदान करेगा।

7.3 परिभाषाएं

उपयोग-परिक्षेत्र/विकास — योजना में प्रावधानित भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

उपयोग-परिसर — उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उप विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

अभिन्यास — अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हैं।

भूमि उपयोग-मानचित्र — सभी उपयोग उपक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग कहलायेगा।

परिक्षेत्रिक योजना — निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार

	सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो।
नगरीय ग्राम	विकास योजना मानचित्र में प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
नगरीय विरासत	नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें पुरातत्वीय महत्व के ऐतिहासिक भवन तथा उनके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
एकल/संयुक्त परिवार	अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितिय बदलाव के साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य
एक भूमि के टुकड़े	परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखंण्डों में उप विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो। ऐसे परिसर में गैरेज/गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लाक का प्रावधान हो। अन्य परिभाषाएं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 में वर्णित अनुरूप मान्य होगी।

7.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

सिंगरौली निवेश क्षेत्र 8 उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र को आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का प्रतिबंध विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

निर्धारित मुख्य 8 भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा-आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन तथा कृषि।

सिंगरौली : उपयोग परिक्षेत्र/उपयोग श्रेणियां

7-सा-1

क्रमांक	उपयोग श्रेणियां	उपयोग परिक्षेत्र
1	2	3
1.	आवासीय	ग्राम आबादी को सम्मिलित करते हुए आवासीय परिक्षेत्र
2.	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक परिक्षेत्र
3.	औद्योगिक	औद्योगिक परिक्षेत्र
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र
5.	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं	सार्वजनिक उपयोगिता परिक्षेत्र
6.	आमोद-प्रमोद	आमोद-प्रमोद परिक्षेत्र
7.	यातायात एवं परिवहन	यातायात एवं परिवहन परिक्षेत्र
8.	कृषि	कृषि परिक्षेत्र

टीप - उपयोग परिसर, योजना की आवश्यकतानुसार दिये जा सकते हैं।

7.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

1. इस नियमन का उद्देश्य अभिन्यास अथवा विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमनों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े नियोजन में भौतिक अधोसंरचना, जल प्रदाय एवं मल निकास हेतु प्रावधान नगरपालिक अधिनियम के उपनियमों के अनुरूप होंगे।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं भूखण्ड की गहराई प्राथमिक रूप से 1:1.5 से 1:2 होना चाहिये।

3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाई के मानकों की आवश्यकता होती है। सारणी-7-सा-2 में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है। सारणी में दर्शाये भूखण्ड आकार स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिये।

4. एक भूखण्ड में चार इकाइयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास अनुसार आवश्यक प्रावधान जैसे जल प्रदाय, मल निकास एवं पार्किंग सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पूर्व उक्त सेवाएं एवं सुविधायें उपलब्ध होना चाहिये। ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के नियम 82 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जायेंगे।

5. मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन निर्वधन एवं शर्तें अधिनियम-1998 के प्रावधान एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि आरक्षित की जायेगी।

6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के परिशिष्ट-एम (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।

सिंगरौली : आवासीय भूखण्ड के विकास हेतु मानक

7-सा-2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	विकास का प्रकार	भूतल पर निर्मित क्षेत्र	प्रस्तावित 2011				फर्शी क्षेत्र अनुपात
					अग्र	पृष्ठ	आजू	बाजू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4.0x8.0	32	पंक्ति	60	3.0	0.0	0.0	0.0	1.5
2	4.0x12.0	48	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.5
3	5.0x15.0	75	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.5
4	7.0x15.0	105	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.5
5	9.0x15.0	135	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.0	1.5	2.5	0.0	1.50
6	11.10x18.0	200	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.0	2.5	2.5	0.0	1.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	12.0x18.0	216	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.5	2.5	3.0	0.0	1.25
8	12.0x24.0	288	पृथक्कृत	40	4.5	2.5	3.0	1.5	1.25
9	15.0x24.0	360	पृथक्कृत	35	6.0	2.5	3.0	3.0	1.25
10	15.0x27.0	405	पृथक्कृत	33	7.5	3.0	3.5	3.0	1.00
11	18.0x30.0	540	पृथक्कृत	33	8.0	3.0	4.0	3.0	1.00
12	20.0x30.0	600	पृथक्कृत	33	9.0	3.0	4.5	3.0	1.00
13	25.0x30.0	750	पृथक्कृत	30	12.0	4.5	4.5	4.5	1.00

नोट - 1. उपरोक्त सारणी एकल परिवार, संयुक्त परिवार हेतु प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है।

2. सारणी के अनुक्रमांक 7 से 12 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु-इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाइयों की गणना मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे।

3. ऐसे भूखण्ड जिसका क्षेत्र नियमित अथवा अनियमित हो एवं जो सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी में सीमान्त खुला क्षेत्र आच्छादित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्र अनुपात के साथ नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति मान्य की जावेगी।

4. समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित पार्किंग व्यवस्था की गई हो तो उसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात में न की जाये।

5. एकल/संयुक्त परिवार के भूखण्ड पर 4 आवासीय इकाइयों से अधिक इकाइयां स्वीकार्य नहीं होगी।

6. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5 व्यक्ति तथा घरेलू नौकर आवास में 2.4 का रहवास माना जायेगा।

7. 288 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र में स्वीकार्य कुल निर्मित फर्शी क्षेत्रफल पर प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधानित किया जावे।

8. झुग्गियों के पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे। इससे अधिक क्षेत्रफल के नहीं।

7.6 बहुविधि बहु-मंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

7.7 वन आवास (फार्म हाउस)

निवेश क्षेत्र में स्थित कृषि क्षेत्र के कृषक के निजी रहवास एवं फार्म संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए फार्म हाउस के अंतर्गत निम्नानुसार स्वीकार्य होंगे।

1. वन आवास केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा, जिसके लिए सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुंच मार्ग उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो।

2. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा।

3. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा।

4. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊंचाई 6.5 मीटर होगी।

5. वन आवास के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर में प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करना होगा। जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा।

6. वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर सीमांत खुला क्षेत्र होगा।

7. वन आवास से जल स्त्रोत प्रभावित अथवा प्रदूषित नहीं होना चाहिये।

8. वन आवास में भवन/आच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संख्या तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/अनुमोदित की जावेगी।

9. किसी भी कृषि भूमि का भू-स्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप वन आवास के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

7.8 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 7-सा-3 में दिये गये मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान किये गये हैं।

सिंगरौली : अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

7-सा-3

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटकर व्यापार	
	- खण्ड केन्द्र	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
	- उपखण्ड केन्द्र	
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	5 से 6 इकाई प्रति एक हजार कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा परिसर	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

1	2	3
5.	बस विराम स्थल	1 इकाई प्रति 2 बस स्थान
6.	विद्यालय	
	- प्राथमिक	3 से 4 इकाई
	- माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	5 से 6 इकाई
7.	उद्यान	
	- क्षेत्रीय नगर/उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार
	- पासवर्ती उद्यान	2 से 3 इकाई
8.	आवासीय	1 इकाई प्रति 1000 जनसंख्या
9.	औद्योगिक	5 से 6 इकाई प्रति 1000 कर्मकार
10.	मुख्य रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप - प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

7.9 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका

निवेश इकाई केन्द्र में निम्न घटक होंगे -

फुटकर दुकानें	- वाणिज्यिक कार्यालय
सेवा केन्द्र	- सुविधाएं
संस्कृति परिसर	- होटल
भू-दृश्यीकरण घटक	- थोक व्यापार (जहां उपलब्ध कराया गया हो)

कुछ परिस्थितियों में उपरोक्त सभी घटकों के लिए एकीकृत योजना बनाना संभव हो सकता है। अन्य परिस्थितियों में भूमि विकास एवं उसके बिकने, कार्यवधि अथवा कतिपय रूपांकन संबंधी आवश्यकताओं के कारण इस समाधान की संभावना नहीं हो सकती है। सुविधाओं, होटलों तथा थोक व्यापार के घटकों के विकास को अलग से अंकित किये जाने की आवश्यकता हो सकती है। संभवतः अन्य समूह यथा खेरची, कार्यालय, संस्कृति परिसर तथा आवासीय उपयोग को भू-दृश्य एवं परिभ्रमण के माध्यम से उसी भवन स्थल या क्षेत्र में ज्यादा सरलता से एकीकृत किया जा सकता है। सभी घटकों को या कुल घटकों को शामिल करते हुए एकीकृत योजना तैयार करने का कार्य नियोजक के ऊपर छोड़ देना उचित होगा। नगर/निवेश इकाई केन्द्र के भाग के रूप में भू-दृश्यीकरण क्षेत्रों को नगर स्तरीय आमोद-प्रमोद क्षेत्रों से जोड़कर सुखद पर्यावरण उत्पन्न करना चाहिये।

नगर/निवेश इकाई केन्द्र के चारों ओर आवासीय क्षेत्रों का पादचारी, पहुंच या उपमार्गों द्वारा निर्धारित होना चाहिए।

सिंगरौली : वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड

7-सा-4

क्र.	वर्ग	स्थिति	भूखण्ड निर्मित क्षेत्र (भूखण्डीय विकास)	निर्मित क्षेत्र (निगमित विकास)	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1	2	3	4	5	6
1	नगर केन्द्र	मध्य क्षेत्र (मुख्य मार्ग)	80 प्रतिशत	25 प्रतिशत	1.25
2	निवेश इकाई केन्द्र	सभी निवेश इकाई केन्द्र के वाणिज्यिक क्षेत्र परिक्षेत्रिक योजना	80 प्रतिशत	25 प्रतिशत	1.00
3	वृत्त खण्ड स्तरकेन्द्र/ सामुदायिक	परिक्षत्रिक योजना	80 प्रतिशत	30 प्रतिशत	1.00
4	स्थानीय केन्द्र	--तदैव--	80 प्रतिशत	40 प्रतिशत	0.60
5	सुविधाजनक दुकानें	अभिन्यास प्रस्ताव के अनुसार	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	0.60
6	गोदाम एवं भण्डार	-	70 प्रतिशत	40 प्रतिशत	1.00
7	थोक बाजार	-	70 प्रतिशत	25 प्रतिशत	1.00

- परिसरों का प्रतिशत भूमि उप विभाजन से असंबद्ध होगा।
- संगठित बजार केन्द्रों की अनुज्ञा केवल उपदर्शित, वाणिज्यिक क्षेत्रों में ही दी जायेगी।

टीप - नियोजन एवं विकास के लिए सारणी 7-सा-4 के प्रावधान लागू होंगे।

अभिन्यास अनुमोदन आदि के लिए सारणी 7-सा-5 के प्रावधान लागू होंगे।

उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।

किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में मार्ग, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि पर निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात का दुगुना फर्शी क्षेत्र अनुपात स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

सिंगरौली : थोक वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

7-सा-5

क्रमांक	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत
4.	मार्गों की चौड़ाई-	
	- बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर
	- दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े होने एवं मुड़ने के लिए न्यूनतम चौड़ाई	18 मीटर
	- दुकानें के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई	3 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
	- नीलामी चबूतरा	10x30 मीटर (उपयुक्त)
	- खण्ड लंबाई	100 से 200 मीटर के मध्य
6.	विराम स्थल	1.50 कार स्पेस प्रति 10.0 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र के

7.9.1 ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र

पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिए निम्न नियमन अनुशंसित हैं -

1. मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी

   (अ) 30 मीटर से न्यूनतम दूरी 150 मीटर

   (ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक मार्गाधिकारी (चौड़ाई) 250 मीटर

2. मार्गों के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होना आवश्यक है।

3. न्यूनतम भूखण्ड आकार

   (अ) केवल ईंधन भराव केन्द्र 30x17 मीटर

   (ब) ईंधन भराव सह-सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 36x30 मीटर एवं अधिकतम 45x33 मीटर

(स) भूखण्ड का अग्र भाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिये।

(द) भूखण्ड का अग्र भाग मार्ग से लगा हुआ तथा अग्रभाग होगा।

4. 24 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होंगे।

7.9.2 छविगृह के लिए मापदण्ड

मार्ग की चौड़ाई	छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
विराम स्थल	सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी.एस. 100 वर्गमीटर अथवा एक ई.सी.एस. प्रति 150 कुर्सियों के लिए, इनमें जो भी कम हो।
आवश्यक क्षेत्र	2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जाये। भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिए अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिए अधिकतम 33 प्रतिशत।
सीमान्त खुला क्षेत्र -	
सामने	न्यूनतम 15 मीटर
आजू/बाजू	न्यूनतम 4.5 मीटर/4.5 मीटर
पृष्ठ	न्यूनतम 4.5 मीटर

7.9.3 उपाहार गृह (होटल) हेतु मापदण्ड (नगर केन्द्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)

1. भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत
2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.00
3. अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर

- फर्शी क्षेत्र अनुपात 5 प्रतिशत होटल गतिविधि से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- अधिकतम तलघर का क्षेत्रफल भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर हो सकेगा।
- यह परिसर किसी भी अन्य भू-उपयोग में लिये जाने की दशा में नियम केवल उपाहार गृह हेतु ही लागू होंगे।
- वाहन विराम स्थल 7-सा-12 अनुसार होंगे।

7.9.4 अल्पाहार गृह (रेस्टोरेंट) हेतु मापदण्ड (नगर केन्द्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)

1.	भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	33 प्रतिशत
2.	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	0.75
3.	अधिकतम ऊँचाई	12 मीटर

- यह फर्शी क्षेत्र अनुपात भूखण्ड का उपयोग केवल अल्पाहार गृह में लागू होगा।
- वाहन विराम स्थल 7-सा-12 अनुसार होंगे।

7.10 औद्योगिक विकास मानक

अभिन्यास के मानक

औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होंगे -

1. भूखण्ड का क्षेत्र	अधिकतम 60 प्रतिशत
2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र	अधिकतम 30 प्रतिशत
3. दुकानें एवं अन्य सेवा सुविधाएं	न्यूनतम 10 प्रतिशत

सिंगरौली : औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु मापदण्ड

7-सा-6

क्र.	भूखण्ड का आकार	अधिकतम निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)	न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)			अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात
			सामने	आजू/बाजू	पीछे	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0.05 हेक्टेयर	60	3	3/2.5	2.5	1.0
2.	0.05 से अधिक 0.1 हेक्टेयर तक	55	5	4/2.5	2.5	0.8
3.	0.1 हेक्टेयर से 0.2 हेक्टेयर तक	50	9	3/4.5	3.0	0.75
4.	0.2 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर तक	45	10	4.5/6	3.0	0.75
5.	1.0 हेक्टेयर से 2.0 हेक्टेयर तक	45	12	6/6	4.5	0.75
6.	20 हेक्टेयर से अधिक	33	15	6/6	4.5	0.75

7.10.1 फ्लेटेड फैक्ट्रियां

न्यूनतम भूखण्ड आकार	-	1000 वर्गमीटर
निर्मित क्षेत्र	-	50 प्रतिशत
फर्शी क्षेत्र	-	1.50 अधिकतम
सीमान्त खुला क्षेत्र	-	स्थल स्थिति/वाहन विराम सुविधा सहित अभिन्यास के मानक अनुसार

7.11 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक

सामाजिक अधोसंरचना के मानक निम्नानुसार हैं :-

सिंगरौली : सेवा-सुविधाओं हेतु मापदण्ड

7-सा-7

क्रमांक		प्रकार	अधिकतम निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1		2	3	4
1.	**शैक्षणिक**			
	अ.	पूर्व माध्यमिक शाला	40	0.75
	ब.	प्राथमिक शाला	33	0.75
	स.	उच्चतर माध्यमिक शाला	30	1.00
	द.	महाविद्यालय	25	1.00
	इ.	शैक्षणिक एवं अनुसंधान केन्द्र	20	0.80
2.	**स्वास्थ्य**			
	अ.	स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम	33	1.00
	ब.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	33	1.00
	स.	अस्पताल	33	1.00
3.	**सेवा एवं सुविधाएं**			
	अ.	आरक्षी चौकी	35	0.70
	ब.	आरक्षी केन्द्र आवास सुविधा सहित	25	1.00
	स.	सामुदायिक कक्ष	30	1.00
	द.	उप अग्निशमन केन्द्र	25	0.75
	इ.	अग्निशमन केन्द्र	25	0.75
	फ.	डाक एवं तार	30	1.00
	ग.	विद्युत भवन	30	1.00
4.	**धार्मिक भवन**		30	1.00
5.	**शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय**		25	1.00

टीप - उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनका अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.00 से अधिक नहीं होगा।

सिंगरौली : सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड

7-सा-8

सेवा-सुविधाएँ	जनसंख्या (हजार में)	प्रति सुविधा के लिए अनुशंसित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3
शैक्षणिक		
नर्सरी, पूर्व प्राथमिक केन्द्र	2500-3000	0.08-0.1
प्राथमिक शाला	3000-4000	0.40-0.60
उच्चतर माध्यमिक शाला	7500-10000	1.60-2.00
महाविद्यालय	0.80 लाख	4.0
विविध शिल्प कला मंदिर	1-2 लाख	0.2-0.5
स्वास्थ्य		
स्वास्थ्य केन्द्र	15000	0.08-0.2
नर्सिंग होम	45000	0.2-0.5
सामान्य चिकित्सालय	1.0 लाख	1.0-3.0
सामाजिक एवं सांस्कृतिक		
कला वीथिका एवं संग्रहालय	नगर	0.5 से 1.0
आडीटोरियम	1 से 2 लाख	0.5 से 1.0
क्लब	1 लाख	0.5 से 1.0
सामुदायिक कक्ष एवं पुस्तकालय	15000	0.2 से 0.4
धार्मिक भवन	5000	0.04
सुरक्षा		
आरक्षी चौकी	40000-50000	0.16
आरक्षी केन्द्र	0.75 से 0.90	1.15 से 1.50
जिला पुलिस कार्यालय	नगरीय	2.0 से 5.0
जिला जेल	नगरीय	8.0 से 10.0
होमगार्ड परिक्षेत्रीय कार्यालय	1.0	1.0
अग्निशमन केन्द्र	1.0	2.0

1	2	3
अन्य		
दुग्ध वितरण केन्द्र	5000	0.002
दूरभाष केन्द्र	1 लाख	0.8 से 1.0
तार कार्यालय	2 लाख	0.2 से 0.5
मुख्य डाकघर	2 लाख	0.06 से 0.1
तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम	40000 से 50000	0.25 से 0.6
टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल	15000	0.06
कब्रिस्तान/शमशानघाट	1 लाख	2.0
विद्युत उपकेन्द्र (66 कि.वा.)	1 लाख	1.0
विद्युत उपकेन्द्द (11 कि.वा.)	7500 से 10000	0.05

टीप- निम्न मूल्यों स्थलों के लिये उच्च तथा उच्च मूल्यों के लिये निम्न मूल्य प्रभावशील होंगे।

शैक्षणिक एवं अनुसंधान केन्द्र (आठ हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के बड़े परिसर)

इन नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, चिकित्सा, यांत्रिकी महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्था के बड़े परिसर शामिल किये गये हैं। परिसर को चार भागों में विभक्त किया गया है, तथा नियमन निम्नानुसार होंगे :-

(अ)	शिक्षा संबंधी प्रशासन सहित	(कुल भूमि का 45 प्रतिशत मार्गों सहित)
	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	अकादमी एवं प्रशासकीय क्षेत्र का 20 प्रतिशत
	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात	0.80

अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर एवं ठीक नीचे तलघर स्वीकार्य होगा, यदि तलघर का उपयोग वाहन विराम एवं सेवाओं के अन्तर्गत किया जायेगा तो इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नहीं की जायेगी।

(ब)	आवासीय	(कुल भूमि का 25 प्रतिशत मार्गों सहित)

यह क्षेत्र 400 व्यक्ति प्रति मीटर की कुल सघनता के साथ विकसित किया जायेगा। आवासीय से संबद्ध सुविधाओं हेतु 9.2 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति की दर से भूमि आरक्षित की जायेगी। समूह आवास हेतु उपविभाजन नियमन लागू होंगे।

(स)	खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	(कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत)
	अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र	खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र का 10 प्रतिशत
	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात	0.15

(द) उद्यान एवं भू-दृश्यीकरण (कुल भूमि का 15 प्रतिशत)

क्षेत्र के लिये उपयुक्त भू-दृश्यीकरण योजना तैयार की जायेगी।

(इ) जहां विशेष नियमन नहीं दिये हों, वहां सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि परिसरों के लिये निम्न मापदण्ड लागू होंगे-

अधिकतम भूतल निर्मित क्षेत्र 25 प्रतिशत

अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात 1.00

सिंगरौली : खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

7-सा-9

सुविधाएं	निम्नतम भूमि/क्षेत्र (हैक्टेयर) प्रति हजार व्यक्ति	निम्नतम भूमि प्रति इकाई (हैक्टेयर)	निम्नतम प्रति इकाई की चौड़ाई (मीटर)	सेवा हेतु सामान्य जनसंख्या	सेवा क्षेत्र की अधिकत त्रिज्या (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
टाटलॉट	0.03	0.03	15	1000	0.15
क्रीड़ा क्षेत्र	0.06	0.30	45	5000	0.30
क्रीड़ा मैदान	0.10	1.50	138	15000	0.50
नेवरहुड पार्क	0.20	0.75	60	5000	0.30
वृत्त खण्ड उद्यान	0.20	1.50	100	15000	0.30
क्रीड़ा केन्द्र	0.04	4.00	175	1 से 3 लाख	-
नगर उद्यान	0.30	4.00	150	1 से 3 लाख	-
अन्य	-	5.00	-	1 से 3 लाख	5.00

टीप - टाटलॉट क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ांगन तथा दो स्तरों के स्थानीय उद्यानों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में परिभ्रमण एवं वाहन विराम की आवश्यकतायें शामिल हैं।

अन्य सुविधाओं के अन्तर्गत परेड मैदान, प्रदर्शनी क्षेत्र आदि शामिल हैं।

7.12 अन्य उपयोग गतिविधियों हेतु विकास नियमन

(अ) लाजिंग गृह

अधिकतम भू-आच्छादन 45 प्रतिशत

अधिकतम ऊँचाई 12.0 मीटर

अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 1:1.50

अन्य नियंत्रण

सामने की सड़क की चौड़ाई (मार्गाधिकार)	12.0 मीटर

(ब) **धर्मशाला, मंगल भवन एवं रात्रि विश्राम गृह**

न्यूनतम भू-खण्ड आकार	800 वर्गमीटर
अधिकतम भू-आच्छादन	33.33 प्रतिशत
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.00

अन्य नियंत्रण

(1) सामने की सड़क की चौड़ाई (मार्गाधिकार) 12.0 मीटर

(2) तलघर अधिनियम भू-तल निर्मित क्षेत्र के नीचे मान्य किया जायेगा।

(द) **अतिथिगृह, बोर्डिंग हाउस**

न्यूनतम भू-खण्ड आकार	500 वर्गमीटर
अधिकतम भू-आच्छादन	33.33 प्रतिशत
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.0

7.13 यातायात नगर के मानक

यातायात नगर/मैकेनिक नगर के अभिन्यास हेतु निम्नलिखित मानक रहेंगे :-

सिंगरौली : यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

7-सा-10

क्रमांक	कार्य का प्रकार	इकाईयां प्रति 100 ट्रक	अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमीटर
1.	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29-450
2.	कलपुर्जों की दुकानें	10-15	9-72
3.	यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशॉप	15-25	7.5-13.5
4.	टायर ट्यूब बिक्री दुकानें	12-20	7.5-90
5.	ढाबा	5-7	30-90
6.	चाय-नाश्ता दुकान	8-19	9-14
7.	पान, सिगरेट दुकान	10-14	2-5
8.	नाई/सिलाई दुकान	1	10-15

टीप - सकल क्षेत्र 1.1 से 1.5 हैक्टेयर के लगभग प्रति 100 ट्रक की आवश्यकता होती है।

सुविधायें

प्रति 100 ट्रकों के लिए विभिन्न सेवा के प्रावधान निम्न मानकों के अनुरूप होंगे :-

सिंगरौली : यातायात नगर में सुविधाओं के मापदंड

7-सा-11

क्रमांक	सुविधा	क्षेत्रफल प्रति इकाई (वर्गमीटर)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम एक
2.	डाकघर	100	प्रत्येक आवसान स्थल पर एक
3.	पेट्रोल पम्प	800	निर्गम/आगमन स्थल पर एक
4.	होटल, लॉज	600	ऊपरी मंजिल पर
5.	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6.	उपचार गृह	200	यथोचित स्थल
7.	अग्निशमन केन्द्र	200	यथोचित स्थल
8.	धर्मकांटा	300	प्रवेश निर्गम/आगमन स्थल पर

टीप - 1. सकल क्षेत्र 0.25 हैक्टेयर प्रति 100 ट्रक (व्यस्ततम समय) अथवा अभिन्यास का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र।

2. **अभिन्यास में मार्ग संरचना**

- प्रमुख मार्ग — 18 मीटर चौड़ा
- द्वितीयक मार्ग — 9-12 मीटर चौड़ा
- खुले क्षेत्रों के ओर के मार्ग — 12-18 मीटर चौड़ा

3. **पार्किंग एवं खुले स्थल**

36 वर्गमीटर प्रति ट्रक जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग वे या खुले यार्ड के रूप में।

7.14 वाहन विराम स्थल के मापदण्ड

वाहन विराम स्थल के मापदण्ड निम्न सारणी अनुसार होंगे :-

सिंगरौली : वाहन विराम स्थल मापदण्ड

7-सा-12

क्र.	उपयोग/उपयोग परिक्षेत्र	ई.सी.एस. प्रति वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल पर
1	2	3
1.	**आवासीय**	
	समूह आवासीय, भू-खण्डीय विकास (250 वर्गमीटर से बड़े) एवं मिश्रित उपयोग।	0.50-1.50

1	2	3
2.	**वाणिज्यिक**	
	(अ) थोक व्यापार एवं परिवहन परिसर (लोडिंग-अनलोडिंग हेतु वाहन विराम की आवश्यकता सहित)	1.50-2.50
	(ब) नगर केन्द्र, उप नगर केन्द्र, होटल, सिनेमा एवं अन्य	1.00-2.00
	(स) सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय दुकानें, सुविधाजनक दुकानें, अल्पाहार गृह	0.50-1.50
3.	**सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधायें**	
	(अ) नर्सिंग होम, चिकित्सालय (शासकीय को छोड़कर) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य संस्थाएं, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	0.50-1.50
	(ब) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शासकीय चिकित्सालय	0.25-0.75
4.	**औद्योगिक**	
	छोटे एवं सेवा उद्योग, फ्लेटेड ग्रुप फैक्ट्री, वृहद् उद्योग	0.50-1.00

टीप - 1. कार विराम स्थल के प्रावधान हेतु निम्नानुसार मानक होंगे :-

अ. खुले क्षेत्र में वाहन विराम हेतु 18.0 वर्गमीटर प्रति कार।

ब. भू-तल पर आच्छादित वाहन विराम 23.0 वर्गमीटर प्रति कार।

स. तलघर का वाहन विराम 28.0 वर्गमीटर प्रति कार।

2. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में उपरोक्त मानकों के आधार पर भूतल एवं तलघर में वाहन विराम का प्रावधान किया जा सकता है।

3. नगर केन्द्र अथवा उप-नगर केन्द्र में उपरोक्त मानकों के आधार पर वाहन विराम की आवश्यकता के अनुसार तल के अलावा और अतिरिक्त भूमिगत वाहन विराम की व्यवस्था की जा सकती है। यह व्यवस्था नगर चौक पदयात्रा पथ, खुले क्षेत्रों के नीचे की जा सकती है, परंतु यह व्यवस्था संबंधित परिसर की सीमा रेखा में ही रखी जावें।

4. ई.सी.एस. : कार क्षेत्र के तुल्यांक (कार स्पेस इक्विलेंट)

स्रोत : यू.डी.पी.एफ.आई. मार्गदर्शिका।

7.14.1 मार्गों से लगकर वाहन विराम

कोणीय विराम का क्रियान्वयन तभी किया जाना चाहिए, जबकि मार्ग की चौड़ाई कम से कम 20 मीटर हो तथा यातायात का आयतन बहुत अधिक न हो। कार विराम के लिए सामान्यतः 2.5 मीटर से 5 मीटर तक ट्रक के लिए 3.75 मीटर से 7.5 मीटर का स्थल सामान्य आकार प्रति इकाई के रूप में रखा जा सकता है।

सिंगरौली : मार्गों से लगकर वाहन विराम मापदंड

7-सा-13

विराम प्रकार	कर्व से वास्तविक चौड़ाई (मीटर में)	कर्व लाइन से समानान्तर नापी गई कार के लिए लंबाई (मीटर में)
1	2	3
समानांतर	2.50	5.90
30 डिग्री	4.66	5.00
45 डिग्री	5.31	3.54
60 डिग्री	5.58	2.89
90 डिग्री	5.00	2.50

7.15 निकास मार्गों की चौड़ाई

1. लूप मार्ग	9 मीटर	अधिकतम लंबाई 500 मीटर
2. कल्डी सेक	7.5 मीटर	अधिकतम लंबाई 150 मीटर घूर्णन वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर
3. गली सामान्य आवासीय क्षेत्र में	6 मीटर	अधिकतम लंबाई 100 मीटर

आवासीय उपयोगों के अन्तर्गत पहुँच मार्गों की चौड़ाई इन मार्गों की लंबाई को आधार मानते हुए निम्नानुसार प्रावधानित की गई है :-

सिंगरौली : पहुँच मार्ग की चौड़ाई तथा लम्बाई

क्रमांक	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	पहुँच मार्ग की लम्बाई (मीटर में)
1	2	3
1.	6.0	100
2.	7.5	150
3.	9.0	250
4.	12.0	400
5.	18.0	1000
6.	24.0	1000 से अधिक

टिप्पणी- 1. पहुंच मार्ग, विद्यमान भवन रेखा से कम से कम 3 मीटर के अन्तर पर खुले स्थान से आगे होगा।

2. यदि विकास कार्य पहुँच मार्ग के केवल एक ओर ही किया जाता हो तो प्रत्येक मामले में विहित चौड़ाई 1 मीटर कम की जा सकेगी।

(ख) **अन्य भवन** - अभी औद्योगिक भवनों, थिएटर, सिनेमाघरों, सभा भवनों, स्टूडियों, शैक्षणिक भवनों, बाजारों तथा अन्य भवनों के लिए जहां भारी भीड़ होती हो पहुँच मार्ग का माप निम्नलिखित से कम नहीं होगा-

पहुँच मार्ग की चौड़ाई मीटर में	पहुँच मार्ग की लम्बाई मीटर में
12.0	200
15.0	400
18.0	600
24.0	600 से अधिक

और किसी भी दशा में, पहुँच मार्ग की चौड़ाई अभिन्यास तथा उपखण्डों में निर्दिष्ट आन्तरिक पहुँच मार्ग की चौड़ाई से कम नहीं होगी।

(5) **रास्ता** - सड़क मार्ग या आन्तरिक पहुँच मार्ग से भवनों में प्रवेश कम से कम यथाशक्य 1.5 मीटर चौड़े पक्के रास्ते से किया जाएगा, बशर्ते रास्ते की लंबाई 30 मीटर से अधिक न हो।

(6) **अल्प आय गृह निर्माण स्कीमों के लिए रास्ते की चौड़ाई** - अल्प आय समूह के लिए विशेष निर्माण स्कीमों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दो मंजिली कतारों में विकसित ग्रुप निर्माण स्कीमों/समूहबद्ध गृह निर्माण स्कीमों के मामले में रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर होगी, जो रास्ते के दोनों ओर बने अधिक से अधिक 8 भू-खण्डों के उपयोग के लिए होगा; रास्ते की लंबाई 50 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(7) **पहुँच मार्ग की लम्बाई** - मुख्य पहुँच मार्ग की लम्बाई दूरस्थ भू-खण्ड (भवन) से सार्वजनिक मार्ग तक की दूरी द्वारा अवधारित की जाएगी। गौण पहुँच मार्ग की लंबाई उसके प्रारंभ होने के स्थान से अन्य चौड़ी सड़क जिस पर वह मिलता है, तक मापी जाएगी।

मार्गों/गलियों की अनुशंसित चौड़ाई

आवासीय उपयोगों के अन्तर्गत पहुँच मार्गों की चौड़ाई इन मार्गों की लंबाई को आधार मानते हुए निम्नानुसार प्रावधानित की गई है।

7.16 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

वे उपयोग जो 7 प्रमुख परिक्षेत्रों के अंतर्गत हैं तथा जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर स्वीकार हैं, वे सारणी 7-सा-14 में दर्शाई गई हैं :-

सिंगरौली : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

7-सा-14

क्र.	भूमि उपयोग	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	आवासीय	आवासगृह, छात्रावास, अतिथि-गृह लॉजिंग एवं बोर्डिंग हाऊस, धर्मशाला, बारातघर, सामुदायिक हाल, आश्रम गृह, बालक यातायात पार्क,	व्यावसायिक कार्यालय घरेलू व्यावसायिक इकाई नर्सिंग होम, कार्यालय, होटल, आटा चक्की, पेट्रोल पम्प, हल्के वाहनों की मरम्मत से संबंधित सीमित कार्य, छविगृह,

1	2	3	4
		प्रयोगशालायें, शिशु सदन, बालविहार, पाठशालायें, धार्मिक स्थान, आमोद-प्रमोद क्लब, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवायें टैक्सी व स्कूटर स्टैण्ड, बस स्टाप	संग्रहालय, पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र सहकारी उपभोक्ता भंडार तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट- जे भाग 1 एवं भाग-2 में सम्मिलित गृह उद्योग
2.	वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, होटल, लॉजिंग तथा बोर्डिंग गृह सुविधा दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, छविगृह, बस अवसान केन्द्र टर्मिनल, नर्सिंग होम, धार्मिक परिसर, सेवाएं तथा सुविधायें, छविगृह, थोक बाजार, भण्डारण, सेवा केन्द्र, मोटर गैरेज, कबाड़खाना, मण्डी, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सेवाएं	धर्मशाला, सभागृह, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, कला केन्द्र संग्रहालय, संगीत नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय एवं कर्मशाला तथा मध्यप्रदेश, भूमि विकास नियम,1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट-जे में सम्मिलित उद्योग
3.	औद्योगिक		
(अ)	सेवा उद्योग	हल्के उद्योग, आरामिल, दाल तथा तेल मिल, दूध डिब्बे में भरना, डिब्बे बनाना, मरम्मत कर्मशाला, सेवा केन्द्र सार्वजनिक सेवा भवन	पेट्रोल पम्प, परिवहन एजेंसी शो रूम, दुकानें, उपाहार गृह, माल गोदाम, अग्रेषण अभिकरण। मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग
(ब)	अन्य उद्योग	सामान्य भारी एवं मध्यम उद्योग, गैस भण्डारण, शीतगृह, एल.पी.जी. रिफलिंग प्लांट, रासायनिक उद्योग, चमड़े के उद्योग, मद्य निर्माण शाला एवं अन्य उद्योग	आवश्यक श्रमिक आवास, बस डिपो कर्म-शाला, बस टर्मिनल, रेलवे माल गोदाम, सेवा कर्मशाला, गोदाम, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	केन्द्र एवं राज्य शासन के कार्यालय, शासकीय निजी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, परिचर्चा हाल, व्याख्यालय, फुटकर एवं दुरूस्ती की दुकानें, औषधालय, ग्रंथालय, संग्रहालय, सांस्कृतिक केन्द्र, सभागृह, पुलिस पोस्ट, सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाएं, विद्यालय कला केन्द्र, समस्त शैक्षणिक संस्थाएं, तकनीकी संस्थाएं, शोध प्रयोगशालाएं, चिकित्सालय, चिकित्सा प्रयोगशाला, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक सेवाएं।	धर्मशाला, आश्रयगृह, क्लब, फुटकर एवं मरम्मत की दुकाने, अनुषांगिक आवासगृह, उपाहारगृह एवं खेल मैदान, कला केन्द्र।

1	2	3	4
5.	आमोद-प्रमोद	समस्त आमोद-प्रमोद स्थल, क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ागण, तरण पुष्कर, मेला एवं प्रदर्शनी स्थल, पिकनिक स्थल, उद्यान शूटिंग रेंज, पशु-पक्षी, अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान।	नर्सरी, अस्तबल, अनुषांगिक अल्पाहार गृह, योग केन्द्र, मनोरंजन उद्यान
6.	यातायात एवं परिवहन	रेलवे स्टेशन, माल प्रांगण, सभागार प्रांगण, नगरीय बस यात्रा आरंभ एवं समाप्ति केन्द्र, बस टर्मिनल, ट्रक स्टेण्ड, गोदाम	अग्रेषण अभिकरण, शीतगृह, पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र, मरम्मत की दुकानें, आटो पार्ट्स दुकानें, उपहारगृह, भोजनालय
7.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो कि कृषि की परिभाषा में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्वीकार है, प्रदर्शन प्रयोगशाला कृषि, फार्म, हेलीपेड, विद्युत/दूरदर्शन/रेडियो केन्द्र।	पेट्रोल पम्प, कब्रिस्तान, शमशान, मल शोधन केन्द्र, खंती स्थान, ईंट-भट्टे, कुम्हारी कार्य, पत्थर तोड़ने का कार्य दूध एवं कुक्कुट पालन, माल गोदाम शीतगृह एल.पी.जी. गोदाम, दुग्ध शीतजन केन्द्र सेवाएं, खाद एवं बीज संग्रह केन्द्र, कृषि यांत्रिकी एवं सुधार प्रतिष्ठान, ढाबा।

टीप - 1. विकास योजना में उपदर्शित मुख्य भू-उपयोग वर्ग में उपरोक्त सारणी के क्रमांक 1 से 6 अन्तर्गत उल्लेखित समस्त स्वीकार्य गतिविधियों का संयुक्त कुल क्षेत्र उस मुख्य भू-उपयोग के विकसित/विकासशील क्षेत्र का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अनुज्ञेय हो सकेगा।

2. मोरवा कोयला धारित क्षेत्र में कोयला उत्खनन से संबंधित अस्थायी गतिविधियों हेतु सक्षम अधिकारी अधिनियम के तहत अनुमति प्रदान करेगा।

7.17 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन

भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड नए क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

(अ) वर्तमान आवासीय क्षेत्रों हेतु मापदण्ड

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों के विकास/निर्माण निम्नलिखित मापदण्डों से नियंत्रित होगा-

सिंगरौली : वर्तमान आवासीय विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

7-सा-15

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी अनुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	66 प्रतिशत	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत	1.00
18 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत	1.00

(ब) आवासीय विकसित कालोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जायेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाये गये मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

(स) वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी :-

(क) मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।

(ख) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो, तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।

(ग) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए परिसर का कुल फर्शी क्षेत्र रखा जावे।

(घ) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, मान्य होगा।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों जिनका अधिकतम क्षेत्रफल 400 मीटर हो उन पर निम्न सारणी अनुसार निर्मित कुर्सी क्षेत्र स्वीकार्य होगा।

क्र.	भूखण्ड क्षेत्रफल	निर्मित कुर्सी क्षेत्र
1.	200 वर्गमीटर दर	80%
2.	201 से 400 वर्गमीटर	70%
3.	401 से अधिक	50%

उक्त क्षेत्र हेतु प्रावधानित फर्शी क्षेत्र अनुपात मान्य होगा।

टीप - किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, अथवा सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड पर निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा, इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

(द) सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

इस उपयोग के अन्तर्गत स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा फर्शी क्षेत्रानुपात वर्तमान निर्मित क्षेत्र के लिए निम्न सारणी में दर्शाये गये।

सिंगरौली : सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र हेतु विकास मापदण्ड

7-सा-16

क्रमांक	विवरण	कवरेज (प्रतिशत में)	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1.	महाविद्यालय	40	1.00
2.	उच्चतर माध्यमिक शाला	40.	1.00
3.	प्राथमिक शाला	50	0.75
4.	पूर्व प्राथमिक शाला	50	0.75
5.	चिकित्सालय	40	1.00
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	50	1.00
7.	पुलिस थाना	50	1.00
8.	अग्निशमन भवन	50	0.75
9.	सामुदायिक भवन	40	1.00
10.	शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय	40	1.50

टीप - 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, क्षेत्र विभिन्न पार्किंग सुविधा हेतु स्वीकार्य होगा।

7.18 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया

विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक है-

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 16 में निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये, जिसमें नियम 17 में उल्लेखित जानकारी का समावेश होना चाहिए।

2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण खसरा पंचशाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा, प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण।

3. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अनुरूप जानकारी।

4. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू-सीमाएं)

5. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हों, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अन्तर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हों, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जाये।

6. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित।

7. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हों, साथ ही मुख्य पहुँच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन।

8. 1:500/1000/2000 की स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले, गड्ढे, पहाड़ियां, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राईट ऑफ वे दर्शाते वर्तमान मार्ग। विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भे, वृक्ष एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों से सामंजस्य करने हेतु आवश्यक हों।

9. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान/मानचित्र।

10. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होंगे।

11. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन।

12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये।

13. अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना होगा।

14. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49(3) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें।

15. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू-दृश्यीकरण प्लान, जहां आवश्यक हो, वहां का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गयी हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे।

टीप - 1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रसारित आदेश, निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 की धारा 49(3) के प्रावधनों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी -

1. परिशिष्ट छः के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र।

2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल्य खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हों।

3. अद्यतन खसरा पंचशाला एवं खसरा खतौनी।

4. आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा।

5. जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो।

अध्याय-आठ

विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना में प्रावधानित प्रस्तावों एवं कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए यदि प्रयास नहीं किये जायेंगे तो, योजना को मूर्तरूप प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। यह आवश्यक होगा कि नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से विकास/निर्माण/पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास कर योजना के क्रियान्वयन में योगदान प्रदान करना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये, जिससे कि प्रस्तावित निर्माण अनुमोदित विकास योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जबकि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा व्यक्तिगत हो, उसकी विकास अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से प्राप्त कर किया जावे।

विकास योजना का क्रियान्वयन सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। जब तक इसका गठन नहीं हो जाता तब तक इसके दायित्वों को नगरपालिक निगम, सिंगरौली द्वारा वहन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, नगरीय विकास विभाग, परिवहन मंत्रालय, विद्युत मण्डल, वन विभाग, नगरीय अधोसंरचना विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उद्योग विभाग तथा एन.टी.पी.सी. द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में विकास कार्य किये जाते हैं। उससे भी विकास योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए यह अपेक्षित है कि इस क्षेत्र में किये जाने वाले सभी प्रकार की विकास संबंधी गतिविधियों को समग्र रूप से शासकीय/अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकास योजना के क्रियान्वयन में क्रमबद्ध कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए सहयोग प्रदान किया जावे।

8.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

वर्तमान लागत अनुसार सिंगरौली विकास योजना के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए 823.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, योजना अवधि में विभिन्न उपयोग हेतु 3904 हैक्टेयर भूमि का भू-अर्जन तथा 2732.5 हैक्टेयर भूमि का विकास शामिल है। इसके अंतर्गत गंदी बस्तियों का उन्मूलन एवं सुधार करके वर्तमान निर्मित क्षेत्र में पुर्नविकास कार्यों एवं मार्गों/पुलों का निर्माण तथा पर्यावरण अनुरक्षण आदि व्यय भी शामिल किया गया है। विभिन्न उपयोगों के लिए विकास संबंधी लागत सारणी 8-सा-1 में दर्शायी गई है।

सिंगरौली : योजना कार्यान्वयन की लागत

8-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			भू-अर्जन रुपये 3.00	अर्जित भूमि का 70 प्रतिशत पर			कुल लागत
		प्रस्तावित	वर्तमान	शेष भूमि जो अर्जित करना है	लाख प्रति हैक्टेयर की दर से	क्षेत्र (है. में)	दर प्रति हैक्टेयर (लाख रु.)	मूल्य (लाखों रु. में)	(6+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आवासीय	3637	1800	1837	5511	1286.00	25	32150.00	37661.00
2.	वाणिज्यिक	342.00	60	282	846	197.00	30	5910.00	6756.00
3.	औद्योगिक	589	358	231	693	161.7	25	4042.5	4735.5
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	744	195	549	1647	384.3	30	11529.00	13176.00
5.	आमोद-प्रमोद	435	8	427	1281	298.9	20	5978.00	7259.00
6.	यातायात एवं परिवहन	1516	938	578	1734	404.6	25	10115.00	11849.00
7.	गंदी बस्ती सुधार	-	-	-	-	-	एकमुश्त	190.00	190.00
8.	शमशानघाट एवं कब्रिस्तान	-	-	-	-	-	एकमुश्त	520.00	520.00
9.	तालाबों का विकास	-	-	-	-	-	एकमुश्त	39.00	39.00
10.	भू-दृश्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण	-	-	-	-	-	एकमुश्त	150.00	150.00
	चौराहों का विकास/निर्माण	-	-	-	-	-	एकमुश्त	38.00	38.00
	योग	**7263**	**3359**	**3904**	**11712.00**	**2732.5**	**155.00**	**70661.50**	**82373.50**

8.2 योजना क्रियानवयन की नीति

योजना क्रियानवयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जावेगी :-

1. कोयला धारित क्षेत्र में उत्खनन से उत्पन्न समस्याओं पर पर्यावरणीय अनुरक्षण।

2. ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न जल एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना।

3. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।

4. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण।

5. भूमि का कुशलतम उपयोग।

6. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण।

7. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।

8. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास व्यवस्था।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है :-

(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

(ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

(स) राज्य आवास नीति, 1995 के अंतर्गत भूमि विकास।

9. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

10. किसी भी तरह के स्वीकार्य भू-उपयोग, 12 मीटर चौड़ाई से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर विकसित नहीं किये जा सकेंगे।

11. प्रत्येक अभिन्यास में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिए एक बालवाड़ी तथा एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचराघर हेतु कम से कम 20x20 फिट स्थान आरक्षित रखना होगा, जहां से स्थानीय संस्थायें सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सकें। जिससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न पड़े।

12. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भू-खण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम-53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

8.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है, जो प्रमुख रूप से नदी/तालाब के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय

भूमि प्रबंधन से संबंधित है।

अन्य पर्यावरण समस्याएं, जैसे-नगरीय अवशिष्ट के उपचार, निराकरण उसके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

8.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

- नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा।
- संस्था का गठन।
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगर के रहंवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवसथा के परिप्रेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व

1. नियंत्रित विकास।
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना।
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण।
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना।

8.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जायेगा। यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएं, प्रमुख सेवायें, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होंगी। परिसीमन विकास, आवास नीति 1995 में उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार विकसित बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन, परिसीमन, अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास नीति 1995 के परिप्रेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं को आवास संघों एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

8.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

8.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा-

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा, जो कंडिका 8.6 के संदर्भ में रहेगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वयक प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुविधादायक के रूप में होनी चाहिए। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है :-

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वयक प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिये सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हो।

6. समन्वय अधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

8.4.4 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विकास नियमनों को पुनर्भाषित किया जाये। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय 6 में विकास नियमन वर्णित किये गये हैं।

8.5 योजना एवं कार्यक्रम

(अ) आलोच्य क्षेत्रों में विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए दो चरणों में प्रावधान है। प्रथम चरण सन् 2006 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण 2007 से 2011 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।

(ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।

(स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जायेगा।

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्य रूप दे सके।
3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम को तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग 5 से 10 हैक्टेयर आकार के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।

5. योजना के दोनों चरणों की आवश्यक जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।

6. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।

7. भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनाएं साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।

8. एक विशेष परिणाममूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि वृत्त खण्डों के विकास तथा सभी सहभागियों के संसाधन में गतिशीलता लाई जा सके।

9. मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

8.5.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

(अ) एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार हैं :-

- यह सुनिश्चित करना कि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना।
- अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

(ब) प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के अवयवों को निम्नानुसार चिन्हित किया गया है।

8.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

सिंगरौली क्षेत्र के विकास में असुविधा उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को योजना के प्रथम चरण में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है, कार्यक्रमों को उनकी लागत हेतु प्राप्त होने वाली *धनराशि के आधार पर रखा गया है। प्रथम चरण में नगर की प्राथमिक आवश्यकता को लिया गया है। सिंगरौली* क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सके।

8.6.1 प्रथम चरण क्रियान्वित करने में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं :-

1. 734.448 हैक्टेयर भूमि का अर्जन
2. 514.13 हैक्टेयर भूमि का विकास
3. 58 किलोमीटर नये मार्गों का निर्माण
4. चार चौराहों का विकास
5. ट्रेंचिंग ग्राउण्ड का विकास
6. शमशान घाट का विकास
7. नौ तालाबों का विकास

8.6.2. सिंगरौली प्रथम चरण कार्यक्रम की लागत

प्रथम चरण के अंतर्गत लिये जाने वाले विकास कार्य का विवरण सारणी क्रमांक 8-सा-2 में दर्शाया गया है।

सिंगरौली : प्रथम चरण कार्यक्रम की लागत

8-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग का विवरण	भू-अर्जन		विकास कार्य		कुल लागत (4+6) (लाख रु.)
		भौतिक लक्ष्य (हैक्टर में)	लागत (लाख रु.)	भौतिक लक्ष्य (हैक्टर में)	व्यय (लाख रु.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आवासीय	297.982	893.95	208.59	5214.75	6108.70
2.	वाणिज्यिक	33.150	99.45	23.21	696.30	795.75
3.	औद्योगिक	48.450	145.35	33.92	848.00	993.35
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	43.350	130.05	30.35	910.50	1040.55
5.	आमोद-प्रमोद	40.800	122.40	28.56	571.20	693.60
6.	यातायात एवं परिवहन (मार्ग बस स्टैण्ड, बायपास मार्ग)	229.916	689.75	160.94	4023.53	4713.28
7.	चौराहों का विकास	-	-	एकमुश्त	8.00	8.00
8.	ट्रेंचिंग ग्राउण्ड	10.200	30.60	7.14	142.80	173.40
9.	शमशानघाट	30.600	91.80	21.42	428.40	520.20
10.	तालाबों का विकास	-	-	एकमुश्त	9.00	9.00
	योग	**734.448**	**2203.35**	**514.13**	**12852.48**	**15055.83**

8.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है :-

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य संरचना एवं क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम, परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-

1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
2. विकास प्राधिकरण अथवा नगरपालिक निगम द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षक समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तद्नुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करती है।

1. पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मूलतः विकास प्राधिकरण/नगरपालिक निगम का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3/130/32/97,

दिनांक 20.01.1998 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ-3/55/32/98, दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिलाध्यक्ष सीधी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्र. 2876, दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए, नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी। सिंगरौली, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने तक यह दायित्व सिंगरौली नगरपालिक निगम वहन करेगी।

2. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसे संचालक द्वारा अनुमोदित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

8.8 योजना की व्याख्या

सिंगरौली विकास योजना नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु, निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-7 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है, अतः उनका रेखांकन किया गया है।

3. ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियां जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में माने जायेंगे, किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग तालिका 7-सा-14 सूची में शामिल है, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।

4. विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय मुख्य मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1997

क्र. एफ-3-123-बत्तीस-97-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन, एतद् द्वारा सिंगरौली निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :-

अनुसूची

सिंगरौली - निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	-	बरहवां टोला, बरगवां, डगा, कनई, भलुगढ़, गोदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोड़ार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करेला, टिकुरीटोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक।
पूर्व	-	चुरकी, झिंगुरदहा, चुरीदेह, करूआरी, दूधीचुआ, सरसवाह लाल, सरसवाह राजा, चुंदुली, मटवई व तेलगवां जुवांड़ी, जय नगर, गाहिलगढ़ पश्चिम, चन्दाबल, सेमरिया एवं ग्राम गनियारी की पूर्वी सीमा तक।
दक्षिण	-	ग्राम बलियारी, गनियारी, हिरवाह, सिंगरोलिया, खजूरी एवं ग्राम कटौली की दक्षिणी सीमा तक।
पश्चिम	-	ग्राम कटौली, करकोसा, बिलौजी, भटवा, धतूराबरवा, धतुरा पोरखा, कुसुमहरा, हरदी, खटखरी, लूरी, काजल, पौड़ी, नौगई, बुधेला, पिपराझांपी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवां एवं ग्राम बहरवां टोला की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एस.के. कुजूर, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1997

क्र. एफ-3-123-बत्तीस-97-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-123-बत्तीस-97, भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एस.के. कुजूर, उपसचिव

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा

क्र. 700-वि.यो.-नग्रानि-2000-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में सिंगरौली निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 424/वि.यो./नग्रानि/2000, दिनांक 25 मार्च, 2000 द्वारा किया गया था।

अब एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन सिंगरौली निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से दिनांक 19 मई 2000 को अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में इस सूचना को (मध्यप्रदेश राजपत्र) में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का साक्ष्य होगी कि उक्त मानचित्र सम्य रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 19 मई से 2 जून 2000 तक जिलाध्यक्ष कार्यालय सीधी, नगरपालिका निगम सिंगरौली (बैढ़न) के सभा भवन, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कैम्प कार्यालय, सीधी एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा के कार्यालय में कार्यकारी दिवसों में कार्यालयीन समय में सर्व-साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी।

No. 700-MPS-T&CP-2000.- The Existing Land use map and register for the additional villages included in the Singrauli Planning area was published under Sub-section (i) of Section 15 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notification 424-MPS-T&CP, dated 25th March, 2000.

Now the existing land use maps and registers for the above Villages are duly adopted on dated 19th May 2000 under the provision of Sub-Section (3) of Section of the said Adhiniyam and a copy of this Notice is also sent for its publication in "Madhya Pradesh Gazette" under the provisions of Sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact then the above maps and register has been duly prepare and adopted.

A copy of so adopted maps and register are available for public inspection at the Office of the Collector, Sidhi, Municipal Corporation Singrauli (Waidhan) meeting hall. Assistant Director, Town & Country Planning Camp Office Sidhi and Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Rewa on 19th May 2000 to 2nd June 2000 during Office hours on working days.

R.K. MUDLIAR
Joint Director

कार्यालय, कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, सीधी मध्यप्रदेश

आदेश

सीधी, दिनांक 14 जुलाई 2001

क्रमांक 15-जि.यो.स.-बैठक-2000-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1995) की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत सिंगरौली विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17(क) (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था/पता
1	2	3
(क)	महापौर	नगरपालिक निगम, सिंगरौली, बैढ़न
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत सीधी
(ग)	लोकसभा सदस्य	सीधी
(घ)	विधायक	1. विधानसभा क्षेत्र, सिंगरौली
	विधायक	2. विधानसभा क्षेत्र, धौहनी
		3. विधानसभा क्षेत्र देवसर, जिला सीधी
(ङ)	कोई नहीं	-
(च)	अध्यक्ष	1. जनपद पंचायत, बैढ़न
	अध्यक्ष	2. जनपद पंचायत, चितरंगी
	अध्यक्ष	3. जनपद पंचायत, देवसर
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत भलुगढ़ (ग्राम भलुगढ़ चकादादर) तहसील चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-धौहनी, जिला-सीधी
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत दादर (ग्राम दादर रमपुरवा), तहसील चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-धौहनी, जिला-सीधी
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत गोदवाली (ग्राम गोदवाली), तहसील चितरंगी विधानसभा क्षेत्र-धौहनी, जिला-सीधी
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत समुआर (ग्राम सेमुआर, जमुआ उसका अंजनी पाली) तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-धौहनी, जिला-सीधी
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत खरकटा (ग्राम खरखटा, गांगी) तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-धौहनी, जिला-सीधी

6. सरपंच	ग्राम पंचायत बरमानी (ग्राम बरमानी, लोटान) तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
7. सरपंच	ग्राम पंचायत कसर (ग्राम कसर, रामगढ़, बस्ताली बीरान, बस्ताली आबाद हर्रेइया), तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
8. सरपंच	ग्राम पंचायत करैला (ग्राम करेला), तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
9. सरपंच	ग्राम पंचायत खिरवा (ग्राम खिरवा, टिकुरी टोला) तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
10. सरपंच	ग्राम पंचायत चतरी (ग्राम चतरी, कन्हुड़) तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
11. सरपंच	ग्राम पंचायत चुरकी (ग्राम चुरकी), तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
12. सरपंच	ग्राम पंचायत महदेइया (ग्राम महदेइया, इंगुरा, फुलझर) तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
13. सरपंच	ग्राम पंचायत गोरवी (ग्राम गोरवी कठास) तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
14. सरपंच	ग्राम पंचायत नोढ़िया (ग्राम नोठिया), तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
15. सरपंच	ग्राम पंचायत कनई (ग्राम कनई), तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
16. सरपंच	ग्राम पंचायत डगा (ग्राम डगा), तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
17. सरपंच	ग्राम पंचायत बरगवां (ग्राम बरगवां), तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
18. सरपंच	ग्राम पंचायत बरहवां टोला (ग्राम बरहवां टोला) तहसील-चितरंगी, विधानसभा क्षेत्र-देवसर, जिला-सीधी
19. सरपंच	ग्राम पंचायत गड़ेरिया (ग्राम गड़ेरिया, गुल्लीडांड) तहसील-सिंगरौली, जिला-सीधी
20. सरपंच	ग्राम पंचायत खटखरी (ग्राम खटखरी), तहसील-सिंगरौली, जिला-सीधी
21. सरपंच	ग्राम पंचायत करकोसा (ग्राम करकोसा, धतुरा बरवा, धतुरा पोखरा), तहसील-सिंगरौली, जिला-सीधी

	22. सरपंच	ग्राम पंचायत हर्दी (ग्राम हर्दी, कुसमहरा), तहसील-सिंगरौली, जिला-सीधी
	23. सरपंच	ग्राम पंचायत पड़री (ग्राम पड़री), तहसील-सिंगरौली, जिला-सीधी
	24. सरपंच	ग्राम पंचायत सोलंग, (ग्राम सोलंग, सिगाही राजखड़ चकवार, ठरवा), तहसील-सिंगरौली, जिला-सीधी
(ज)	प्रतिनिधि	1. कलेक्टर (अपर कलेक्टर, बैढ़न), जिला-सीधी, म.प्र. 2. पुलिस अधीक्षक (अपर पुलिस अधीक्षक, बैढ़न), जिला-सीधी, म.प्र. 3. सी.एम.डी.एन.सी.एल., सिंगरौली, जिला-सीधी म.प्र. 4. महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सिंगरौली, जिला-सीधी, म.प्र. 5. आयुक्त, नगरपालिक निगम, सिंगरौली, जिला-सीधी, म.प्र. 6. वन मंडलाधिकारी, पूर्व जिला-सीधी, म.प्र. 7. महाप्रबंधक, जिला-उद्योग, सीधी, म.प्र.
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रीवा, म.प्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एस.एन. मिश्र)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग, सीधी, म.प्र.

पृ. क्रमांक सीधी, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कार्यालय, रीवा।
3. संबंधित सदस्यगण ....।

(एस.एन. मिश्र)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग, सीधी, म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 1998

आदेश

क्रमांक एफ-3-130-32-97-राज्य शासन, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाऐं अनुमोदित हैं, की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये निम्नानुसार 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति का गठन करता है :-

1.	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर।	अध्यक्ष
2.	नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
3.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
4.	संबंधित आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरपालिका	सदस्य
5.	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
7.	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
8.	(अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है)।	सदस्य सचिव
	(ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी स्थापित नहीं है)	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी.व्ही. उपाध्याय)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 1998

क्रमांक एफ-3-55-32-98-राज्य शासन, एतद् द्वारा, नगरों की अनुमोदित 'विकास' योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ-3/130/32/97, दिनांक 20.01.1998 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित ''नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति'' में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :-

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाते हैं :-

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगरपालिका निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगरपालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट-छः

(नियम 16)

किसी भवन के विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

....

....

....

महोदय,

मैं, एतद् द्वारा यह सूचना देता हूँ कि मैं नगर .... मोहल्ला, बाजार सड़क .... बस्ती मार्ग .... में भवन क्रमांक .... अथवा प्लाट क्रमांक .... में पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 17 के .... के अनुसार विकास निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा .... वास्तुविद इंजीनियर पर्यवेक्षक नगर निवेशक, अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) .... जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांकन और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ :-

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप विभाग-अभिन्यास योजना
4. भवन नक्शे
5. सेवा आयोजना
6. विशिष्टयां सामान्य विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी हक

मैं, निवेदन करता हूँ कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाय और मुझे कार्य निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

स्वामी के हस्ताक्षर ....

स्वामी का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में) ....

स्वामी का पता ....

तारीख ....

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

(नियम 49(3))

विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी,

....

....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं, एतद् नगर .... मोहल्ला, बाजार .... बस्ती/ कालोनी/गली.................................. भू-खण्ड क्रमांक................... खसरा क्रमांक..........की भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना में संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित भूमि के लिए उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

भू-स्वामी के हस्ताक्षर

भू-स्वामी का नाम

....

(स्पष्ट अक्षरों में)

भू-स्वामी का पता

....

....

स्थान ....

दिनांक ....

नाम-नगर/नगर निगम/नगरपालिका/नगर तथा ग्राम निवेश।

परिशिष्ट-आठ

विशेष विवरण पत्रक

प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण

1. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल .... वर्गफुट/मीटर
2. कुल निर्मित क्षेत्र ....
3. विद्यमान भूतल .... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..............वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित

   विद्यमान प्रथम मंजिल .... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..............वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित

   विद्यमान द्वितीय मंजिल .... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..............वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित
4. उद्देश्य कार्य जिसके जिले भवन का उपयोग प्रस्तावित है।
5. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जायेगा :-

   (एक) नींव

   (दो) दीवालें

   (तीन) फर्श

   (चार) छत
6. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या ....
7. ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है।
8. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जावेगी।
9. क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है, यदि ऐसा हुआ हो तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिए कब से उपयुक्त नहीं रहा ....

9\. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले जल का स्रोत।

आवेदक के हस्ताक्षर

शाकेमुभो--1500--संसंनग्रानिभे--8--1--2004--300

भोपाल, दिनांक 4 मई 2005

क्र. एफ. 3-78-2004-बत्तीस-एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत सिंगरौली, निवेश क्षेत्र की विकास योजना को राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित की गई है तथा अनुमोदित विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :-

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, कार्यालय, सीधी, मध्यप्रदेश
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सिंगरौली, जिला-सीधी, मध्यप्रदेश

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

बी.एन. त्रिपाठी, उपसचिव